रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224026
CG-DL-E-30122020-224026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/ पौष 9, 1942
No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

मामला सं. एडीडी–ओआई–32/2019

विषय – चीन जन. गण. इण्डोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ''विस्कोस स्पन यार्न'' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

सं. 6/41/2019 –डी जी टी आर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसका समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली अथवा नियमावली भी कहा गया है) के संबंध में;

क. इस मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को चीन जनवादी गणराज्य, इण्डोनेशिया और वियतनाम (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से ''विस्कोस स्पन यार्न'' (जिसे आगे ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पी यू सी'' अथवा ''संबद्ध वस्तु'' भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उत्पादकों की ओर से इंडियन मेनमेड यार्न मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन (जिसे आगे

"आवेदक" कहा गया है) से पाटन और परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन प्राप्त हुआ और उपर्युक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए चीन जन. गण., इण्डोनेशिया और वियतनाम के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क जिसे अगर लगाया जाये तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 6/41/2019 – डी जी टी आर के माध्यम से आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन जांच के संबंध में किया गया है :

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम (5) के उप नियम 5 के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14 जनवरी, 2020 की जांच की शुरुआत संबंधी अपनी अधिसूचना के माध्यम से आम सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/ प्रयोक्ता संघों, घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिनका आवेदन में उल्लेख था, को दिनांक 14 जनवरी, 2020 को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और दूतावास को आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने संबंधित देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनेक अनुरोधों पर उनके उत्तर तथा अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को समय विस्तार मंजूर किया। दिनांक 4 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से, इस समय को बढ़ाकर 18 मार्च, 2020 कर दिया गया था। दिनांक 18 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से, इस समय को पुन: बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2020 कर दिया गया था। दिनांक 1 अप्रैल, 2020; 21 अप्रैल, 2020 और 9 मई, 2020 के पत्र के माध्यम से इस समय को आगे बढ़ाकर क्रमश: 22 अप्रैल, 2020, 10 मई, 2020 और 20 मई 2020 कर दिया गया था।

छ. संबद्ध देशों की निम्नलिखित सरकारों ने लिखित अनुरोध दिये :

i. व्यापार रक्षा, निवेश व्यापार महानिदेशालय, इण्डोनेशिया का गणतंत्र

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं :

चीन जन. गण.	इण्डोनेशिया	वियतनाम
1. मैसर्स चटडायाओ टेक्सटाइल कं. लिमि.	1. मैसर्स अडेटेक्स	1. मैसर्स कंपनी लिमि. हूंग नहेप फोरमोसा
2. मैसर्स एफ-टेक्स (एशिया) इंटरनेशनल लिमि.	2. मैसर्स आदिकेनकना महकोटाबूअना	2. मैसर्स होशेंग विना कं. लिमि.
3. मैसर्स फूजिन चांगले जिनयूआन टेक्सटाइल कं.	3. मैसर्स अपेकइंटी कोरपोरा	3. मैसर्स हुंग नगहिया फोरमोसा कं. लिमि.
4. मैसर्स फूझोऊ होंग्यी ट्रेड कं. लिमि.	4. मैसर्स बिनटांग मेकमुर सेनटोसा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	4. मैसर्स मेई शेंग टेक्सटाइल्स वियतनाम कं. लिमि.
5. मैसर्स हमेइ थ्रेड कं. लिमि. ऑफ यिबिनसिचुआ	5. मैसर्स बिट्राटेक्स इंडस्ट्रीज	
6. मैसर्स जियांगसू पेंगझियांग न्यू मेटेरियल	6. मैसर्स डेल्टा मर्लिन सनडॉग टेकस्टिल	
7. मैसर्स निंगबो हेकई इंटरनेशनल ट्रेड	7. मैसर्स डेल्टा दुनियासनडॉग टेक्सिस्टल	
8. मैसर्स निंगबो एसएसएस थ्रेड कं. लिमि.	8. मैसर्स डेल्टा दुनिया टेक्सस्टिल	
9. मैसर्स शानडॉग जिंक न्यू मेटेरियल कं. लिमि.	9. मैसर्स इम्बी प्लूमबॉन टेक्सस्टिल	
10. मैसर्स शाओझिंग लिगंहे टेक्सटाइल कं. लिमि.	10. मैसर्स इलिगंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	
11. मैसर्स शाओझिंग शूहाओ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी	11. मैसर्स एक्सीलेंस क्वालिटीज यार्न	
12. मैसर्स सुझोऊ प्योर-फाइबर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	12. मैसर्स इंडो लिबर्टी टेक्सटाइल्स	
13. मैसर्स टॉप फाइबर सोर्स कं. लिमि.	13. मैसर्स केवलराम इण्डोनेशिया	
14. मैसर्स वूजियांग जिंग्ई स्पेशल फाइबर कं. लिमि.	14. मैसर्स लोट्स इंदह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	
15. मैसर्स ज़ियामेन फोनिक्स न्यू मेटेरियल	15. मैसर्स मंगुग्गल आदिपुरा	
16. मैसर्स ज़ियामेन एमसी ग्रुप कॉर्प. लिमि.	16. मैसर्स मुलिया जया सेजहतेरा अब्दी टेक्सटाइल	
17. मैसर्स ज़ियामेन मिंग टेक्सटाइल कं. लिमि.	17. मैसर्स नटाटेक्स प्रीमा	
18. मैसर्स ज़ियामेन वेई टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कं. लिमि.	18. मैसर्स पामोर स्पिनिंग मिल्स	

19. मैसर्स जूझोऊ गुआंगपेंग टेक्सटाइल कं. लिमि.	19. मैसर्स पिसमा पुत्रा टेक्सटाइल	
20. मैसर्स यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं. लिमि.	20. मैसर्स प्रीमायुद्ध मनद्रीजया	
21. मैसर्स यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक क. लिमि.	21. मैसर्स सेकर बेगवान	
22. मैसर्स झेजियांग झॉगडा ग्रुप	22. मैसर्स सिनार पंतजादज्जा	
	23. मैसर्स श्री राजेकिलमन	
	24. मैसर्स सनराइज बूमि टेक्सटाइल्स	

झ. उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

1. मैसर्स यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक कं. लिमि. चीन;
2. मैसर्स यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं. लिमि., चीन
3. मैसर्स पी टी डेल्टा मर्लिन सनडॉग, इण्डोनेशिया;
4. मैसर्स पी टी डेल्टा दुनिया टैक्स्टिल, इण्डोनेशिया;
5. मैसर्स पी टी डेल्टा दुनिया सनडॉग टैक्स्टिल, इण्डोनेशिया;
6. मैसर्स पी टी मनुग्गल अदिपुरा, इण्डोनेशिया;
7. मैसर्स पी टी लोट्स इंदह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इण्डोनेशिया;
8. मैसर्स पी टी इमबी प्लमबोन टैक्स्टिल, इण्डोनेशिया;
9. मैसर्स पी टी अदिकेनकाना माहकोटाबुना, इण्डोनेशिया;
10. मैसर्स पी टी श्री रेजेकिलसमन टीबीके, इण्डोनेशिया;
11. मैसर्स पी टी बिटराटेक्स इंडस्ट्रीज, इण्डोनेशिया;
12. मैसर्स पी टी सिनार पंतजा डजजा, इण्डोनेशिया;
13. मैसर्स प्रीमायुधा मनदिरिजया, इण्डोनेशिया;
14. मैसर्स पी टी नटाटेक्स प्राइमा, इण्डोनेशिया;
15. मैसर्स पी टी सनराइज भूमि टेक्सटाइल्स, इण्डोनेशिया;
16. मैसर्स पी टी इलेगंट टेक्सटाइल्स, इण्डोनेशिया;
17. मैसर्स पी टी इंडोलिबर्टी टेक्सटाइल्स, इण्डोनेशिया;
18. मैसर्स यूनाइटेड रा मेटेरियल पी टी ई लिमि., सिंगापुर

ञ. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने कानूनी अनुरोध किया :

1. मैसर्स इण्डोनेशियन टेक्सटाइल एसोसिएशन;
2. चाइना चेम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड अपेरल;

ट. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने एक प्रत्र प्रस्तुत किया

1. मैसर्स इंडो-थाई सिंथेटिक्स कंपनी लिमिटेड

ठ. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने पंजीकरण के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया है :

1. मैसर्स पी टी एडेटेक्स, इण्डोनेशिया

ड. वियतनाम के निर्यातकों/ उत्पादकों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

ढ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए आयातक की प्रश्नावली भेजी।

1. मैसर्स ए. सी टेक्सटाइल मिल्स	108. मैसर्स पवन कुमार राज कुमार
2. मैसर्स ए. पी. ए. टेक्सटाइल्स इंडिया प्रा. लिमि.	109. मैसर्स पी वी टेक्सटाइल्स लिमि.
3. मैसर्स अपट डिस्ट्रिब्यूशन प्रा. लिमि.	110. मैसर्स परफेक्ट प्रॉडक्ट्स
4. मैसर्स औरविन मिल्स	111. मैसर्स पोलीकेम एक्सपोर्ट्स
5. मैसर्स एकोर्ड एक्सपोर्ट	112. मैसर्स पोली केम इम्प. एंड एक्स. कं.
6. मैसर्स एसेन टेक्टस (प्रा) लिमि.	113. मैसर्स पूनगोधायी टेक्सटाइल मिल्स
7. मैसर्स अग्रवाल फाबटेक्स प्रा. लिमि.	114. मैसर्स प्रकाश कोटेक्स इंडिया एलएलपी
8. मैसर्स अमरजोत टेक्सटाइल	115. मैसर्स प्रकाश टेक्सटाइल
9. मैसर्स अम्बिका कॉटन मिल्स लिमि.	116. मैसर्स आर विजयानंद एंड कं.
10. मैसर्स अनिथा वीविंग मिल प्रा. लिमि.	117. मैसर्स राजेश्वरी वीविंग मिल
11. मैसर्स अन्नापूरनी टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.	118. मैसर्स राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज प्रा. लिमि.
12. मैसर्स अनुशा एजेंसीज प्रा. लिमि.	119. मैसर्स रंगा वेव्स इंडिया प्रा. लिमि.
13. मैसर्स एपेक्स टेक्सटाइल्स	120. मैसर्स रतनमोती टेक्सफेब (इंडिया) प्रा. लिमि.
14. मैसर्स ऐप्पल अपारेलस	121. मैसर्स रेथम ओवसेज
15. मैसर्स अरुण सूर्या टेक्सटाइल्स	122. मैसर्स रिचलूम एग्जिम
16. मैसर्स अरुणागोल्ड टेक्स कोरपोरेट प्रा. लिमि.	123. मैसर्स रोशनी इम्पेक्स
17. मैसर्स अरुल जोती एक्सपोर्ट प्रा. लिमि.	124. मैसर्स रॉयलनी
18. मैसर्स अर्थनारी लूम सेंटर (टेक्सटाइल) प्रा. लिमि.	125. मैसर्स एस. के. टी. टेक्सटाइल मिल्स
19. मैसर्स अरविंद यूनिर्वसल टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.	126. मैसर्स एस के. वीविंग प्रा. लिमि.
20. मैसर्स अवंतिका फाइबर एंड एलाइड प्रा. लिमि.	127. मैसर्स साक्षी यार्नस प्रा. लिमि.
21. मैसर्स एवीपी इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	128. मैसर्स संध्या फेब्रिक्स
22. मैसर्स बी. एम. इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.	129. मैसर्स संता स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.
23. मैसर्स बी. आर. टी. स्पिनर्स प्रा. लिमि.	130. मैसर्स संतोष इंडस्ट्रीज
24. मैसर्स बी. एस. प्लसेस प्रा. लिमि.	131. मैसर्स एसजीआर टेक्सटाइल हाउस एल एल पी
25. मैसर्स बी टी कॉटन कं.	132. मैसर्स शक्ति मुरगन टेक्सटाइल्स
26. मैसर्स बीकायलॉन सिंथेटिक्स प्रा. लिमि.	133. मैसर्स शेखावती सिंटेक्स प्रा. लिमि.
27. मैसर्स भगवती टेक्स	134. मैसर्स श्री बालाजी फेब्रिक्स
28. मैसर्स भारतीय यार्नस प्रा. लिमि.	135. मैसर्स श्री हरि यार्न प्रा. लिमि.
29. मैसर्स भाटिया कलर कं.	136. मैसर्स श्री रामाकृष्णा एजेंसी
30. मैसर्स भावना स्पिनिंग मिल्स	137. मैसर्स श्री शाकतम्बिका मिल्स
31. मैसर्स भूमि यार्न प्रा. लिमि.	138. मैसर्स श्री सेल्वाकुमार टेक्सटाइल एंड सिजिंग मिल्स
32. मैसर्स बिड टेक्सटाइल्स	
33. मैसर्स बिट्टू सिंथेटिक्स प्रा. लिमि.	139. मैसर्स श्री वासुदेवा वीविंग मिल्स प्रा. लिमि.
34. मैसर्स सी एस एक्सपोर्ट	140. मैसर्स शेयना टेक यार्नस प्रा. लिमि.

35. मैसर्स सी एस वीवर्स
36. मैसर्स सी एस यार्नस
37. मैसर्स चन्द्र इंटरनेशनल्स
38. मैसर्स दामोदर इंडस्ट्रीज लिमि.
39. मैसर्स दिल्ली टेक्सटाइल ट्रेडर्स
40. मैसर्स धरन टेक्सटाइल
41. मैसर्स डी एच सी मार्केटिंग प्रा. लिमि.
42. मैसर्स इरोड अमरनार्थ मिल्स प्रा. लिमि.
43. मैसर्स इरोड विस्कोस रेयान फेब्रिक्स
44. मैसर्स इसपी कुमारन टेक्सटाइल्स
45. मैसर्स यूरो विस्ता (इंडिया) लिमि.
46. मैसर्स इवरफ्लो पेट्रोफिल्स लिमि.
47. मैसर्स इवरफ्लो टेक्नो टेक्स प्रा. लिमि.
48. मैसर्स फाइन यार्न
49. मैसर्स फोरचून फिलामेंट्स
50. मैसर्स गिमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि.
51. मैसर्स गनना मुरुगन टेक्सटाइल्स
52. मैसर्स हार्दिक फेशन हितेन्द्र कुमार इश्वरलाल पटेल-हफ
53. मैसर्स हार्दिक टेक्स (नवीन चन्द्र ईश्वरलाल पटेल-हफ)
54. मैसर्स हासासी इंडिया प्रा. लिमि.
55. मैसर्स हेल्थीउम मेडटेक प्रा. लिमि.
56. मैसर्स हंडर्ड रेयन
57. मैसर्स जे एम कॉमोडिटिज लिमि.
58. मैसर्स जानकी ओवसीज
59. मैसर्स जीवन भवानी इंटरनेशनल
60. मैसर्स के चंद्रशेखर
61. मैसर्स के. के. स्पिनर्स (प्रा.) लिमि.
62. मैसर्स आर के जी टेक्सटाइल मिल
63. मैसर्स कादेश्वरा फेब्रिक्स
64. मैसर्स कालियामंगल टेक्सटाइल
65. मैसर्स करन इंटरप्राइज
66. मैसर्स करवा यार्न प्रा. लिमि.
67. मैसर्स कासिम टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि.
68. मैसर्स कायावलोनइम्पेक्स प्रा. लिमि.
69. मैसर्स के आर एक्सपोर्टस
70. मैसर्स केडिया टेक्सटाइल्स
71. मैसर्स केज इंटरप्राइजेज
141. मैसर्स श्री अदित्या ट्रेडर्स
142. मैसर्स श्री अरुणाचलेश्वरर टेक्स
143. मैसर्स श्री कल्याण ट्रेडिंग कं.
144. मैसर्स श्री वल्लीमुरुगन स्पिनर्स प्रा. लिमि.
145. मैसर्स सिंधु सुता टेक्सटाइल्स
146. मैसर्स एसजेवी टेक्सटाइल्स मिल्स
147. मैसर्स स्लाचिइम्पेक्स
148. मैसर्स स्नोटेक्स सिंथेटिक्स प्रा. लिमि.
149. मैसर्स सोमानुर कल्पना कॉटन (इंडिया) प्रा. लिमि.
150. मैसर्स स्पेसऐज सिंटेक्स प्रा. लिमि.
151. मैसर्स श्री अरुलमनि एक्सपोर्ट्स
152. मैसर्स श्री अरुलमुरुगन टेक्सटाइल मिल्स
153. मैसर्स श्री सुंदरा मिल्स
154. मैसर्स श्रीनिवासा टेक्सटाइल्स
155. मैसर्स श्री एश्वर्या इंटरनेशनल्स
156. मैसर्स श्री अमन सिजिंग एंड वीविंग मिल्स
157. मैसर्स अमन टेक्सटाइल्स
158. मैसर्स श्री बालाजी सिंजिंग/ स्पिनिंग मिल्स
159. मैसर्स श्री बालाजी यार्नस
160. मैसर्स श्री जयालक्ष्मी टेक्सटाइल्स
161. मैसर्स जयाराम टेक्सटाइल्स
162. मैसर्स श्री लक्ष्मी – दुगा एक्सपोर्ट्स
163. मैसर्स श्री मोउली टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.
164. मैसर्स श्री मुरुगन टेक्सटाइल्स
165. मैसर्स श्री पलानी अंदावर टेक्सटाइल्स
166. मैसर्स श्री रामाकृष्णा टेक्सटाइल्स
167. मैसर्स शक्तिवेल इम्पेक्स
168. मैसर्स श्री शक्तिवेल टेक्स मिल्स
169. मैसर्स श्री शानमुगा टेक्सटाइल्स
170. मैसर्स श्री शानमुगावेल मिल्स प्रा. लिमि.
171. मैसर्स शुबा टेक्स प्रा. लिमि.
172. मैसर्स एसपीएम वीविंग मिल्स
173. मैसर्स श्री वेंकटाचलापथी टेक्सटाइल्स
174. मैसर्स स्टाइक राइट इंटरग्रेटिड सर्विसेज लिमि.
175. मैसर्स सुधान यार्नस, (प्रो. : सी. सुगधि)
176. मैसर्स सन लांड ऑटो वेव
177. मैसर्स सूर्याम्बा स्पिनिंग मिल्स लिमि.

72. मैसर्स खन्ना टेक्सटाइल्स
73. मैसर्स कोहिनूर वीविंग मिल्स
74. मैसर्स केपीजी कोटस्पिन इंडिया प्रा. लिमि.
75. मैसर्स केपीएम इंटरप्राइजेज
76. मैसर्स कृपा ओवरसीज प्रा. लिमि.
77. मैसर्स केआरएस टेक्सटाइल्स
78. मैसर्स कुनाल टेक्सटाइल्स
79. मैसर्स कुमारन टेक्सटाइल्स
80. मैसर्स लक्ष्मी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज
81. मैसर्स ली मेरिट एक्सपोर्टस लिमि.
82. मैसर्स एम. पी. टेक्सटाइल्स
83. मैसर्स एम सुंदरदास एंड सन्स
84. मैसर्स मदुरइ वीविंग मिल्स
85. मैसर्स मलार टेक्सटाइल्स
86. मैसर्स मंगलम इंटरनेशनल
87. मैसर्स मयंक ट्रेडर्स
88. मैसर्स मल्ली मल संतलाल एंड कं.
89. मैसर्स मारु इंटरप्राइजेज प्रा. लिमि.
90. मैसर्स मेहाला मिल्स
91. मैसर्स मेहता यानर्स
92. मैसर्स मॉडर्न इंडिया लिमि.
93. मैसर्स मोनित ट्रेडिंग प्रा. लिमि.
94. मैसर्स मदरलैंड टेक्सटाइल इंडिया प्रा. लिमि.
95. मैसर्स मुरुगाविलास टेक्सटाइल्स
96. मैसर्स नकोडाइंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लिमि.
97. मैसर्स नटराज टेक्सटाइल
98. मैसर्स निमिश सिनटेक्स
99. मैसर्स नित्याभारत टेकसटाइल प्रा. लिमि.
100. मैसर्स नित्या टेक्सटाइल्स
101. मैसर्स ओम फेब
102. मैसर्स आरिन फेब्रिक्स प्रा. लिमि.
103. मैसर्स पी. के. पी. एन. स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.
104. मैसर्स पी जे कॉमर्शियल
105. मैसर्स पी सूर्या
106. मैसर्स पान इम्पेक्स
107. मैसर्स पंकज इंका प्रा. लिमि.
178. मैसर्स सूयोग सिंथेटिक्स
179. मैसर्स एसवीसी टेक्सटाइल कं. प्रा. लिमि.
180. मैसर्स टी. टी. लिमि.
181. मैसर्स टेसला कोर्प
182. मैसर्स टेक्सपर्ट्स इंडिया प्रा. लिमि.
183. मैसर्स ठाकुरजी इंटरप्राइज
184. मैसर्स थंगावेल फेब्रिक्स प्रा. लिमि.
185. मैसर्स थारुन टेक्सस्पिन मिल्स प्रा. लिमि.
186. मैसर्स टिटानियम टेन इंटरप्राइजेज लिमि.
187. मैसर्स टॉप लाइट लेबल्स (प्रो. एन. वेलूसमी)
188. मैसर्स ट्राइबेस्ट फिनायार्नस लिमि.
189. मैसर्स ट्राइबेनी वर्ल्डवाइड प्रा. लिमि.
190. मैसर्स ट्राइपोड टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रा. लिमि.
191. मैसर्स तुलसी उद्योग
192. मैसर्स यूनाइटेड ड्राइ गूड्स (प्रा.) लिमि.
193. मैसर्स यूनिटेक इंक
194. मैसर्स वर्धमान फिलामेंट्स
195. मैसर्स वरुन एक्सपोर्ट्स
196. मैसर्स वेद-दर्शन यार्न ट्रेडर्स एल एल पी
197. मैसर्स वेलातल स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमि.
198. मैसर्स वीएमएस फेब्रिक्स प्रा. लिमि.
199. मैसर्स विरमदेव टेक्सटाइल्स
200. मैसर्स विशाखा इंटरप्राइजेज
201. मैसर्स विथस फेब टेक्स (ओपीसी) प्रा. लिमि.
202. मैसर्स यार्नकॉम्स इंडिया प्रा. लिमि.
203. मैसर्स यशराज ओवरसीज
204. मैसर्स युवराज टेक्सटाइल्स

ण. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर उत्तर दिया है :

1. मैसर्स कायावलोन इम्पेक्स प्रा. लिमि.;
2. मैसर्स रोशनी इम्पेक्स;
3. मैसर्स गनानामुर्गन टेक्सटाइल्स;
4. मैसर्स एरोड विस्कोस रॉयन फेब्रिक्स

त. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में अपने आप को पंजीकृत करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया है और/ अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किया है :

1. मैसर्स डी एच सी मार्केटिंग प्रा. लिमि.;
2. मैसर्स श्री बालाजी स्पिन्निंग मिल्स;
3. मैसर्स हेल्थ मेडटेक्स प्रा. लिमि.;
4. मैसर्स श्री बालाजी फेब्रिक्स;
5. मैसर्स कुमारन टेक्सटाइल्स;
6. मैसर्स कलाइमागल टेक्सटाइल्स;
7. मैसर्स नित्यभारत टेक्सटाइल (प्रा.) लिमि.;
8. मैसर्स अन्नपूर्णा टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.;
9. मैसर्स थिरुमला एक्सपोर्टस;
10. मैसर्स वेद दर्शन यार्न ट्रेडर्स एल एल पी;
11. मैसर्स पी. सुर्या राव;
12. मैसर्स के आर जी टेक्सटाइल मिल्स;
13. मैसर्स नीलम थ्रेड प्रा. लिमि.;
14. मैसर्स श्री शुबा टेक्स प्रा. लिमि.;
15. मैसर्स ए सी ई इंडस्ट्रीज;
16. मैसर्स मेहर फिलामेंट्स;
17. मैसर्स रेघन फेशन्स प्रा. लिमि.;
18. मैसर्स हेल्थ मेडटेक प्रा. लिमि.

थ. प्राधिकारी ने निम्नलिखित संघों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना भी भेजी जिसमें इन्हें अपने उत्तर/ टिप्पणियों, यदि कोई हो को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ जांच की शुरुआत के संबंध में अपने सभी सदस्यों को सूचित करने के लिए कहा गया था :

1. इरोड वीरपन चाटर्म पॉवरलूम ऑनर एसोसिएशन
2. राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन
3. इरोड विश्वथरई उरिमयालारगल संगम

द. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को उस सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया।

ध. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) को 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 (9 महीने) तक है। क्षति की जांच की अवधि को 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 और जांच की अवधि के रूप में माना गया है।

न. प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़े व्यापार सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और प्रणाली महानिदेशालय (डी जी एस) से प्राप्त किए और लेन देन की उचित जांच के बाद इन आंकड़ों का विश्लेषण किया।

प. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एन आई पी" कहा गया है) पाटनरोधी इस नियमावली के अनुबंध III और सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण तथा बिक्री करने की लागत के आधार पर निर्धारण किया गया है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

फ. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा तालिका अध्ययन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जहां कहीं भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर इन जांच परिणामों के उद्देश्य से विचार किया गया है।

ब. उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया और उस पर इन अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।

भ. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य था और जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया।

म. घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पी सी एन पद्धति पर टिप्पणियां भी दिनांक 19 फरवरी, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से आमंत्रित की गई थी। उसके बाद पी सी एन वार सूचना प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2020 के पत्र के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों से मांगी गई थी और तदनुसार सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 20 मई, 2020 तक कर दिया गया था।

कक. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रादुर्भाव और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा लगाये गये परिणामी प्रतिबंधों के कारण, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक मौखिक सुनवाई आयोजित की। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये विचारों का लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रतिउत्तर, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। ऐसे लिखित अनुरोधों में दिये गये तर्कों और/ अथवा हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों पर इन अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

खख. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक हुआ प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

गग. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी है अथवा इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।

घघ. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक अंतिम जांच परिणामों में समाधान किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध पूर्व में उनके द्वारा किये गये अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों को उस सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में जांच किया जा रहा है, जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।

ङङ. इन अतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

चच. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 71.24 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिये गये अनुसार परिभाषित किया गया था :

"4. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद "55101110 और 55101210 के अंतर्गत आने वाले खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत न किये गये सिलाई के लिए धागे को छोड़कर कृत्रिम विस्कोस स्टेप्ल फाइबर का वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक वाला विस्कोस रेयन स्पन यार्न है। विचाराधीन या तो सिंगल अथवा मल्टीपल फोल्डेड अथवा केबल्ड यार्न हो सकता है।"

5. वी एस वाई का मुख्य रूप से उपयोग परिधानों में अंतत: उपयोग के लिए फेब्रिक के उत्पादन के लिये वीविंग अथवा निटिंग के वास्ते किया जाता है।

6. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 55 के अंतर्गत इस पी यू सी का वर्गीकरण किया जाता है। जबकि इस उत्पाद का निर्धारित वर्गीकरण 55101110 और 55101210 है, विचाराधीन उत्पाद का भी आयात 55101190, 55101290, 55109010 और 55109090 के अंतर्गत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

क) वर्तमान जांच में विचाराधीन के अंतर्गत आने वाले खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत न किये गये सिलाई के लिए धागे को छोड़कर कृत्रिम विस्कोस स्टेप्ल फाइबर का वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक वाला "विस्कोस रेयन स्पन यार्न" है, जिसे "विस्कोन स्पन यार्न" भी कहा जाता है, है। संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की सीमा शुल्क उपशीर्ष सं. 5510 के अंतर्गत शीर्ष अध्याय 55 के अंतर्गत किया जाता है।

ख) जबकि इस उत्पाद का निर्धारित वर्गीकरण 55101110 और 55101210 है, इस उत्पाद का आयात 55101190, **55101290, 55109010** और 55109090 के अंतर्गत भी किया गया है। सिंगल यार्न वह उत्पाद है कि जिसका आयात मल्टीपल कोड में किया जा रहा है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण सूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग) विचाराधीन उत्पाद विस्कोस स्पन यार्न, एक मानव निर्मित फाइबर जिसमें ब्राइट/ सेमि-डल (अथवा उसका रूप), कर्ल्ड/ डायड, अनडायड और डोप डायड (अथवा उसका रूप), सिंगल/ डबल/ मल्टीपल/ फोल्डेड/ केब्लड (अथवा उसका रूप), सिंगल प्लाई अथवा डबल प्लाई (अथवा उसका रूप), 10 काउंट से 60 काउंट तक के यार्न रेंज के काउंट वाले वेक्स्ड अथवा नॉन वेक्स्ड विस्कोस स्पन यार्न के सभी प्रकार के रूप वाले मानव निर्मित फाइबर हैं। इस उत्पाद की बिक्री सामान्य यार्न अथवा सुलभ यार्न के रूप में की जा सकती है।

घ) विस्कोस स्पन यार्न का उपयोग परिधानों में अनंत: उपयोग के लिए उत्पादन के वास्ते विविंग (वार्प/ वेफ्ट) अथवा निटिंग (होजियरी) के लिए किया जाता है।

ङ) इस उत्पाद का निर्माण तीन अलग अलग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जाता है –

i. रिंग स्पन टेक्नोलॉजी – रिंग स्पिनिंग टेकनोलॉजी;

ii. ओपन एंड स्पन टेक्नोलॉजी – रोटर स्पिनिंग टेकनोलॉजी;

iii. एयर-जेट स्पिनिंग टेक्नोलॉजी – "एयरजेट" टेकनोलॉजी की आपूर्ति मुराता, जापान द्वारा की जाती है। इसे वोटेक्स टेकनोलॉजी (मुराता वोटेक्स सिस्टम) के रूप में जाना जाता है और इसकी आपूर्ति राइटर टेकनोलॉजी, स्विटजरलैंड के द्वारा की जाती है और उसे कंफरजेट के रूप में जाना जाता है।

च) आवेदक द्वारा उत्पादन किये गये वस्तु संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है क्योंकि वे भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों ने आयात किये गये उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

छ) घरेलू उद्योग डबल यार्न तथा मल्टी यार्न का उत्पादन करता है और उसकी आपूर्ति करता है तथा इसे बाहर रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, सिंगल यार्न और डबल अथवा मल्टी यार्न का उत्पादन करने के लिए उपयोग की गई उत्पादन की प्रक्रिया और स्पिनडल एक जैसा है। याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्राधिकारी के समक्ष पहले ही पी सी एन वार आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा विचाराधीन उत्पाद के सभी विभिन्न प्रकारों के ब्यौरे उपलबध कराये जाते हैं और प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सकता है।

ज) घरेलू उत्पादक एयरजेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। एयरजेट प्रौद्योगिकी में वोरटेक्स और कंफरजेट दोनों प्रौद्योकियां शामिल हैं।

झ) डायड वी एस वाई को बाहर रखने के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि यद्यपि डायड वी एस वाई का आयात भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है, घरेलू उद्योग डायड वी एस वाई का उत्पादन और आपूर्ति करता है। इस प्रकार से इसे बाहर रखे जाने के लिए कोई औचित्य नहीं है।

ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

6. निर्यातकों/ उत्पादकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पी यू सी के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क) विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा की जानी चाहिए। डबल यार्न अथवा मल्टी-यार्न उत्पादन की प्रक्रिया और कीमतों के संदर्भ में सिंगल यार्न से काफी हद तक अलग है। चूंकि घरेलू उद्योग डबल यार्न अथवा मल्टी यार्न का उत्पादन नहीं करता है अत: उसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके आयातों से क्षति नहीं होगी।

ख) एयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किये गये वी एस वाई को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग के पास मामूली उत्पादन क्षमताएं हैं और इस प्रकार के उत्पाद का उपयोग केवल फेशन फेब्रिक के लिए किया जाता है।

ग) डाई किये हुए वी एस वाई को पी यू सी से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका भारत में आयात नहीं किया गया है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में पी यू सी विस्कोस रेयन स्पन यार्न है जिसमें खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत न की गई सिलाई के धागे को छोड़कर कृत्रिम विस्कोस स्टेपन फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।

8. इस उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क शीर्ष 55101110 और 55101210 के अंतर्गत किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद का आयात 55101190, 55101290, 55109010 और 55109090 के अंतर्गत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूचक है और यह जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग डबल अथवा मल्टी यार्न का उत्पादन और बिक्री नहीं करता है। हालांकि घरेलू उद्योग ने डबल यार्न और मल्टी यार्न की बिक्री से संबंधित बिक्री बीजकों के रूप में साक्ष्य उपलब्ध कराया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि डबल यार्न और मल्टी यार्न को पी यू सी के दायरे से बाहर नहीं रखा जाये।

10. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि ऐयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किये गये वी एस वाई को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग के पास मामूली उत्पादन क्षमताएं हैं और इस प्रकार के उत्पाद का उपयोग केवल फेशन फेब्रिक के लिए किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं ऐयरजेट प्रौद्योगिकी का उपयोग भारत में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ऐयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किये गये वी एस वाई का उत्पादन संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि पी यू सी के दायरे से ऐयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किये गये वी एस वाई को बाहर नहीं रखा जाये।

11. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रंगे हुए वी एस वाई को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका आयात भारत में नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रंगे हुए वी एस वाई का भारत में आयात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग उसका उत्पादन भी कर रहा है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से रंगे हुए वी एस वाई को बाहर नहीं रखा जाये।

12. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये उत्पाद संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इनका उपयोग किया है और इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयात किये गये उत्पाद का समान वस्तु है।

उत्पादन लागत कीमत तुलना के लिए अपनायी गई पी सी एन प्रणाली

13. प्राधिकारी ने दिनांक 19 फरवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से एक पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव किया है और संबद्ध देशों से उन पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 4 मार्च, 2020 को हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के उद्देश्य से निम्नलिखित पी सी एन पद्धति अधिसूचित की।

क्र. सं.	विवरण	प्रकार	कोड
1.	टेक्नोलॉजी	रिंग, वोरटेक्स एंड ओपन इंड	रिंग = "आर" एयरजेट = "ए" ओपन एंड = "ओ"

2.	काउंट	काउंट रेंजिंग फ्रार्म एन ई 12/1 से 60/1 काउंट रेंजिंग फ्रार्म एन ई 12/2 से 60/2	11-15 = 1 16-20 = 2 21-30 = 3 31-40 = 4 41-50 = 5 51-60 = 6
3.	प्ले ऑफ यार्न	सिंगल एंड डबल प्ले(1 एंड 2)	सिंगल प्ले = एस डबल प्ले = डी मल्टी–प्ले यार्न = एम
4.	वाक्स/ नॉन वाक्स	वाक्स्ड एंड अनवाक्स्ड (एन एंड डब्ल्यू)	वाक्स्ड = डब्ल्यू अनवाक्स्ड = यू
5.	फाइबर टाइप	विस्कोस के प्रकार	विस्कोस ब्राइट = वी बी विस्कोस सेमी –डल = वाइ एस फायर रिटरडेंट = एफ आर मॉडल = एम ओ टेनसेल = टी एल माइक्रो मॉडल = एम एम बम्बू फाइबर = बी ए माइक्रो = एम टी
6.	डायनिंग टायर	अनडायड, डायड और डोप डायड	अनडायड = यू डायड = डी डोप डायड = डी डी
7.	विशिष्ट गुण	सामान्य यार्न	नार्मल यार्न = एन वाई
		स्लब	स्लब = एस एल

14. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को पी सी एन वार आंकड़े उपलब्ध कराये हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और आधार

घ. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

15. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से द इंडियन मैनमेड यार्न मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। निम्नलिखित कंपनियों ने अपने वित्तीय और क्षति संबंधी आंकड़े दिये हैं :

क. मैसर्स अरुणाचल गाउण्डर टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि.

ख. मैसर्स चेरन स्पिनर प्रा. लिमि.

ग. मैसर्स चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

घ. मैसर्स मोथी स्पिनर प्रा. लिमि.

ङ. मैसर्स पालवा टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.

च. मैसर्स श्री चेरन सिंथेटिक्स इंडिया प्रा. लिमि.

छ. मैसर्स विक्टरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

ख. ये कंपनियां संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है।

ग. इस आवेदन का निम्नलिखित कंपनियों द्वारा स्वागत किया गया है -

i. मैसर्स अदावन स्पिनर्स प्रा. लिमि.

ii. मैसर्स भारथी स्पिनटेक्स इंडिया प्रा. लिमि.

iii. मैसर्स चेनधूर मुरुगन यार्न टेक्स इंडिया प्रा. लिमि.

iv. मैसर्स धनलक्षमी सिंथेटिक्स प्रा. लिमि.

v. मैसर्स धरणी कॉटन मिल्स प्रा. लिमि.

vi. मैसर्स सरवनगिरि स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

vii. मैसर्स जी एम बी टेक्सटाइल्स मिल्स इंडिया लिमि.

viii. मैसर्स हरिकृष्णा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

ix. मैसर्स हरिधरन स्पिनर्स (इंडिया) प्रा. लिमि.

x. मैसर्स के. पी. एन. टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि.

xi. मैसर्स के के पी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

xii. मैसर्स के के पी टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.

xiii. मैसर्स कुमारागिरि स्पिनर्स (प्रा.) लिमि.

xiv. मैसर्स मीनाक्षी टेक्सटाइल मिल्स

xv. मैसर्स एन के सी एम स्पिनर्स प्रा. लिमि.

xvi. मैसर्स पवाथल स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

xvii. मैसर्स प्रिंस यार्न इंडिया लिमि.

xviii. मैसर्स श्री जया मारुथी यार्न इंडिया प्रा. लिमि.

xix. मैसर्स श्री संथाना लक्ष्मी स्पिनर्स प्रा. लिमि.

xx. मैसर्स वी. थंगावेल एंड सन्स (प्रा.) लिमि.

xxi. मैसर्स वेदागिरि हाई-टेक स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

xxii. मैसर्स वी एस टी स्पिनटेक्स इंडिया प्रा. लिमि.

घ. जांच की शुरुआत के बाद इस आवेदन का समर्थन निम्नलिखित कंपनियों द्वारा किया गया है -

क. मैसर्स श्री हरिप्रसाद टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.

ख. मैसर्स शिव गणेश स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमि.

ग. मैसर्स सरानया स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लिमि.

घ. मैसर्स मेहला हिल्स

ङ. मैसर्स अकवि स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

च. मैसर्स एस एस पी ई कॉटन मिल्स प्रा. लिमि.

छ. मैसर्स श्रीहरिवल्लभाई स्पिनर्स प्रा. लिमि.

ङ. सार्वजनिक रूप से सूचना के उपलब्ध न रहने के कारण आवेदकों ने कच्चे माल के प्रमुख निर्माता अर्थात विस्कोस स्टेपल फाइबर के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अनुमानित सकल घरेलू उत्पादन और भारत में कच्ची सामग्री के आयातों का अनुमान लगाया है।

च. याचिकाकर्ता संघ ने इस आवेदन के साथ प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार सभी आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है।

छ. यह संघ अधिकांश वी एस वाई उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है जो इरोड के भौगोलिक क्षेत्र और उसके आस पास स्थित है। यह क्षेत्र विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों का प्रमुख केंद्र है। इरोड और उसके आस पास के क्षेत्र में वी एस वाई उत्पादकों का क्लेस्टर भाई उद्योग के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

ज. याचिकाकर्ता कंपनियों का अकेला 25 प्रतिशत से अधिक उत्पादन है और वे नियम 5 के संदर्भ में इस आवेदन को बनाये रखने के लिए पात्र हैं।

झ. विश्व व्यापार संगठन का पाटनरोधी करार अथवा भारतीय निमयावली कुल भारतीय उत्पादन और घरेलू उद्योग के आधार का निर्धारण करने के लिए किसी विशिष्ट तंत्र का प्रावधान नहीं करता है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग खंडित और यत्र तत्र फैला हुआ है और उसमें लघु और मध्यम उपक्रम शामिल हैं। न तो सरकारी प्राधिकारियों और न ही किसी निजी संस्था विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन का कोई रिकार्ड प्रकाशित करता है अथवा उपलब्ध कराता है। इस कारण से यह उद्योग विभिन्न अन्य मामलों में प्रकारणीय घरेलू उद्योग की तुलना में संरचना और ढांचे के मामले में बिलकुल अलग अलग है।

ञ. ल्यूब्रिज़ोल (इंडिया) प्रा. लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट का फैसला स्पष्ट रूप से "प्रमुख अनुपात" के अर्थ को दर्शाता है और यह आवेदन उस जांच में सफल होता है।

ट. इस उत्पाद के साथ 7 याचिकाकर्ता कंपनियां और 29 घरेलू उत्पादक हैं जिन्होंने जांच और शुल्क लगाये जाने का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। समर्थकों के साथ आवेदक जांच की शुरुआत के चरण में कुल भारतीय उत्पादन का 47 प्रतिशत था। इसके अलावा या तो जांच की शुरुआत के चरण में अथवा उसके बाद किसी समय में इस आवेदन का कोई विरोध नहीं हुआ था।

ठ. आवेदक संघ ने अपने सदस्यों जो संबद्ध वस्तु का निर्माण करते हैं और वे सदस्य जो संबंध वस्तुओं के आयातक हैं, की कुल संख्या के संबंध में सूचना नहीं दी है।

ड. इस आवेदन का विशिष्ट रूप से इस उत्पाद के अनेक घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थन किया गया है।

ढ. आवेदक संघ ने देश में इस उत्पाद के सभी ज्ञात निर्माताओं/ उत्पादकों जो पाटित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुक लगाया जाना जाते हैं वो पत्र लिखा है। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाने, इस आवेदन/ जांच का विरोध नहीं किया है।

ण. इस संघ में कॉटन फाइबर, पोलियस्टर स्टेपल फाइबर, पोलिस्टर स्टेपन यार्न आदि के मिश्रित यार्न का उत्पादक है। लेकिन यह तथ्य पूर्ण रूप से गलत है। वास्तव में याचिकाकर्ता कंपनियां भी बाजार में मांग के अनुसार कॉटन फाइबर, पोलिस्टर स्टेपल फाइबर पोलिस्टर स्पेन यार्न आदि के ब्लेंड का उत्पादन करने में सक्षम हैं। वी एस वाई के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया स्पिलेंडर को अन्य प्रकारों के यार्न के लिए उपयोग किया जा सकता है और कॉटन फाइबर, पोलिस्टर स्टेपल फाइबर, पोलिस्टर स्टेपन यार्न के मिश्रित यार्न का उत्पादन करने के लिए कोई अलग उत्पादन सुविधा अपेक्षित नहीं है। हालांकि, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए तैयार की गई है।

त. यदि यह माना जाता है कि कुल भारतीय उत्पादन का आवेदकों द्वारा (एन पी यू सी में खपत किये जा रहे वी एस एफ पर विचार नहीं कर रहा) अधिक अनुमान लगाया है। घरेलू उद्योग का आधार बल्कि उच्चतर है।

थ. आवेदक ने उन कंपनियों की सूची भी प्रस्तुत की है जिन्होंने क्षति का सामना किया है और विचाराधीन उत्पाद का निर्माण रोक दिया है तथा अपने स्पिनडल को अन्य उत्पादों के लिए उपयोग किया है अथवा उसकी ओर विपथित किया है।

द. ग्रासिम के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी सी आई) द्वारा निम्नलिखित भेदभाव पूर्ण कीमत निर्धारण का दोषी ठहराने के संबंध में अनुरोध संगत नहीं है और यह गलत है और उक्त निर्णय का वर्तमान पाटनरोधी जांच से कोई संबंध नहीं है। सी सी आई द्वारा या तो याचिकाकर्ता कंपनियों के विरुद्ध अथवा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करने के लिए वी एस एफ उत्पादन के लिए ग्रासिम द्वारा किये गये ब्रिकी की सीमा इन आंकड़ों पर विश्वास है

ध. वर्तमान जांच 14 जनवरी, 2020 को शुरू की गई थी जबकि सी सी आई की रिपोर्ट 16 मार्च, 2020 को प्रकाशित की गई। इसके अलावा सी सी आई के जांच परिणाम का प्राधिकारी को ग्रासिस द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों पर कोई प्रभाव है क्योंकि सी सी आई की रिपोर्ट भी केवल ग्रासिम द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों पर आधारित है।

घ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. संघ ने फा. सं. 14/44/2016 – डी जी ए डी के माध्यम से परिचालित अनुदेशों के अनुसार पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है। संघ के सभी सदस्य न तो याचिकाकर्ता कंपनियों का हिस्सा हैं और न ही उन्होंने स्पष्ट रूप से इस आवेदन का समर्थन किया है। इस तथ्य का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि संघ में 80 प्रतिशत उत्पादक हैं और वास्तव में यह इरोड और त्रिरुचेनगोड जिले में कुछ उद्योग से संबंधित हैं।

ख. कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और बैठक का कार्यवृत्त उपलब्ध कराया गया जिसमें इसके सदस्यों ने इस आवेदन को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था।

ग. इस आवेदन में कॉटन फाइबर, पोलिस्टर स्टेपल फाइबर, पोलिस्टर स्टेपल यार्न आदि के मिश्रित यार्न के उत्पादक हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार से आवेदक ने इन दोनों को अलग अलग किया है।

घ. आधार में परिवर्तन इस तथ्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि किस प्रकार से प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के पूर्व सूचना की सटीकता और पर्याप्तता के बारे में अपने आप को संतुष्ट किया है।

ङ. यह आवेदन घरेलू उद्योग का प्रतिनिधिक नहीं है और इस कारण से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है। केवल 25 प्रतिशत की आरंभिक सीमा को पार करने का वास्तव में यह अर्थ नहीं होता है कि नियमावली 2(ख) के अंतर्गत अन्य शर्तों और 'एक प्रमुख अनुपात' की जांच करने पर संतुष्टि हो गई है।

च. केवल 7 लघु उत्पादक (संदिग्ध 29 प्रतिशत हिस्से के साथ) भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थे जबकि शेष अन्य बड़े उत्पादक भारत के अन्य क्षेत्रों में स्थित थे।

छ. आवेदक ने मैसर्स ग्राफिक इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा वी एस वाई के कुल उत्पादन की गणना करने के लिए उपलब्ध कराये गये वी एस एफ की बिक्री आंकड़ों पर विश्वास किया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग द्वारा पी यू सी के कुल उत्पादन का निर्धारण करने के लिए 1:0.98 के अनुपात में विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत मानदंड लागू किया है। ग्रासिम द्वारा वी एस एफ की कुल बिक्री संबंधी आंकड़े वी एस वाई के ऐसे उत्पादकों जो 100 प्रतिशत वी एस वाई का उत्पादन करते हैं, को वी एस एफ की बिक्री से संबंधित है। इस कारण से अस्पष्ट तौर पर आंकड़ों का सेट वी एस वाई का ऐसे उत्पादकों जो ब्लेंडेड वी एस वाई का उत्पादन करते हैं और जिसमें 85 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम वी एस एफ है, द्वारा वी एस एफ की कुल खपत रह जाती है। इसके अलावा, ग्रासिम ने वी एस वाई के सभी निर्माताओं के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

ज. संबद्ध उत्पाद का उत्पादन वास्तविक नहीं है और यह उस मान्यता पर आधारित है जो न केवल सही नहीं है बल्कि भ्रामक भी है क्योंकि ऐसा कोई सत्यापन नहीं है कि किसी अवधि में खरीदे गये सभी कच्चे माल की खपत उसी अवधि में की जायेगी। इसका अर्थ यह है कि यह संभव है कि जांच की अवधि में खरीदी गई सामग्री के कुछ हिस्से का उपयोग जांच की अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा। वास्तविक उत्पादन नहीं होने की स्थिति में कानूनी आधार को सही तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार से इसके फलस्वरूप वर्तमान जांच की समाप्ति अथवा शिकायत को अस्वीकार करना पड़ेगा।

झ. ग्रासिम दोहरी कीमत निर्धारण की अपारदर्शी कार्यपद्धति का अनुसरण करता है जबकि बीजक ग्राहकों को अपनी छूट संबंधी नीतियों को प्रकट करने से इनकार करता है। सी सी आई ने यह माना कि ग्रासिम घरेलू स्पिनर की श्रेणी को बी एस एफ की आपूर्ति करता रहा है और अलग अलग कीमतों पर मान्य निर्यात की श्रेणी जो सामान्य तौर पर घरेलू श्रेणी में स्पिनरों के लिए भेदभावपूर्ण और असुविधाजनक है। इसके साथ ही ग्रासिम उन स्पिनरों जिन्हें अपेक्षित छूट दिये जाने के पूर्व अपने मासिक उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए स्पिनरों को मजबूर कर अपनी नीति के अनुसार इससे खरीदे गये बी एस एफ को यार्न में परिवर्तित नहीं करता हुआ पाया गया था, के विरुद्ध स्पिनरों के उत्पादन का नियंत्रण कर रहा था और स्पिनरों के विरुद्ध भेदभाव कर रहा था तथा स्पिनर उत्पादन किये गये उत्पादों और न कि केवल खपत किये गये वी एस एफ का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था।

ञ. ग्रासिम इण्डोनेशिया में तीन उत्पादकों से संबंधित है जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उन्हें सहयोगी के रूप में माने जाने की संभावना बहुत अधिक है। उनके आंकड़े विश्वास किये जाने लायक नहीं हैं। उन्होंने भारत को निर्यात की कीमत की योजना अवश्य बनाई होगी क्योंकि वे आगामी जांच के लिए ग्रासिम द्वारा पूर्ण रूप से तैयार किये गये थे।

ट. कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान पी यू सी और गैर पी यू सी में वी एस एफ के उत्पादन और उपयोग का कोई प्रमाण दिये बिना ग्रासिम की असत्यापित सूचना के आधार पर लगाया गया है जबकि वी एस एफ के प्रयोक्ताओं के नामों और उसकी सूचना दिनांक 8 जुलाई, 2016 को बम्बू फाइबर को छोड़कर वी एस एफ पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अंतिम जांच परिणामों में प्रकट किया गया था।

ठ. सी सी आई ने अनुचित कीमत भेदभावपूर्ण कार्यपद्धति में लिप्त होने के लिए ग्रासिम पर जुर्माना लगया है और कुल भारतीय उत्पादन के लिए दिये गये आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

ड. कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण सही नहीं है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि निर्धारण के लिए आधार को प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारतीय उत्पादन वस्त्र मंत्रालय अथवा संबद्ध वस्तुओं के सरकारी संवर्धन परिषद अथवा कानून द्वारा स्थापित किये गये किसी प्राधिकारी से ली गई सूचना के आधार पर नहीं है।

ढ. प्रस्तुत किया गया समर्थन पत्र उन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है जिसका अधिदेश दिनांक 27 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 2018 के 13 में दिया गया है। समर्थन पत्र जिन्हें संलग्न किया गया था, स्पष्ट रूप से इस याचिका का समर्थन नहीं करते हैं। घरेलू उत्पादकों को समर्थन करने का हिस्सा 25 प्रतिशत से कम है।

ण. दिये गये वी एस एफ के आयात संबंधी आंकड़े कॉमट्रेड सांख्यिकी आंकड़ों से अलग हैं।

त. ग्रासिम के इरोड और तिरुचेमगोड में कुछ लघु ग्राहकों द्वारा प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए एक संयुक्त आवेदन दिया गया हुआ लगता है और वी एस एफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण ग्रासिम द्वारा लिये गये कीमत संबंधी लाभ का संरक्षण करता है।

थ. घरेलू उद्योग से आयातकों को बाहर रखना तथा कुल उत्पादन स्वत: नहीं है। आयात करने वाले उत्पादकों के बारे में और वे जो निर्यातकों से संबंधित हैं उसके बारे में सूचना का स्रोत क्या है?

द. यदि विस्कोस स्पन यार्न के अन्य उत्पादकों का नाम बताया नहीं गया है तब इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि क्या विस्कोस स्पन यार्न के सभी उत्पादकों को भारत में कुल उत्पादन का निर्धारण करने के लिए शामिल नहीं किया गया है।

ध. घरेलू उद्योग आधार और घरेलू बाजार के हिस्से का निर्धारण करने में स्थिर नहीं है और यह समय समय अपने रुख में बदलाव करता रहा है। प्राधिकारी को उत्पादन के प्रतिशत में इन परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए था और यह विश्लेषण करना चाहिए था कि क्या 29 प्रतिशत ए डी ए के अनुच्छेद 4.1 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसरण में 'बड़ा अनुपात' होगा (ई सी फास्टनर्स (चीन) में ए बी रिपोर्ट पर विश्वास किया गया)।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. इस नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

18. घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मेनमेड यार्न मेनिफेक्चर्स एसोसिएशन द्वारा वर्तमान आवेदन दायर किया गया था। निम्नलिखित कंपनियों ने अपने वित्तीय और क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं :

क. मैसर्स अरुणाचल गाउण्डर टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लिमि.

ख. मैसर्स चेरन स्पिनर प्रा. लिमि.

ग. मैसर्स चोला स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

घ. मैसर्स मोथी स्पिनर प्रा. लिमि.

ङ. मैसर्स पालवा टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि.

च. मैसर्स श्री चेरन सिंथेटिक्स इंडिया प्रा. लिमि.

छ. मैसर्स विक्टरी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लिमि.

19. आवेदक संघ ने यह अनुरोध किया कि अपने सदस्यों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है। हालांकि, संघ ने जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन की कोई निश्चित मात्रा यह तर्क देते हुए नहीं दी है कि उत्पादन से संबंधित सूचना संघ द्वारा संकलित अथवा संघ रहित नहीं की गई है और न ही संघ द्वारा उक्त सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए इस उद्देश्य से मांगी गई है।

20. हालांकि संघ ने यह अनुरोध किया कि इसने संघ के 50 सदस्यों को दिनांक 12 नवंबर, 2019 को एक पत्र उन्हें यह सूचित करते हुए भेजा था कि कम कीमत पर आयातों से विस्कोस स्पन यार्न के घरेलू उत्पादकों द्वारा उठाई जा रही बहुत अधिक क्षति को देखते हुए, संघ ने "विस्कोस स्पन यार्न" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की मांग करने का निर्णय लिया है और उन्हें यह बताने के लिए कहा गया है कि क्या उन्होंने शुल्क को लगाये जाने के लिए इस याचिका का समर्थन किया अथवा विरोध किया और यह कि क्या उन्होंने कंपनी के प्रचालनों के बारे में संगत सूचना दी है अथवा नहीं।

21. चालीस (40) घरेलू उत्पादकों ने इस आवेदन का समर्थन किया है और या तो जांच की शुरुआत के चरण में अथवा उसके बाद जांच की प्रक्रिया के दौरान किसी समय इस आवेदन को प्रस्तुत करने का कोई विरोध नहीं किया गया था।

22. 40 समर्थकों में से 22 घरेलू उत्पादकों ने समर्थन पत्र अलग से प्रस्तुत किया है और जांच की शुरुआत के समय में आरंभिक और अंतिम भंडार के अलावा अपनी क्षमता (स्पिनडल और मी. ट.), उत्पादन, घरेलू बिक्री (मात्रा और मूल्य में) और निर्यात बिक्री (मात्रा और मूल्य में) के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

23. जांच की शुरुआत के बाद, 7 अतिरिक्त कंपनियों ने जांच की शुरुआत के समय में आरंभिक और अंतिम भंडार के अलावा अपनी क्षमता (स्पिनडल और मी. ट.), उत्पादन, घरेलू बिक्री (मात्रा और मूल्य में) और निर्यात बिक्री (मात्रा और मूल्य में) के संबंध उपलब्ध कराई है।

24. चूंकि भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई ठोस सूचना या तो इन संघों अथवा किसी एजेंसी के द्वारा संकलित नहीं की गई है अथवा उनके पास उपलब्ध नहीं है जिसे सार्वजनिक सूचना के रूप में प्राप्त किया जायेगा; वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने भारत में कुल उत्पादन और जांच की शुरुआत के चरण में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादकों के आधार का निर्धारण करने के उद्देश्य से उपलब्ध सूचना पर विश्वास करने के लिए इसे उपयुक्त माना है। प्राधिकारी खंडित उद्योग जैसा कि वर्तमान मामले में है, के मामले में सकल घरेलू उत्पादन की मात्रा बताने में कठिनाइयों को मानता है। यह देखा जाता है कि कम से कम 150 उत्पादक हैं जो या तो ग्रासिम से कच्चे माल की खपत कर रहे हैं अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए उसका आयात कर रहे हैं। प्रति कंपनी औसत उत्पादन 1-2 प्रतिशत होता है और इस प्रकार भारतीय उत्पादन की तुलना में प्रत्येक उत्पादक के लघु आकार को दर्शा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कोई घरेलू उत्पादक न केवल वी एस वाई बल्कि अन्य प्रकार के यार्नों का भी उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रमुख कच्चे माल के रूप में विस्कोस स्टेपल फाइबर अपेक्षित है (जबकि परिभाषा के अनुसार विस्कोस स्टेपल फाइबर वजन से कम से 85 प्रतिशत होना चाहिए, वास्तव में विचाराधीन उत्पाद 100 प्रतिशत विस्कोस है)। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, घरेलू उत्पादन का निर्धारण देश में कच्चे माल की खपत के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकारी ने कच्चे माल की खपत के आधार पर भारतीय उत्पादन का आकलन किया है जैसा कि समान परिस्थतियों में प्राधिकारी द्वारा विगत में भी किया गया था। इसके अलावा, इस प्रकार के खंडित उद्योग में उत्पादकवार कच्चे माल की खपत सुनिश्चित करने में सामना की जा रही दिक्कतों को देखते हुए, ऐसी स्थितियों में खपत का निर्धारण अथवा उसकी प्राप्ति विभिन्न स्रोतों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति पर विचार करते हुए किया जाता है। चूंकि मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस देश में कच्चे माल का एकमात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता है अत: विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयातों के साथ इसकी सूचना विस्कोस स्पन यार्न के उत्पादकों को विस्कोस स्टेपल फाइबर के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में माना जा सकता है।

25. हितबद्ध पक्षकारों ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमि. के संदर्भ में सी सी आई द्वारा दिये गये निर्णय का हवाला दिया है। हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त जांच और निर्णय का इस कंपनी द्वारा बेचे गए विस्कोस स्पेटल फाइबर की मात्रा के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई सूचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी ने पी यू सी और गैर पी यू सी के निर्माण के लिए भारत में विभिन्न पक्षकारों को दिये गये विस्कोस स्टेपल फाइबल की बिक्री का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। इस प्रकार ग्रासिम उद्योग द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये किया गया है। इसके अलावा आयातों के संबंध में सूचना डी जी सी आई एंड एस की प्रकाशित सूचना से की गई है। एकमात्र भारतीय उत्पादक मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति और उसके आयातों के आधार पर, जांच की अवधि के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा घोषित खपत मानदंड के आधार पर संबद्ध वस्तुओं का कुल घरेलू उत्पादन *** मी. ट. (*** प्रतिशत) और वह मानक इनपुट – आउटपुट मानदंड के आधार पर *** मी. ट. (*** प्रतिशत) है और दोनों स्थितियों में याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक आवेदन के किसी समर्थक के बिना भी कुल घरेलू उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक है। यह नोट किया जाता है कि यदि उत्पादकों का उत्पादन जिन्होंने समर्थन पत्र दिया है (कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ बिना आंकड़ों के) तब इन्हें एक साथ लिये जाने पर कुल भारतीय उत्पादन का करीब करीब 65 प्रतिशत है।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय के संबंध में वर्तमान जांच संगत नहीं है क्योंकि कुल भारतीय उत्पादन का आकलन और घरेलू उद्योग के आधार का जहां तक संबंध है। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के द्वारा इस उत्पाद का कीमत निर्धारण से सी सी आई के निर्णय का संबंध है और यह जहां तक कुल भारतीय उत्पादन का आकलन और घरेलू उद्योग के आधार का प्रश्न है वर्तमान जांच के क्षेत्र से परे है। वर्तमान जांच विस्कोस स्पन यार्न और न कि विस्कोस स्टेपन फाइबर से संबंधित है। भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना प्राधिकारी द्वारा ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा आपूर्ति किये गये विस्कोस स्टेपन फाइबर की बिक्री मात्रा के आधार पर लिया गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई अन्य सूचना वर्तमान जांच में नहीं दी गई है।

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह वांछनीय है कि आवेदन का समर्थक व्यापार सूचना 13/2018 में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना देता है। समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के लिए व्यापार सूचना 13/2018 में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सूचना प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि क्या समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों को भी क्षति हुई है यदि इस प्रकार के घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल नहीं भी किया जाता हो। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में संगत सूचना नहीं दी है, लेकिन फिर भी इस आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे समर्थकों को 'विरोधी' के रूप में नहीं माना जा सकता है।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग जिसने क्षति के संबंध में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है, का उत्पादन जांच की शुरुआत के चरण में और उसके बाद भी भारतीय उत्पादन का बड़ा अनुपात है।

29. संघ ने व्यापार सूचना के अंतर्गत यथानिर्धारित संगत ब्यौरे उपलब्ध कराये हैं और शुल्क लगाये जाने के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु पारित प्रस्ताव की एक प्रति उपलब्ध कराई है।

30. इस तर्क के संबंध में कि संघ के सदस्य वर्तमान जांच के अधीन शामिल न किये गये उत्पादों में भी संलग्न हैं, यह नोट किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि संघ के सदस्य अन्य उत्पादों में लगे हुए हैं तथा उसका आशय यह नहीं है कि संघ पी यू सी के संबंध में इस मामले को शुरू नहीं कर सकता है। प्राधिकारी ने केवल पी यू सी से संबंधित सूचना पर विचार किया है और अन्य उत्पादों से संबंधित सूचना पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक कंपनियों केवल पी यू सी के लिए सूचना उपलब्ध कराई है। भारतीय उत्पादन का आकलन कच्चे माल की खपत के आधार पर किया गया है।

31. जांच की शुरुआत के बाद, ग्रासिम उद्योग ने भारत में अलग अलग उपभोक्ताओं विस्कोस स्टेपन फाइबर की बिक्री का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराया है जो आगे जांच की शुरुआत के समय प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यतता का समर्थन करता है।

32. जहां तक वी एस एफ के आयात की मात्रा का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित सूचना को लिया है।

33. जहां तक सरकारी स्रोत से लिये जाने वाले कुल भारतीय उत्पादन की सूचना का प्रश्न है प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो किसी सरकारी एजेंसी न तो किसी निजी निकाय संगठन के पास इस प्रकार का कोई आंकड़े हैं।

34. उपर्युक्त से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भाग लेने वाले पात्र घरेलू उत्पादक का कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है और इस कारण से वह इस नियमावली के आशय से घरेलू उद्योग है। याचिकाकर्ता कंपनियां इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के पात्रता संबंधित मानदंडों को पूरा करते हैं और इस नियमावली के 5(3) के अंतर्गत आधार के मानदंड को पूरा करते हैं।

ङ. गोपनीयता

ङ. 1. घरेलू उद्योग का अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार इस आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में सभी आवश्यक सूचनाएं प्रकट की हैं और जांच की शुरुआत को सही बताते हुए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई है। आवेदक ने आवेदन के प्रपत्र के अंतर्गत यथाअपेक्षित सभी सूचना उपलब्ध कराई है।

ख. सूचीबद्ध सूचना जहां कहीं भी संभव हुआ दी गई है। क्षति का विश्लेषण आवश्यक रूप से प्रवृत्ति का विश्लेषण है, जिसे आसानी से आवेदन में दी गई विभिन्न मानदंडों की प्रवृत्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों ने पर्याप्त और पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार दिये जाने के बाद भी अगोपनीय रूपांतरण में पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है। उसका पूर्ण रूप से उद्देश्य इस जांच में

बाधा डालना और तेजी से निर्धारण के लिए आवश्यक आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराना है। इस नियमावली के नियम 6(8) के कारण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर अवश्य ही अस्वीकार किया जाना चाहिए और उसे असहयोगी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

घ. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने याचिका के अगोपनीय रूपांतर और अद्यतित आंकड़ों दोनों के लिए गोपनीयता के अपने दावे के वास्ते एक औचित्य तालिका प्रस्तुत की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना का अनुपालन दर्शाते हुए एक तालिका प्रस्तुत की है।

ङ. प्रपत्र क से ट में लागत और कीमत से संबंधित सूचना है जिसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, क्षति रहित कीमत एक गोपनीय संवेदनशील सूचना है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है।

च. घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी सभी मानदंडों को सूचीबद्ध रूप में और व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुरूप दिया गया है।

छ. क्षति रहित कीमत एक अत्यधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है और उसे वास्तविक आधार पर अथवा एक रेंज में भी प्रकट नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, निर्दिष्ट प्राधिकारी एन आई पी अथवा सामान्य मूल्य अथवा निर्यात कीमत को रेंज में भी प्रकट नहीं करते हैं।

ज. आवेदक ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के माध्यम से डी जी सी आई एंड एस की लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों का अगोपनीय रूपांतरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

झ. सामान्य मूल्य के वास्तविक आंकड़ों के प्रकटन से गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा क्योंकि यह सूचना तीसरे पक्षकार की सूचना में है। उसका एक पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

ङ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. अत्यधिक गोपनीयता का दावा दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018, 2018 का 13 और 2018 का 14 का उल्लंघन करते हुए किया गया है क्योंकि प्रपत्र एच याचिकाकर्ता कंपनियों के लिए दिया गया है और उसमें कोई सकल संख्या नहीं है अथवा सूचीबद्ध संख्या और अन्य आंकड़े खाली छोड़े गए हैं और कोई सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ई. एल. टी. 673 (एस. सी.) में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय पर विश्वास किया गया है।

ख. आवेदक ने व्यापार सूचना सं. 18/2018 के अनुसार क्षति रहित कीमत की रेंज और कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन नहीं दिया है।

ग. आयात संबंधी आंकड़ों का सारांश समग्र लेन देन वार डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को उपलब्ध कराये बिना दिया गया है।

घ. आवेदक उन उत्पादकों के नाम को प्रकट नहीं करते हैं जो संबद्ध उत्पादक के आयातक हैं और जो संबद्ध उत्पाद के निर्यातकों से संबंधित हैं। यह सूचना गोपनीय के रूप में नहीं मानी जा सकती है।

ङ. संबद्ध देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य गोपनीय रखा गया है और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

च. कोई भी सार्थक सारांश नहीं दिया गया है। आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि क्यों याचिकाकर्ता कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों के लिए, और प्रत्येक कंपनियों के कार्य निष्पादन संबंधी मानदंड, लागत से संबंधित सूचना, कच्चे माल की खपत, खर्च का आवंटन और विभाजन, घरेलू उद्योग के उत्पादन का पृथकरण और पी यू सी और एन पी यू सी की बिक्री, भंडार, रोजगार, निवेश, कीमत की प्रवृत्तियां, आयात सामग्री की कीमत की प्रवृत्ति के लिए सारांश संभव नहीं है।

ङ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

37. *सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-*

> *"गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*
>
> *(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

38. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है, प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है अथवा जिसे पक्षकारों द्वारा किसी जांच में गोपनीय आधार पर दी जाती है, सही कारण दर्शाये जाने पर उन्हें ऐसा माना जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना को इसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।

39. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावे पर विचार किया है और उसके बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध किये जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाले सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई है।

40. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है आवेदक कंपनियों द्वारा दी गई क्षति संबंधी सूचना व्यापार सूचना अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस सूचना को समुचित रूप से और पर्याप्त रूप से अगोपनीय रूपांतर में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, जब कभी आवेदक ने वास्तविक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, आवेदक ने उसके लिए कारण दिया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि इस प्रकार से गोपनीयता का दावा करने के लिए आवेदक द्वारा दिये गये कारण/ औचित्य उपयुक्त नहीं हैं।

41. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी क्षति रहित कीमत को गोपनीय सूचना के रूप में मानते हैं।

42. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि लेन देन वार आयातों का एक्सल फाइल के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया था, आयात आंकड़ों का साझा करने और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में दिया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किये गये आयात संबंधी अलग अलग आंकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है और (ii) हितबद्ध पक्षकार डी जी सी आई एंड एस से लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के द्वारा अपरिष्कृत लेन देन की मांग करने के लिए प्राधिकारी से अधिकरण की मांग कर सकता है। अलग अलग किये गये आयात संबंधी आंकड़ों की हार्ड कॉपी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घोषणा/ अंडरटेकिंग के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करायी गयी थी। हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने डी जी सी आई एंड एस से आयात संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया और व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार अंडरटेकिंग दी, को भी डी जी सी आई एंड एस से एक्सल फाइल में आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए अधिकरण किया गया था। इस प्रकार से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह

प्रक्रिया जिसे अब लागू किया जा रहा है सभी पक्षकारों और जांचों के लिए अनुरूप और एक जैसे हैं और उसमें हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए समुचित अवसर देने का प्रावधान है।

च. विविध अनुरोध

च. 1. घरेलू उद्योग का अनुरोध

43. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. प्राधिकारी ने इस आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सटीकता और समुचितता के संबंध में पहले ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया है। वास्तव में यह जांच पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी द्वारा अपने आप को संतुष्ट कर लिये जाने के बाद ही शुरू की गई थी।

ख. वर्तमान मामले में इस जांच की शुरुआत इस नियमावली के नियम 5 और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 5 की आवश्यकता को पूरा करने के बाद की गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए उचित रूप से दस्तावेज बनाये जाने के बाद किया गया था। हालांकि, जांच की शुरुआत करते समय, प्राधिकारी ने विस्तृत विश्लेषण के लिए 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 महीने) के रूप में जांच की की समय सीमा बढ़ाई है।

ग. प्राधिकारी छ: महीने से अठारह महीने के बीच जांच की अवधि पर विचार कर सकते हैं और जांच की अवधि को इस आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्ताव किये गये जांच की अवधि से आगे बढ़ाई जा सकती है अथवा उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हितबद्ध पक्षकार को प्राधिकारी के कार्यपद्धति की जानकारी नहीं है।

घ. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और शुल्क लगाना व्यापक जनहित में होगा।

ङ. यदि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों की जांच वर्तमान जांच की अवधि में की जाती है तब यह देखा जायेगा कि जांच की अवधि के दौरान औसत आयात कीमत 192 रु. प्रति किग्रा. थी। यदि 25 रु. प्रति किग्रा. के पाटनरोधी शुल्क पर विचार किया जाता है तब यह देखा जायेगा कि घरेलू उद्योग द्वारा इन कीमतों को पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक बढ़ाये जाने की स्थिति में (जो बाजार की शक्तियों और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए नहीं होगी) इस उत्पाद की कीमतों को पाटन के पूर्व की अवधि तक बढ़ाया जायेगा। उपभोक्ता इन कीमतों का भुगतान कर रहे थे और पिछले तीन वर्षों से इसमें वृद्धि कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने के कारण इसका कोई आधार नहीं है कि इस उत्पाद की कीमतें पाटनरोधी शुल्क को लगाये जाने की स्थिति में अनुचित रूप से अधिक हो जायेगा।

च. संबद्ध वस्तुओं का प्राथमिक रूप से उपयोग वीमेन्स वियर प्रमुख रूप से ऐथेनिंक वियर के निर्माण में किया जाता है। आवेदकों ने अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का निर्धारण किया है। ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को 333 डॉलर प्रति मी. ट. तक बढ़ाते हैं, यह देखा जायेगा कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की लागत में 0.2 प्रतिशत – 0.5 प्रतिशत तक वृद्धि होगी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी शुल्क की राशि तक इन कीमतों को बढ़ाने की स्थिति में (जिसकी होने की बहुत कम संभावना है) प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली होगा।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को क्षति होने से बचाने में मदद मिलेगी और यह बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा फिर से स्थापित करेगा।

ज. विस्कोस स्पन यार्न के अधिकांश उत्पादक एम एस एम ई में हैं। यह उद्योग कम कीमत पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है और यह बाजार में बने रहने के लिए अपने आप को कठिन पा रहे हैं। वर्तमान जांच में यह स्थिति गंभीर है और रिकार्ड पर प्रस्तुत की गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। इस उत्पाद के आयातों में क्षति की अवधि की तुलना में लगभग 25 गुणा वृद्धि हुई है अर्थात् यह 2000 मी. ट. से बढ़कर जांच की अवधि में 50,000 मी. ट. और केवल मार्च 2020 के महीने में 6300 मी. ट. हो गया है।

च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. प्राधिकारी के पास प्रथम दृष्टया जांच की शुरुआत के समय अप्रैल 2019 से दिसंबर, 2019 तक अर्थात् जांच की 9 महीने की पूरी अवधि के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य नहीं है। इस कारण से, प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार नहीं है।

ख. जांच की यह शुरुआत पाटनरोधी करार (ए डी ए) के अनुच्छेद 5.2 और 5.3 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है क्योंकि जांच की अवधि के लिये आंकड़े समुचित और सही नहीं थे, जिसके कारण जांच की अवधि के समायोजन की आवश्यकता थी और यह दर्शाया गया है कि इसके पास संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध – लंबित सूचना और आवश्यकता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं था।

ग. आवेदन में दिये गये आंकड़ों में अनेक कमियां और असंगताएं हैं जो वस्तुपरक जांच को रोकती है। घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी सूचना आवेदन में अलग-अलग स्थानों पर अलग अलग है (पृष्ठ सं. 38 – 39 और 462 - 463 में)। इसके अलावा, अनुच्छेद 73 और तालिका 5 पृष्ठ सं. 26 में खपत से संबंधित आयात अनुबंध क, प्रपत्र IV – क भाग 1 पृष्ठ 37 से अलग है।

घ. पंजीकरण प्रमाणपत्र, एसोसिएशन का उप-नियम और ज्ञापन, सदस्यों की संख्या, संघ का कार्यपालक निकाय/ प्रबंधन संरचना का ब्यौरा, बैठक का कार्यवृत्त, जिसमें एसोसिएशन द्वारा यह पारित किया गया था कि वह अपने कुछ/ सभी सदस्यों की ओर से पाटनरोधी याचिका दायर करे और उन सदस्यों की सूची जिन्होंने या तो इस याचिका का समर्थन किया है, विरोध किया है अथवा वह निष्पक्ष रहा है जैसे दस्तावेजों को आवेदक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये दस्तावेज वर्तमान जांच में और ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसोसिएशन में अनेक सदस्य हैं और ये सभी सदस्य याचिकाकर्ता कंपनियों का एक हिस्सा नहीं हैं।

ङ. 1000 से अधिक विद्युत करघा बुनकर मूल्यवर्धित फेब्रिक और अन्य फेब्रिक उपयोगों के निर्माण के लिए वी एस वाई का उपयोग कर रहे हैं जो पूरे देश में खंडित लघु उद्योग हैं और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि को बनाये रखने में सक्षम नहीं हैं। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इन कंपनियों को अप्रतिस्पर्धी बना देगा।

च. विस्कोस फेब्रिक्स में कच्चे माल की मूल्य श्रृंखला इंवरटिड है क्योंकि भारत में वी एस एफ का केवल एक उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है। बुनकर और स्पिनर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी फाइबर और यार्न पर दक्षिण एशिया के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्भर हैं। वी एस एफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी होने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पिनरों और बुनकरों के लिये प्रमुख कारणों में से एक है। यदि वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहन दिया जाना है तब फाइबर जैसे कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क को अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।

छ. भारत की सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे वस्त्र उद्योग में आम हित का मूल्यांकन करें और वी एस वाई पर शुल्क लगाने के पूर्व डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादों लगे हुए लाखों लोगों की जीविका पर विचार करें। इस भयानक प्रतिस्पर्धी वस्त्र उद्योग में बने रहने के लिए, उपभोक्ताओं के पास विकास के लिए अपेक्षाकृत सस्ते कच्चे माल की सतत् उपलब्धता होनी चाहिए जिससे कि वे बैंक के ऋण को पूरा कर सकें। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप श्रमिक और उनके परिवारों का रोजगार समाप्त हो जायेगा। यह आवश्यक है कि आयात किया गया कच्चा माल पूरे वर्ष के दौरान उपलब्ध होना चाहिए।

ज. भारत वी एस वाई उद्योग में लघु और मध्यम आकार के उपक्रम हैं। बाद में बढ़े स्तर पर विस्तृत आंकड़ों का अभाव है। नीति आयोग के अनुसार, भारतीय वस्त्र उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगारदाता है जो 4.5 करोड़ लोगों और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य 6 करोड़ लोगों प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। भारत वस्त्र और क्लोथिंग का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता और वस्त्र और अपैरल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक वस्त्र मत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार है। वी एस वाई जैसे यार्न सहित कच्चे माल की

प्रतिस्पर्धी आपूर्ति के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख इनपुट है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से कोविड-19 संकट के दौरान हानि होगी।

झ. शुल्क को अंतत: लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल और नीचे तक प्रभाव पड़ेगा और यह घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता का एकाधिकार बनायेगा क्योंकि आयात में गिरावट होगी और ये प्रयोक्ता उनकी इच्छा पर और उनकी दया पर निर्भर होंगे।

ञ. आयातक चाहते हैं वी एफ एफ पर शुल्क समाप्त हो और उस स्थिति में यार्न के आयात की स्थिति यार्न के आयातों पर किसी अतिरिक्त संरक्षण शुल्कों की आवश्यकता के बिना अपने आप कम हो जायेगा।

ट. विस्कोस यार्न के आयात को संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला और सबसे अधिक उल्लेखनीय रूप से कताई और बुनाई उद्योगों जो रोजगार के सृजन में योगदान करने वाले प्रमुख एम एस एम ई हैं, का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के समग्र संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

ठ. विस्कोस आधारित उत्पादों की मांग में पिछले पांच वर्षों 12 प्रतिशत से अधिक की दर से वृद्धि हुई है जबकि वी एस एफ की क्षमता और उत्पादन में केवल 2.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप फाइबर / यार्न में कमी आई है। भारत में समग्र विकास विश्व के शेष भागों से पिछड़ गया है जबकि भारत में विस्कोस की मांग में वृद्धि विश्व के शेष भागों से अधिक तेजी से हुआ है। वी एस एफ पर शुल्क के कारण और स्थानीय उद्योग के लिए मांग को पूरा करने के लिए, यार्न के आयात में वित्तीय वर्ष 2019 और वित्तीय 2020 के दौरान बढ़ती हुई मांग और उपलब्धता की कमी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वृद्धि हुई। यह स्थिति और आगे खराब होगी क्योंकि वी एस एफ में कोई नया क्षमता वर्धन नहीं हुआ है।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

45. प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस जांच की शुरुआत इस नियमावली के नियम 5 और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 5 की आवश्यकता को पूरा करने के बाद की गई थी।

क. हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए कोई सत्यापन योग्य आंकड़े और सूचना नहीं दी है।

ख. इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :

1. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग वूमेन वियर, प्रमुख रूप से ऐथेनिक वियर में ही किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग वस्त्र उपयोग के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। इस प्रकार, वस्त्र उद्योग के संबंध में समग्र रूप से अनुरोध संगत नहीं हैं।

2. जांच की अवधि को छोड़कर क्षति की अवधि के दौरान वी एस वाई की औसत कीमत *** प्रति किग्रा. रु. थी। प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद वी एस वाई की कीमत अभी भी इन कीमतों से कम रहेगी।

3. वी एस वाई के कारण लागत वी एस वाई से बनाये गये फेब्रिक्स की लागत का 0.25 – 0.75 प्रतिशत है।

4. जब वी एस वाई की कीमत में जांच की अवधि में *** रु. प्रति किग्रा. से *** रु. प्रति किग्रा. तक गिरावट आई तब इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बाजार में और व्यापक रूप से आम लोगों के लिए अंतिम फेब्रिक की कीमत में गिरावट आई। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वी एस वाई की खपत में काफी हद तक वृद्धि हुई।

5. जब वी एस वाई की कीमत में 2017-18 *** से 2017-18 *** तक औसत वृद्धि हुई, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बाजार में और व्यापक रूप से आम लोगों के लिए अंतिम फेब्रिक की कीमत में वृद्धि हुई। न ही इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि वी एस वाई की खपत में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई । इसके विपरीत, वी एस वाई के खपत में वृद्धि हुई जो यह बताती है कि फेब्रिक्स से बने फेब्रिक की खपत में वृद्धि हुई।

46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का लक्ष्य आवश्यक रूप से निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना तथा सभी स्टेकहोल्डरों को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ये शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करते हैं और न ही अंतिम उत्पादों की लागत में अन्यायोचित वृद्धि करते हैं। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं देना है और इस उत्पाद के उपभोक्ताओं को कोई अनुचित दिक्कत नहीं देना है। उपभोक्ता अधिकार के मामले के रूप में पाटित कीमतों पर विशेषकर जब इस प्रकार के पाटन के संबंध में यह पाया गया है कि इसने भारत में स्थापित उद्योग को क्षति पहुंचाई है, पर इस उत्पाद तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अनुचित पाटन को समाप्त करना है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से कम नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने से उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

47. इस अधिनियम धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप-नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ज. 1. घरेलू उद्योग का अनुरोध

48. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. चीन के आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15(ख) की यह आशय है कि नियम 15(क) के शर्त (ii) के प्रावधान चीन के आरोहण की तिथि से 15 वर्षों में समाप्त हो जायेगा। अन्य शर्तों में, इस अनुच्छेद के प्रावधान 15 वर्षों अर्थात् दिसंबर 2016 तक उपलब्ध रहेगा। यदि यह तर्क दिया जाये कि अनुच्छेद नियम 15(क) (ii) के प्रावधान पहले ही समाप्त हो गये हैं और इस कारण से उसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं और उन पर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए। इस कारण से प्राधिकारी चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कृपया निदेश दें कि अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधानों के अनुरूप, विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों और लागतों का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर देने वाले निर्यातक को यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागतों के कारकों को निर्यातक अथवा विचाराधीन उत्पादक द्वारा रखे गये रिकार्डों में उपयुक्त रूप से और पूर्ण रूप से दर्शाया गया है।

ख. थाईलैण्ड को चीन के उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के रूप में लिया जा सकता है। आवेदक थाईलैण्ड में इस उत्पाद की कीमत निर्धारण के संबंध में सत्यापन योग्य सूचना प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

ग. इण्डोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य उस कीमत के आधार पर लिया गया है जिस कीमत पर इण्डोनेशिया में उत्पादकों ने अपने घरेलू बाजार में खपत के लिए इस उत्पाद की बिक्री की है।

घ. प्राधिकारी ने वियतनाम बाजार को अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है। इस कारण से, वियतनाम को वर्तमान उद्देश्यों से एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।

ङ. आवेदक ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किये गये लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। चूंकि आयात कीमतें सी आई एफ मूल्य सामान्य कीमत होने के कारण, जबकि सामान्य मूल्य एक्स फैक्ट्री स्तर पर है निर्यात कीमतों का समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा खर्च, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क और मूल्यवर्धित कर (केवल चीन के लिए) का समायोजन किया गया है।

च. प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अपने आंकड़ों पर वह भी यदि सभी अर्थों में पूरा हो, पर विचार कर सकते हैं। आवेदक प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले निर्यातकों में से प्रत्येक निर्यातक के लिए निर्धारित निर्यात कीमत की फिर से जांच करें और उसका निर्धारण करें।

छ. आवेदक ने प्राधिकारी की स्थापित कार्यपद्धति के आधार पर निर्यात कीमत से समायोजन किया है। आवेदक ने निर्यात कीमत के लिए किये गये समायोजनों का किसी एकपक्षीय चयन पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, वास्तविक कीमत का समायोजन संबंधित उत्पादक की प्रोपराइटरी सूचना है और वह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

ज. याचिकाकर्ता द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों में दिये गये पाटन मार्जिन में कोई विसंगति नहीं है। जांच की अवधि को अत्यतीत करते समय सर्वप्रथम इण्डोनेशिया और फिर थाईलैण्ड को चीन जन. गण. और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य की संरचना के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में विचार करते समय डी जी सी आई एंड एस के अनुसार निर्यात कीमत में परिवर्तन के अनुसार पाटन मार्जिन में परिवर्तन हुआ है।

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. संबद्ध देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य गोपनीय रखा गया है और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ख. इण्डोनेशिया से निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में, आवेदक ने यह दावा किया है कि इण्डोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य की गणना उस कीमत के आधार पर की गई है जिस पर इण्डोनेशिया में उत्पादकों ने अपने घरेलू बाजार में पी यू सी की बिक्री की है। यह आंकड़े पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं है क्योंकि आवेदक ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए और सामान्य मूल्य के निर्धारण को सही ठहराने के लिए कोई विश्सवनीय साख रिकार्ड पर नहीं लाये हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने थाईलैण्ड में बिक्री की कीमत से संबंधित सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं किया है जिसके आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। थाईलैण्ड प्रतिनिधिक देश नहीं हो सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया कारण संगत नहीं है और कोई कानूनी अथवा तथ्यात्मक समर्थन नहीं दिया गया कि ये उत्पाद एक जैसे है। थाईलैण्ड में केवल एक अथवा दो कम विकसित उत्पादक हैं और निर्यात भी बहुत कम है।

घ. चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि चीन के जनवादी गणराज्य के आरोहण संबंधी नवाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) समाप्त हो गया है।

ङ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे चीन जन. गण. के लिए एक प्रतिनिधिक बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में इण्डोनेशिया पर विचार करें क्योंकि प्राधिकारी सत्यापित सूचना प्राप्त करेंगे और इसके अलावा वी एस वाई पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने वाले करीब 20 उत्पादकों के साथ इण्डोनेशिया में एक विकसित उद्योग है।

च. पाटन मार्जिन को संबद्ध देशों से उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। तीन अलग अलग अनुरोधों में तीन अलग अलग पाटन मार्जिन यह दर्शाते हैं कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

छ. इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि किस प्रकार से आवेदक ने इण्डोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का विश्लेषण किया है।

ज. उत्तर देने वाले निर्यातकों ने इस जांच में सहयोग किया है। प्राधिकारी पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 और अनुच्छेद 2.2.1 के अनुसरण में रिकार्ड पर आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और प्रतिवादियों के पाटन मार्जिन की गणना कर सकते हैं [ई सी – फास्टनर्स (चीन) तथा अर्जेंटीना – सिरेमिक टाइल्स में पैनल बॉडी के निर्धारण में अपीलीय निकाय के टिप्पणियों पर विश्वास किया गया]।

झ. आवेदक ने बिना कोई सार्थक साक्ष्य दिये निर्यात कीमत में कटौतियों को उसका समर्थन करने के लिए स्वत: मान लिया है। सभी संबद्ध देशों के लिए समायोजनों का समान प्रतिशत का एकपक्षीय चयन अविश्वसनीय है। संयुक्त राज्य – कनाडा से सॉफ्टवुड नंबर पर अंतिम पाटन निर्धारण में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट – और संयुक्त राज्य में पैनल का निर्णय – कनाडा से सॉफ्टवुड नंबर पर अंतिम पाटन निर्धारण, डब्ल्यूटी / डीएस264 / आर पर अंतिम पाटन निर्धारण पर विश्वास किया गया है।

ञ. आवेदक ने उद्देश्यपूर्ण तरीके से डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किये गये समग्र आंकड़े समुच्चय को दिये बिना आयातों की मात्रा और आयात की कीमतों पर आंकड़ों का सारांश दिया है।

ट. आवेदक ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक प्रभार और हैंडलिंग प्रभार के कारण निर्यात कीमत के लिए किये गये समायोजनों का कोई आधार नहीं दिया है।

ठ. तिमाही आधार पर पाटन की गणना करना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों में जांच की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक उतार चढ़ाव आया है और यह जांच की अवधि की तीन तिमाहियों के दौरान 1.75 यू एस डॉलर प्रति किग्रा. से घटकर 1.25 यू एस डॉलर प्रति किग्रा. हो गया है।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं आवेदक ने प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति के अनुरूप अपने अनुरोधों का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया है।

51. थाईलैण्ड अथवा इण्डोनेशिया के आंकड़ों के लिए सूचना के स्रोत के संबंध में, आवेदक ने गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को उसके बारे में समुचित रूप से प्रकट किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वास्तविक आधार पर इस प्रकार की सूचना के प्रकटन से गंभीर हानि हो सकती है क्योंकि सूचना तीसरे पक्षकार की सूचना है।

52. जहां तक एक प्रतिनिधिक देश के रूप में थाईलैण्ड की उपयुक्तता का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि थाईलैण्ड की अनुपयुक्ता का तर्क देने वाले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया एकमात्र कारण उत्पादकों की कम संख्या और निर्यातों की कम मात्रा का मौजूद रहना है।

53. इस तर्क के संबंध में कि तीन अलग अलग अनुरोध तीन अलग अलग पाटन मार्जिन दर्शाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि को अत्यतित करते समय पाटन मार्जिन में डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत में परिवर्तन के अनुसार हुआ है।

54. जहां तक आवेदन में दावा किये गये कीमत संबंधी समायोजनों का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि कीमत समायोजनों की उपेक्षा भी की जाती है तब पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर है। इसके अलावा, उत्पादकों/

निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि आवेदक द्वारा दावा किये गये कीमत संबंधी समायोजन अत्यधिक नहीं हैं। आवेदक ने यह अनुरोध किया कि संगत सूचना विदेशी उत्पादकों की प्रोपराइटरी सूचना है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आवेदक के इस दावे का खण्डन नहीं किया गया है।

55. जहां तक तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन की गणना के लिए अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इण्डोनेशियन टेक्सटाइल एसोसिएशन (ए पी आई), मैसर्स पीटी. एम्बी प्लूमबूम टेकस्टिल, मैसर्स पीटी बिट्रेटेक्स इंडस्ट्रीज, मैसर्स पीटी प्रीमायूधा मंदिरजया, मैसर्स पी टी लोट्स इंध टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैसर्स पीटी सिनारपंतजा डाजजा, मैसर्स पीटी. श्री रोजेकिल्समन, टीबीके, मैसर्स पीटी अदिकेनकना महकोटाबुना, मैसर्स रोशनीलिम्पेक्स, मैसर्स गनामुरूगन टेक्सटाइल्स और मैसर्स इरोड विस्कोस रेयान फेब्रिक्स को छोड़कर, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तिमाही आधार पर तुलना की मांग नहीं की है और न ही उस तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया जो उत्पादन की लागत थी कि तिमाही निर्धारण की अनुमति देता हो। तिमाही आधार पर निर्धारण की मांग करने वाली कंपनी ने भी तिमाही आधार पर सभी संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

ज. सामान्य मूल्य का निर्धारण

सामान्य मूल्य का निर्धारण

ज. 1. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

56. विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश से संबंधित न्यायाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं : "गेट 1994 का अनुच्छेद VI, शुल्क और व्यापार पर सामान्य करार का अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के संबंध में करार 1994 ("पाटनरोधी करार") और एस सी एम करार निम्नलिखित के अनुरूप विश्व व्यापार संगठन के सदस्य में चीन के मूल के आयातकों को शामिल करते हुए कार्यवाहियों में लागू रहेगा :

"(क) गेट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों या ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित नहीं हो, का उपयोग करेंगे :

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में मौजूद हो, तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य कीमत की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे।

(ii) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य ऐसी कार्यपद्धति का उपयोग कर सकते हैं जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों से सही तुलना पर आधारित न हो यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से इस तथ्य को नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में तमाम उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं।

(ख) एस सी एम करार के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग), 14 (घ) में उल्लिखित सब्सिडी का समाधान करना हो, तब एस सी एम करार का संगत प्रावधान लागू होगा; हालांकि उसके प्रयोग में यदि विशेष दिक्कतें हों तब आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और उसका माप करने के लिए कार्यपद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं जो इस संभावना पर विचार करता हो कि चीन में मौजूदा शर्त और नियम उपयुक्त बेंच मार्क के रूप में हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता है। इस प्रकार की कार्यपद्धतियों को लागू करने में, जहां भी व्यवहार्य हो, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित शर्तों और नियमों के उपयोग पर विचार करने से पूर्व इस प्रकार की प्रचलित शर्तों और नियमों का समायोजन करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य (क) शासनरोधी प्रथाओं से संबंधित समिति को उप अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग किये गये कार्यपद्धतियों को अधिसूचित करेंगे और (ख) सब्सिडी और प्रतिकर उपायों से संबंधित समिति को उप अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग किये गये कार्य पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) जैसे ही चीन ने आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह सिद्ध किया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप अनुच्छेद (क) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जायेगा बशर्ते कि प्रवेश की तिथि का आयात करने वाला सदस्य हो। किसी भी स्थिति में उप अनुच्छेद (क) (ii) के प्रावधान प्रवेश की तिथि के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा, यदि चीन आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में यह सिद्ध करता हो की किसी विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित स्थितियां मौजूद हैं, उप अनुच्छेद (क) का गैर बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र पर अब लागू नहीं होंगे"

57. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गये हैं। आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिये जाने वाले सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किये जाने के लिए इस नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली का पूरक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

58. जांच की शुरुआत के चरण में, यह नोट किया गया था कि आवेदक ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की संरचना हेतु एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाईलैण्ड पर विचार करने का दावा किया था और थाईलैण्ड में कीमत से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई थी। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी। इसके अलावा, चीन जन. गण. के लिए एक प्रतिनिधिक देश के रूप में थाईलैण्ड के दावे की विस्तृत जांच लंबित रहने तक, प्राधिकारी ने इस जांच की शुरुआत के उद्देश्य से चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए भारत में भुगतान योग्य कीमत का विकल्प लिया था। तदनुसार, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की संरचना भारत में उत्पादन की लागत जिसे विधिवत समायोजि किया गया के आधार पर किया गया था।

59. हितबद्ध पक्षकारों ने एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में थाईलैण्ड पर विचार करने का विरोध किया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने एक उपयुक्त देश के रूप में इण्डोनेशिया पर विचार किये जाने का सुझाव दिया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि हालांकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसका कारण नहीं बताया है कि किस प्रकार से थाईलैण्ड और इण्डोनेशिया इस नियमावली से संबंधित एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

60. इस मामले के तथ्यों के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी लाभ जिसका निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च तथा उचित लाभ के लिये योग करने के बाद भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए किया गया है, को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं।

ज. 2 इण्डोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

61. इण्डोनेशिया से 15 उत्पादक और निर्यातक तथा सिंगापुर से एक संबंधित उत्पादक/ निर्यातक हैं जिन्होंने अपने उत्तर प्रस्तुत किये हैं। इन 15 उत्पादकों और निर्यातकों में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 10 उत्पादकों/ निर्यातकों अर्थात् पीटी नेटटेक्स प्रीमा, मैसर्स सनराइज भूमि टेक्सटाइल्स, मैसर्स पीटी इलेजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैर्स पीटी लोट्स इंध टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मैसर्स पीटी अदिकेनकना महकोटाबुना, पीटी. श्री रोजेकिल्समन, टीबीके, मैसर्स पीटी बिट्राटेक्स इंडस्ट्रीज, मैसर्स पीटी सिनार पंतजाडजजा, मैसर्स पीटी प्रीमायूधा

मंदिरजया और मैसर्स पीटी. एम्बी प्लूमबून टेक्सिटल के उत्तरों ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 05/2018 के अनुसार आंकड़े/ ब्यौरे नहीं दिये हैं। उन्हें एक अवसर दिया गया था लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। यह आंकड़े अपूर्ण रहते हैं और आंकड़ों में अंतर है। इस कारण से उन्हें 'सहयोगी' उत्पादकों/ निर्यातकों के रूप में नहीं माना गया है और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

62. इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मैसर्स पीटी इंडोलिबर्टी टेक्सटाइल्स, इण्डोनेशिया ने जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया था। इस कारण से मैसर्स पीटी इंडोलिबर्टी टेक्सटाइल्स इण्डोनेशिया के उत्तर पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में विचार नहीं किया गया है।

63. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके पात्र घरेलू बिक्री लेन देन पर किया गया है।

64. सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने हेतु, प्राधिकारी ने प्रत्येक पी सी एन के लिए संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत के संबंध में घरेलू बिक्री से संबंधित लेन देन करने वाले लाभ का निर्धारण करने हेतु व्यापार की जांच की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की। यदि विशेष पी सी एन के लिए लाभकारी लेन देन 80 प्रतिशत से अधिक हो तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन देन पर विचार किया है और उन मामलों में जहां विशेष पी सी एन के लिए लाभप्रद लेन देन 80 प्रतिशत से कम है, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिये किया गया है। जहां कहीं भी विशेष पी सी एन की कोई घरेलू बिक्री अथवा लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं हुई थी, सामान्य मूल्य की संरचना प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उचित योग्य के साथ उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया था।

ज. 3 वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

65. आवेदक ने एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में वियतनाम का दावा किया है। हालांकि, वियतनाम को भारत द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा वियतनाम के किसी भी उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक कं. लिमि.

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक कं. लिमि. (यिबिन स्पार्क) ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से और असंबंधित व्यापारी यूनाइटिड रॉ मेटेरियल पीईटी. लिमि. के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. का उत्पादन का और निर्यात किया। प्राधिकारी ने पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, अंतर्देशीय ढुलाई, बीमा, समुद्री भाड़े और बैंक प्रभार के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर यिबिन स्पार्क के लिए एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं. लिमि.

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं. लिमि. (यिबिन ग्रेस) ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से और एक असंबंधित व्यापारी यूनाइटिड रॉ मेटेरियल के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से और एक असंबंधित व्यापारी यूनाटिड रॉ मेटेरियल प्रा. लिमि. के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. निर्यात किया। प्राधिकारी ने अंतर्देशीय ढुलाई, हैंडलिंग प्रभार, बीमा और समुद्री भाड़े के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर यिबिन ग्रेस के लिए एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चीन जन. गण. से असहयोगी निर्यातक

68. चीन जन. गण. से असहयोगी निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत की गणना की है।

इण्डोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

69. जैसा कि उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किया गया है मलेशिया के चार सहयोगी उत्पादक/ निर्यातक हैं। इस कारण से प्राधिकारी इण्डोनेशिया के ऐसे उत्पादकों/ निर्यातकों अर्थात् पीटी मनुग्गल अदिपुरा, पीटी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल, पीटी डेल्टा मर्लिन सानडॉग टेकस्टिल और पीटी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल से ऐसे उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए शुल्क की अलग अलग दर का निर्धारण करते हैं।

70. प्राधिकारी ने चार इण्डोनेशिया उत्पादों/ निर्यातकों जिन्होंने अपेक्षित सूचना/ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यात किये हैं, की शुल्क की अलग अलग दर और निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पी टी मनुग्गल आदिपुरा

71. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान पीटी मनुग्गल आदिपुरा ने भारत को या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा यूनाटिड रॉ मेटेरियल पीटीई लिमि., सिंगापुर और टेक्सविस्टा के माध्यम के द्वारा विचाराधीन उत्पाद की ब्रिकी की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी मनुग्गल आदिपुरा ने भारत को प्रत्यक्ष रूप से और यूनाटिड रॉ मेटेरियल प्रा. लिमि., सिंगापुर के माध्यम से और टेक्सविस्टा के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. निर्यात किया। प्राधिकारी ने पीटी मनुग्गल आदिपुरा के लिए समुद्री भाड़े, बीमा और अंतर्देशीय ढुलाई के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पी टी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अथवा असंबंधित व्यापारी, फेनाटेक्स कं. लिमि. के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. निर्यात किया। प्राधिकारी ने पीटी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल के लिए हैंडलिंग प्रभार, अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पी टी डेल्टा मर्लिन सनडॉग टेक्सटिल

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी डेल्टा मर्लिन सनडॉग टेकसिल्ट ने जांच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अथवा असंबंधित व्यापारी, फेनाटेक्स कं. लिमि. के माध्यम से भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. निर्यात किया। प्राधिकारी ने पीटी डेल्टा मर्लिन सनडॉग टेकसिल्ट के लिए शिपिंग लागत, समुद्री बीमा, हैंडलिंग प्रभार, अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग लागत, कमीशन, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों तथा अन्य खर्चों के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पी टी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. निर्यात किया। प्राधिकारी ने पीटी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल के लिए हैंडलिंग प्रभार, अंतर्देशीय भाड़े, पैकिंग लागत, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभार के इसके दावे पर विचार करने के बाद इसकी निर्यात कीमत के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

इण्डोनेशिया के असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक

75. इण्डोनेशिया के उन उत्पादकों/ निर्यातकों जिनकी प्रश्नावली का उत्तर इण्डोनेशिया के असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए तथा अलग अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पूर्ण नहीं है, के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।/

वियतनाम के लिए निर्यात कीमत

76. चूंकि वियतनाम के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है अत: प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वियतनाम से उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

पाटन मार्जिन

77. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि चीन जन. गण., इण्डोनेशिया और वियतनाम के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर है और काफी हद तक सकारात्मक है। उसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

संबद्ध देश/ उत्पादक	एन वी/ सी एन वी (यू एस डॉलर/ किग्रा)	एन ई पी (यू एस डॉलर / किग्रा)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर/ किग्रा.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
चीन जन. गण.					
यिबिन स्पार्क	***	***	***	***	20-30
यिबिन ग्रेस	***	***	***	***	20-30
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
इण्डोनेशिया					
पीटी. मनुग्गल आदिपुरा	***	***	***	***	10-20
पीटी. डेल्टा मर्लिन सनडॉग	***	***	***	***	10-20
पीटी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल	***	***			
पीटी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल	***	***			
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
वियतनाम					
सभी उत्पादक	***	***	***	***	10-20

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

झ. 1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

78. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. मांग में वृद्धि 2018-19 तक हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट आई है।

ख. आयातों की मात्रा ने स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है।

ग. पाटित आयातों में भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में काफी हद तक वृद्धि हुई है।

घ. इन आयातों के कारण भारतीय बाजार में आवेदकों की कीमतों में कटौती हो रही है।

ङ. बिक्री की लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि जबकि बिक्री की लागत में क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई, बिक्री कीमत ने अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाया है। बिक्री कीमत में आधार वर्ष से वर्ष 2017-18 तक गिरावट आई और आगे 2018-19 में इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

च. बिक्री की कीमत में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट से बहुत अधिक थी। इन आयातों के कारण बहुत अधिक कीमत ह्रास हो रहा है।

छ. भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना करने पर पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है और ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा।

ज. जबकि समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई, संपूर्ण रूप में घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में कम है।

झ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में 2018-19 में सुधार हुआ और उसके बाद लाभ, निवेश पर लाभ और नकदी के प्रभाव के संदर्भ में तेजी से गिरावट आई है।

ञ. जबकि समग्र उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में कम है।

ट. याचिकाकर्ता कंपनियां घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने वाली कुछ उत्पादकों के द्वारा प्राप्त किये गये क्षमता का उपयोग पर विचार करते हुए लगभग 24000 मी. ट. तक उत्पादन में वृद्धि की है।

ठ. मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्री मांग में वृद्धि की सीमा तक नहीं बढ़ी है।

ड. बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, इस उद्योग ने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि की है। इसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादकों द्वारा बढ़ाई गई क्षमताओं में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई। हालांकि घरेलू उद्योग क्षमता में इन वृद्धि से उस सीमा तक लाभ उठाने में सक्षम नहीं रहा है जिस सीमा तक ये पाटन के न होने पर उठा सकते थे।

ढ. घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ण. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि वास्तविक भी है। घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव प्रतिकूल है।

त. घरेलू उद्योग के पास माल सूची ने प्रस्तावित जांच की अवधि में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है।

थ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है लेकिन यह उत्पादकता घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित नहीं है।

द. एकमात्र कारक जो घरेलू कीमत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं आयात कीमत है।

ध. रोजगार और मजदूरी में प्रस्तावित जांच की अवधि में सुधार दर्शाया है।

न. घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत संबंधी सभी मानदंडों के संदर्भ में अब प्रतिकूल हो गया है। अधिकांश मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ आदि जैसे अधिकांश मानदंडों के संदर्भ में जांच की अवधि में नकारात्मक है।

प. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे और बेचे रहे अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियों विदेशी और घरेलू उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य निष्पादन के कारण नहीं हुई है।

फ. डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार और इस नियमावली के अंतर्गत, कुल आयातों में पाटित आयातों का 3 प्रतिशत बहुत अधिक माना गया है और प्रभावित घरेलू उद्योग पाटनरोधी कानून के अंतर्गत राहत की मांग कर सकते हैं। इण्डोनेशिया से आयात की मात्रा न्यूनतम से अधिक है। क्षति के संचयी आकलन के अनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में इण्डोनेशिया सहित संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण गिरावट आई है। इस उत्पाद के आयातों में क्षति की अवधि की तुलना में लगभग 25 गुणा वृद्धि हुई है और यह जांच की अवधि में 2000 मी. ट. से बढ़कर 50000 मी. ट. से अधिक हो गया है।

ब. मानव निर्मित फाइबर आधारित उद्योग शुल्क संरचना को इन्वर्ट करने के अध्यधीन हैं। फाइबर 18 प्रतिशत पर और यार्न 12 प्रतिशत पर है। दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 20/2018 – केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से, सरकार ने इन्वर्टिड शुल्क संरचना के कारण संचित आई टी सी पर 1 अगस्त, 2018 से प्रतिदाय के दावे की अनुमति दी है और वह वस्त्र उद्योग के लिए लागू है।

भ. हितबद्ध पक्षकारों ने फाइबर से यार्न तक इस उद्योग द्वारा किये गये मूल्यवर्धन पर विचार नहीं किया है जहां इस अधिक जी एस टी का उपयोग किया जाता है।

म. ग्रासिम की वी एस एफ कीमते अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में प्रतिस्पर्धी रही हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वी एस एफ की कीमतों में अप्रैल – दिसंबर 2019 के दौरान 14 प्रतिशत तक गिरावट आई, ग्रासिम वी एस एफ की कीमतों में उसी अवधि के दौरान 22 प्रतिशत तक गिरावट आई। इस प्रकार उनकी इस बात में कोई दम नहीं है कि ग्रासिम ने बाजार की कीमतों में तोड़-मरोड़ किया है। इसके अलावा ग्रासिम वी एस एफ की औसत कीमत जून 2019 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वी एस एफ की औसत कीमत की तुलना में सतत् रूप से कमतर रहा है।

य. लगाई गई पूंजी, संबद्ध वस्तुओं पर प्रति मी. ट. ब्याज और ह्रास आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हो गई है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण है जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचे गये विचाराधीन उत्पाद के लिए आदर्शतम से कम कीमत की वसूली हुई है।

कक. आवेदक ने पहले ही मी. ट. में स्पिनडल को परिवर्तित करने के लिए अपनाई गई पद्धति दी है। संपूर्ण उद्योग के लिए 220 ग्राम से 260 ग्राम प्रति स्पिनडल/ पाली प्रति स्पिनडल औसत उत्पादन के आधार पर गणना की गई है।

झ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

79. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं।

क. आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण आंकड़े दिये गये हैं। आवेदन में अलग अलग स्थानों पर मांग की तुलना में आयात पर पूर्ण रूप से अलग अलग आंकड़ों के सेट हैं।

ख. आवेदक ने समान घरेलू उत्पादों की बिक्री कीमत नहीं बताई है।

ग. वास्तविक क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में कोई गिरावट नहीं हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सतत् वृद्धि हुई है। उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में वास्तविक अथवा संभावित गिरावट नहीं है।

ङ. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग को हुई हानि, यदि कोई हो के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि – वार्षिकीकृत-ए* के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में 7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि – वार्षिकीकृत-ए* के दौरान अन्य भारतीय उद्योग के हिस्से में 17 प्रतिशत तक गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि – वार्षिकीकृत-ए* के दौरान आयातों के हिस्से में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

च. आवेदक के पास इस करार के अनुच्छेद 3.4 के साथ पठित करार के अनुच्छेद 5.2 द्वारा यथाअपेक्षित क्षति का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है। अत:, प्राधिकारी को सर्वप्रथम इस आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए था।

छ. क्षति की अवधि 2016-17 से 2018-19 में सभी आर्थिक संकेतक सही स्थिति में थे। घरेलू उद्योग को कथित रूप से हुई क्षति चीन जन. गण. से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।

ज. कीमत में कटौती संबंधी विश्लेषण प्रति प्रकार उत्पाद जिसे याचिका में दर्शाया गया है, के बीच उचित तुलना के आधार पर नहीं किया गया था जिसमें केवल सामान्य तुलना है। यह इस कारार के अनुच्छेद 3.1 में यथाअपेक्षित सकारात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं है और यह कि वस्तुपरक जांच उस अनुच्छेद के आधार पर नहीं की जा सकती है।

झ. क्या आयात कीमत सही पहुंच लागत कीमत तय करने के लिए अत्यधिक निकासी लागत, आयात शुल्क, लागू करों और किसी वितरक मार्जिन को दर्शाती है? यदि उन कारकों पर विचार किया जाता है तब कीमत में कोई कटौती नहीं होगी, जो आवेदक की कीमत को प्रभावित कर सकती है।

ञ. 2018-19 में, कथित देशों से संबद्ध उत्पात का आयात केवल 5 प्रतिशत था। आयात उत्पादों की लघु मात्रा के साथ यह संभव नहीं होगा कि आयात के कारण कोई क्षति हो सकती थी अथवा आवेदक को क्षति का कोई खतरा उत्पन्न हो सकता था।

ट. घरेलू यार्न उद्योग की क्षमता और गुणवत्ता भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विस्कोस फिलामेंट फेब्रिक की मांग और खपत में अनेक अंतिम प्रयोक्ताओं के साथ कई गुणा वृद्धि हुई है।

ठ. इण्डोनेशिया से आयातों का हिस्सा स्थिर रहा है और इसने वृद्धिगत बाजार पर बिलकुल ही कब्जा नहीं किया है।

ड. कच्चा माल तैयार उत्पाद (6 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर एस जी एस टी और सी जी एस टी (9 प्रतिशत) दरों के अध्यधीन है। तैयार उत्पाद के उत्पादकों ने इनपुट/ कच्चे माल पर भुगतान किया गया जी एस टी के क्रेडिट का उपयोग नहीं किया होगा और प्राधिकारी को उपयोग न किये गये क्रेडिट और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच संबंध की जांच करने की आवश्यकता है।

ढ. वी एस एफ की घरेलू बिक्री कीमत जिसे स्पष्ट रूप से ग्रासिम इंडस्ट्रीज द्वारा तोड़ा-मरोड़ा गया है। वैश्विक वी एस एफ बिक्री कीमत से भिन्न है। वी एस एफ की वैश्विक कीमत क्षति की अवधि के दौरान कम हुई है लेकिन वह भारत में उसी अनुपात में नहीं है।

ण. दर्शाया गया क्षति निर्यात बाजार के हिस्से में हानि, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रीडेटरी कीमत निर्धारण कार्यपद्धति और तुलनात्मक रूप से उत्पादन किये गये उत्पाद की कम गुणवत्ता के कारण हुई है।

त. वस्त्र उद्योग ने स्पिनडल्स की संख्या में और न कि मी. ट. में सभी क्षमताओं को रिपार्ट किया है। आवेदक ने अपनाई गई गणना पद्धति का उल्लेख किये बिना मी. ट. में आंकड़े उपलबध कराये हैं। इस प्रकार से आवेदन में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का मूल्यांकन भ्रामक है और उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को क्षमता और क्षमता का उपयोग की गणना करने के लिए संस्थापित स्पिनडल का अवश्य उपयोग करना चाहिए। यदि इस विश्लेषण का उपयोग किया जाता है तब, घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग क्षति की अवधि के सभी वर्षों में 85 प्रतिशत से ऊपर उच्च उपयोग को दर्शायेगा।

थ. एन आई पी की गणना को अनावश्यक रूप से कच्चे माल की प्रीडेटरी कीमत निर्धारण के कारण नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और इसका निर्धारण पिछले तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। इस कारण से एन आई पी को सी सी आई द्वारा निर्धारण के अनुसार ऐसे प्रीडेटरी कीमत निर्धारण पद्धति अर्थात् 5 प्रतिशत के प्रभाव से बाहर रखना चाहिए।

द. विगत में निदेशालय ने उन जांचों को समाप्त कर दिया है जिनमें घरेलू उद्योग को क्षति पाटन के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों के कारण हुई थी । जैसे गैर-वूवन फेब्रिक, कोटेड पेपर ओर प्लेइंग कार्डस के मामले में हुआ था। प्राधिकारी को वैसा ही दृष्टिकोण लेना चाहिए और इस मामले को आरंभ से ही समाप्त कर देना चाहिए।

झ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

80. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा इसमें आगे किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

81. यह नोट किया जाता है कि क्षति की विवेचना से संबंधित नियम 11 में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी निष्कर्ष को रिकार्ड करेंगे कि क्या भारत में ऐसी वस्तुओं के पाटित आयातों से भारत में किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा होने का खतरा है अथवा वास्तविक रूप से भारत में किसी उद्योग की स्थापना से रोकता है। इसके अलावा यह उल्लेख है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक रुकावट और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उनके प्रभाव, पाटित आयातों की मात्रा और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए करेगा।

झ. 3.1 संचयी आकलन

82. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि उस मामले में जहां एक से अधिक देश से आयात की मात्रा एक ही समय में पाटनरोधी जांच के अध्यधीन हो रही है, तब प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित करते हों कि –

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध किये गये पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किये गये 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) हो अथवा जहां अलग अलग देशों के आयात तीन प्रतिशत से कम हों, ये आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन आयात की गई वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है।

83. प्राधिकारी नोट करते हैं :

क. विभिन्न संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं।

ख. संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में संबद्ध देशों से किया जा रहा है। संबद्ध देश में से प्रत्येक देश से पाटन का मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ग. संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा अलग अलग आयातों की कुल मात्रा का 3 प्रतिशत से अधिक है।

घ. जिन कीमतों पर इन वस्तुओं का संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा है भारतीय बाजार में इन स्रोतों से आयातों के बीच स्पष्ट परस्पर प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं।

ङ. पाटित आयातित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही समान वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा भारतीय बाजार में मौजूद है।

च. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल प्रत्यक्ष रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश की जा रही समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

84. इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ". . . सभी संगत कारकों, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं, पर विचार करते हुए . . ." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने के लिए, इस तथ्य की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत से तुलना किये जाने पर पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक अन्य प्रकार से दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदत्ता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन का परिमाण और मार्जिन आदि पर विचार इस नियमावली के अनुबंध II के अनुसार किया गया है।

85. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उपयुक्त है।

झ. 3.2 घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क) मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

86. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। इस प्रकार से आकलित मांग में क्षति की जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि जांच की अवधि में मांग मामूली गिरावट को दर्शाता है, समग्र मांग ने क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि को दर्शाया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. ट.	1,855	11,406	18,679	40,185	53,580
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	615	1,007		2,889
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	121	429	2,370	4,006	5,342
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	356	1,964		4,427
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	188		201
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	132		84
कुल मांग	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	152		134

ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

87. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	मी. ट.	1,855	11,406	18,679	40,185	53,580
चीन जन. गण.	मी. ट.	984	4,725	8,279	16,602	22,136
इण्डोनेशिया	मी. ट.	870	5,154	9,167	19,561	26,081
वियतनाम	मी. ट.	-	1,527	1,233	4,022	5,363
अन्य देश	मी. ट.	121	429	2,370	4,006	5,342
कुल आयात	मी. ट.	1,975	11,836	21,049	44,191	58,922

88. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के आयात जो 2016-17 में 1855 मी. ट. थे, में जांच की अवधि में लगभग 53580 मी. ट. (वार्षिकीकृत) तक वृद्धि हुई जो क्षति की अवधि की तुलना में 22 गुणा वृद्धि को दर्शाता है।

ग) सापेक्ष रूप में संबद्ध देशों से आयात

89. यह देखा जाता है कि उत्पादन और मांग की तुलना में संबद्ध पाटित आयात में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से इस उत्पाद के आयात में 2016-17 में 2.31 प्रतिशत से जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में 44.42 प्रतिशत तक भारतीय उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई और इसने 2016-17 में 0.77 प्रतिशत से जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में 16.60 प्रतिशत तक भारत में खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
निम्नलिखित तुलना में संबद्ध आयातों का हिस्सा					
कुल आयात	%	93.89%	96.37%	88.74%	90.93%
मांग	%	0.77%	4.01%	5.10%	16.60%
भारतीय उत्पादन	%	2.31%	11.76%	16.72%	44.42%

झ. 3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

90. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमतों में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और एन आई पी की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत में कटौती

91. कीमत में कटौती का विश्लेषण करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के एन एस आर की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग की निवल ब्रिकी कीमत की गणना करते समय, सभी कर, माफी, छूट और कमीशन को घटाया गया है और एक्स-वर्क्स स्तर पर बिक्री की प्राप्ति पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से तुलना के लिए निर्धारित की गई है। प्राधिकारी ने पी सी एन वार कीमत में कटौती और उसके बाद संबद्ध देशों के लिए भारित औसत का निर्धारण किया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कटौती संबंधी प्रभाव नीचे दिये गये अनुसार तय किया गया है ।

विवरण संबद्ध देश	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100	91
पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	194.68	187.64	205.79	173.36
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	106	89
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	64	108
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10-20	10-20	0-10	10-20

चीन जन. गण.					
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	213.44	188.89	206.70	172.92
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	0-10	10-20	0-10	10-20
इण्डोनेशिया					
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	173.46	185.78	204.49	173.82
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेज	20-30	10-20	0-10	10-20
वियतनाम					
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ किग्रा.	-	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	-	190.04	209.33	172.95
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	-	***	***	***
कीमत में कटौती	%	-	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	-	10-20	0-10	10-20

92. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक हद तक कम कीमत पर हुई है। जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती सकारात्मक है और संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश के लिए बहुत अधिक है।

ख) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

93. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतें कम हो रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों में बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रूक जायेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दिये गये अनुसार की गई थी।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100		91
बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98		94
पहुंच मूल्य	रु./ किग्रा.	194.68	187.64	205.79	173.36	173.36
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	106		89

94. निम्नलिखित देखा जाता है :

क) संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि सहित क्षति की जांच की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमत पर हुई थी।

ख) उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में बिक्री की कीमत में तेजी से गिरावट आई जो उत्पादन की लागत में कमी से बहुत अधिक है।

95. इस प्रकार यह देखा जाता है कि इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

96. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई हानि की भी जांच की है। इस उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एन आई पी की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

विवरण	इकाई	चीन	इण्डोनेशिया	वियतनाम
एन आई पी	रु./ किग्रा.	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	172.92	173.82	172.95
कम कीमत पर बिक्री	रु./ किग्रा.	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	20-30	20-30	20-30

97. विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित आंकड़ों/ सूचना को अपनाकर किया गया है। यह देखा जाता है कि ये आयात उस कीमत पर किये जा रहे हैं जो एन आई पी से बहुत कम है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है और बहुत अधिक है।

झ. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

98. इस नियमावली के अनुबंध-।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योगों पाटित आयातों के प्रभावों की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

99. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिये गये तर्कों और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ रूप से क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता का उपयोग

100. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता का उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कुल क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	122		122
कुल उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	138		153
उत्पादन – पी यू सी	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	139		150
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	113		126
घरेलू बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	159	188		201
रिर्यात बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	98		122
कुल बिक्री	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	178		192

101. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित देखा जाता है :

क. भारत में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्षति की पूरी अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिये इसकी क्षमता में घरेलू उद्योग ने वृद्धि की।

ख. जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई, बिक्री में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम थी।

ख) बाजार हिस्सा

102. जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि में वृद्धि हुई, घरेलू उत्पादकों का हिस्सा आवेदक कंपनियों की तुलना में प्रचालन में बहुत कम है और उसमें 2016-17 में 76.90 प्रतिशत से जांच की अवधि में 48.31 प्रतिशत तक तेजी से गिरावट आई। संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में 2016-17 में 0.77 प्रतिशत से जांच की अवधि में 16.60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश	%	0.77	4.01	5.10	16.60	16.60
अन्य देशों से आयात	%	0.05	0.15	0.65	1.65	1.65
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	22.28	30.01	27.62	33.44	33.44
अन्य उत्पादों की बिक्री	%	76.90	65.83	66.64	48.31	48.31
कुल मांग	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ग) लाभप्रदत्ता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ

103. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की लाभप्रदत्ता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	100		91
लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	98		94
लाभ/ हानि	रु./ किग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	18	184		6
लाभ/ हानि	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	29	347		11
ब्याज पर कर पूर्व लाभ/ हानि	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	265		77
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	211		105
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	162		46

104. उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित देखा जाता है -

क. घरेलू उद्योग के लाभ में 2017-18 में गिरावट आई लेकिन उसके बाद 2018-19 में उसमें वृद्धि हुई। हालांकि, जांच की अवधि में लाभ में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।

ख. जांच की अवधि में लाभ पूर्व वर्षों में लाभ के स्तर से बहुत कम स्तर पर हुआ था।

ग. नकद लाभ, पी बी आई टी और आर ओ सी ई की भी वही प्रवृत्ति रही जो लाभ की थी। नकद लाभ, पी बी आई टी और आर ओ सी ई में 2017-18 में गिरावट आई और उसके बाद 2018-19 में उसमें वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में उसमें बहुत हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि में नकद लाभ, पी बी आई टी और आर ओ सी ई आधार वर्ष अथवा अन्य पिछले वर्षों में पंजीकृत स्तरों से बहुत कम स्तर पर हुआ था।

घ.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

105. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

विवरण	**इकाई**	2016-17	2017-18	2018-19	**जांच की अवधि**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
कर्मचारी	संख्या.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	145		154
उत्पादकता प्रति दिन	मी. ट./ दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	139		150

उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. ट./ सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	96		98
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	156	190		194

106. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों, मजदूरी और प्रतिदिन उत्पादकता की संख्या में क्षमता, उत्पादन और जीवन जीने की लागत में वृद्धि के अनुरूप क्षति की पूरी अवधि में वृद्धि हुई है।

ङ.) माल सूची

107. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
माल सूची	मी. ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	231		287

108. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास माल सूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

109. यह देखा जाता है कि उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि क्षति की अवधि के दौरान सकारात्मक थी जबकि लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक है, जिसे निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
उत्पादन (मी. ट.)	%	20.73%	15.20%	7.98%
घरेलू ब्रिकी की मात्रा (मी. ट.)	%	58.98%	18.49%	6.64%
क्षमता का उपयोग	%	6.40%	6.45%	11.17%
बिक्री की लागत (रु./ किग्रा.)	%	-3.05%	1.21%	-4.40%
बिक्री की कीमत (रु./ किग्रा.)	%	-5.19%	5.94%	-9.00%
लाभ/ हानि (रु./ किग्रा.)	%	-81.83%	912.94%	-96.94%
निवेश पर लाभ	%	-5.32%	149.09%	-71.22%

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

110. घरेलू उद्योग के लाभ में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग का पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

111. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात किये संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत हद तक कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत में कटौती हुई है। भारतीय उत्पादकों की कीमतों के लिए बैंचमार्क संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थानापन्न नहीं है।

इस उत्पाद की मांग ने जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। हालांकि, यह मामूली गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार एक कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रास और न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार एकमात्र कारक एक उत्पाद की आयात कीमतें हैं। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में गिरावट आई, आयात की कीमते और घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट से बहुत अधिक थी। इस प्रकार से घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रधान कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

झ. 3.5 घरेलू उद्योग में क्षति की स्थापना करने वाले कारक

112. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में कई गुणा वृद्धि हुई। कीमत पर प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में इन आयातों के कारण कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और बहुत अधिक भी है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है/ उस पर दबाव उत्पन्न किया है। संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

113. घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और माल सूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई। लाभ में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि में लाभ, नकद लाभ, पी बी आई टी, और आर ओ सी ई पिछले वर्षों के दौरान लाभ के स्तरों से बहुत कम स्तर पर हुआ था।

झ. 3.6 गैर-आरोपण विश्लेषण

114. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे है, को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करे ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

115. वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन और उत्पादकता शामिल है। इसकी जांच नीचे की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकता था।

ण) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

116. संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात मात्रा के मामले में नगण्य हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयात के कारण क्षति हो रही है।

ख) निर्यात कार्य निष्पादन

117. प्राधिकारी ने केवल अपने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

ग) प्रौद्योगिकी का विकास

118. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तनों जिसके कारण घरेलू उद्योगों की क्षति हो सकती थी, को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

119. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने केवल क्षति के विश्लेषण के लिए विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों पर विचार किया है।

ङ) व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

120. संबद्ध वस्तुओं का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और उसका इस देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह बताने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

च) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

121. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ आधार वर्ष से वृद्धि हुई है। हालांकि जांच की अवधि में जबकि इस मांग में मामूली रूप से गिरावट आई, आयातों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान मांग में मामूली गिरावट घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता में बहुत अधिक कमी का कारण नहीं हो सकता है।

ञ. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

122. यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति रहित कीमत पर विचार पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित लाभ (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) की अनुमति कर पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।

123. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

124. जैसा कि ऊपर में निर्धारण किया गया है पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है :

संबद्ध देश/ उत्पादन	एन आई पी(यू एस डॉलर/ किग्रा.)	एल वी (यू एस डॉलर/ किग्रा.)	पाटन मार्जिन		
			(यू एस डॉलर/ किग्रा.)	%	रेंज %
चीन जन. गण.					
यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक कं. लिमि.	***	***	***	***	20-30
यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं. लिमि.	***	***	***	***	10-20
सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	30-40
इण्डोनेशिया					
पीटी मनुग्गल आदिपुरा	***	***	***	***	10-20
पीटी डेल्टा मर्लिन सनडॉग	***	***	***	***	10-20
पीटी डेल्टा दुनिया टेकस्टिल	***	***			
पीटी डेल्टा दुनिया सनडॉग टेकस्टिल	***	***			
सभी अन्य उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	20-30
वियतनाम					
सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	10-20

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए निष्कर्ष

125. सूचना की जांच और उसके विश्लेषण के आधार पर, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ख. जबकि इस उत्पाद की मांग में गिरावट आई, उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।

ग. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

घ. इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा रहा है।

ड. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, कर्मचारी, मजदूरी और उत्पादकता जैसे मानदंडों के मामले में सुधार हुआ, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ जैसे मानदंडों के मामले में गिरावट आई।

च. घरेलू उत्पादकों के संपूर्ण रूप में बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट आई है।

छ. जब उत्पादन और बिक्री जैसे मानदंडों के मामले में कार्य-निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तब लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ जैसे मानदंडों में बहुत अधिक गिरावट देखी गई।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 घरेलू उद्योग का विचार

126. निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं:

क. औसत वीएसवाई कीमत अप्रैल, 2019-अगस्त, 2019 के दौरान लगभग 191 रु. प्रति.किग्रा. के उच्चतर स्तर पर रही और फिर बाजार में भी वृद्धि होती रही क्योंकि मांग अगस्त, 2019 के दौरान 39,000 टन के स्तर पर पहुंच गयी । जून 2020 के दौरान कीमतें गिरकर 146 प्रति कि.ग्रा. के स्तर पर पहुंच गई लेकिन कीमतों के गिरने के बाद भी मांग कमजोर रही और मांग जून, 2020 में लगभग 15000 टन थी। अत: यदि लगभग 15-20 रु. प्रति किग्रा. का पाटनरोधी शुल्क लगाया भी जाता है तब भी कीमतें उच्चतर प्रचलित स्तर से कमतर होगी।

ख. वीएसवाई आयातों पर लागू संभावित पाटनरोधी शुल्क 15-20 रु. प्रति किग्रा. होगा। यह बदलकर केवल 5-7 यूएस सेंट प्रति परिधान (एक परिधान 250 ग्राम का है – अत: एक किलोग्राम यार्न से, चार परिधान बनाए जा सकते हैं) होता है। चूंकि अधिकांश परिधान ब्लैंड्स में हैं अत: 35 प्रतिशत की वीएसएफ मात्रा पर विचार करते हुए, संभावित पाटनरोधी शुल्क प्रति परिधान का प्रभाव लगभग 2 यूएस सेंट प्रति परिधान होगा जो परिधान की लागत (जो प्रत्येक पीस लगभग 5 यूएस डालर है) की तुलना में मामूली है।

ग. यह धारणा कि पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप परिधान के निर्यातों में अवरुद्धता अथवा प्रतिस्पर्धात्मकता होगी, सही नहीं है। कीमतें मार्च 2019 और अप्रैल, 2019 के दौरान 184 रु.-197 रु. प्रति किग्रा. के दायरे में थी। वीएसएफ आधारित परिधान निर्यात लगभग 9100-10500 टन प्रति माह थी। लेकिन तब कीमतें गिरकर अगस्त, 2020/सितंबर, 2020 के दौरान 150 रु. प्रति किग्रा. स्तर पर पहुंच गई लेकिन वीएसएफ आधारित परिधान निर्यात भी गिरकर 3500-4000 टन प्रति माह के स्तर पर पहुंच गई।

घ. वीएसवाई की कीमतें प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप अधिक नहीं होगी। वीएसवाई की कीमतों में बाजार में पाटन के साथ गिरावट आई थी लेकिन वह अधिकतम पिछले स्तरों तक पहुंचेगी। वास्तव में कीमतों में पिछले स्तरों तक गिरावट नहीं होगी और फैब्रिक के निर्माता पिछली कीमतों से कमतर कीमतों पर वीएसवाई प्राप्त करेंगे।

ड. वीएसवाई और डाउनस्ट्रीम उद्योग में विगत में वृद्धि हुई जब वीएसवाई कीमतें उच्चतर थीं। इसके अलावा, उद्योग ने किसी अतिरिक्त अधिक वृद्धि को नहीं दर्शाया जब कीमतों में वर्तमान अवधि में गिरावट आई। इस कारण से, उद्योग और खपत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ कम नहीं होगी।

च. अंतिम फैब्रिक पर प्रभाव या तो घरेलू अथवा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर मामूली और बिना किसी परिणाम के है।

छ. मौखिक सुनवाई के बाद अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकरण को सूचित किया है और शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

ज. भारत में वीएसवाई के कुल भारतीय उत्पादन के लिए या तो सरकारी स्रोतों के माध्यम से अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से कोई आंकड़े उपलबध नहीं हैं।

झ. सीसीआई का आदेश वर्तमान मामलों में महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रासिम ने राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष सीसीआई के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। दिनांक 4.11.2020 के अपने आदेश के माध्यम से, एनसीएलएटी ने अपील के लंबित रहने तक जुर्माना राशि की वसूली पर रोक लगा दी है।

ञ. कच्चे माल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं।

ट. भारतीय उद्योग के पास देश में मौजूदा मांग से न केवल बहुत अधिक क्षमता है बल्कि यह मांग में किसी प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने तथा अतिरिक्त उत्पादन से निर्यात शुरु कर देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सक्षम होगा जिसके द्वारा जहां तक इस उत्पाद का प्रश्न है वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को पूरा किया जा सकता है।

ठ. लगभग 50,000 करघे हैं जो वीएसवाई का उत्पादन करते हैं और औसत रोजगार प्रत्यक्ष रूप से वीएसवाई पर निर्भर हैं तथा यह प्रति आधा व्यक्ति विद्युत करघा है। वीएसवाई का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में लगे प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 30000 व्यक्तियों के लिए जो समग्र वस्त्र क्षेत्र में लगभग 0.05 प्रतिशत रोजगार होता है।

ड. एमएसएमई पाटन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अनेक छोटे-छोटे उत्पादक हैं जो कुल भाग के उत्पादन का 10 प्रतिशत से कम है। यदि इन शुल्कों को लगाया जाता है तब घरेलू उत्पादक बाजार शक्तियों और उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण अनुचित रूप से अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। इन शुल्कों के फलस्वरूप उचित कीमतों पर अनेक घरेलू उद्योग उत्पादकों के माध्यम से उत्पाद की लगातार उपलब्धता होगी और स्वतंत्र, निष्पक्ष और उचित प्रतिस्पर्धा इन प्रयोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करते हुए बनी रहेगी।

ढ. मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।

ण. कोविड के बाद की अवधि में क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक गिरावट रही है लेकिन उसी समय वीएसवाई के आयातों ने रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त किया है।

त. जीएसटी के बाद कमतर आयात शुल्कों के कारण विदेशी फैब्रिक और परिधानों के आयातों में पिछले कुछ महीनों में तेजी से वृद्धि हुई है।

थ. टर्की ने हाल में इंडोनेशिया और चीन के विरुद्ध संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी जांच समाप्त की है। इंडोनेशिया और चीन का यार्न उद्योग भारत में आ सकता है क्योंकि भारत संभावित बाजार होगा। यह परिवर्तन मुख्य रूप से अन्य बाजारों के सिकुड़न के कारण है जिसने पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी है।

द. चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों से अपेक्षाकृत सस्ते आयातों के कारण भारत के दूसरे सबसे बड़े रोजगारदाता, वस्त्र उद्योग को हानि हो रही है और बड़ी संख्या में लघु और मध्यम यार्न का उत्पादन करने वाली ईकाइयां बंद होने के कगार पर हैं।

ध. पाटनरोधी शुल्क इस उद्योग को संरक्षण बल्कि कीमत में गिरावट का एक उपाय नहीं है।

न. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कुल मिलाकर आम जनता पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह शुल्क संबद्ध वस्तुओं के पाटन के विरुद्ध घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करेगा।

प. चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण थाईलैंड जैसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा, चीन के किसी भी उत्पादक ने इस दावे का खंडन करने के लिए एमईटी प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है कि ये कंपनियां गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्य करते हैं।

फ. कृपया इस शुल्क को यथा-मूल्य प्रतिशत पर लगाया जाए। संबद्ध वस्तुओं की अनेक पीसीएन हैं। अलग-अलग उत्पाद प्रकारों में संबद्ध कीमतों में अलग-अलग अंतर हैं।

ब. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीयूसी की अधिकांश तौर पर खपत लेडीज टॉप, स्कर्ट और ड्रेसों में होता है और अंतिम उत्पाद पर 20 रु. प्रति किग्रा. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.87 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के दायरे में होगा:

क्र.सं.	अंतिम उपयोग	लेडीज टॉप	स्कर्ट	ड्रैस
1	प्रति वस्तु औसत वीएसवाई खपत (कि.ग्रा. में)	0.350	0.750	1.000
2	उत्पाद की लागत (रु.) प्रति पीस	800	1,500	2,000
3	स्पर्न यार्न की कीमत –रु./किग्रा.	170	170	170
4	पहुंच मूल्य(मूल सीमा शुल्क के साथ स्पर्न यार्न की आयात कीमत)	179	179	179
5	पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि(20 रु./किग्रा. मानते हुए)	20	20	20
6	अंतिम उत्पाद की प्रति इकाई खपत की जाने वाली उत्पन्न यार्न की लागत	70	150	199
7	अंतिम उत्पाद की लागत के प्रतिशत के रूप में स्पर्न यार्न की लागत	9%	10%	10%
8	स्पर्न यार्न की कीमत में वृद्धि(क्र.सं.5*क्र.सं.1)	7	15	20
9	अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव (क्र.सं.8/क्र.सं.2)	0.87%	1.00%	1.00%

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टकोण

127. प्रकटन प्रश्चात निम्नलिखित अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए हैं:

क. इंडोनेशिया की सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि इस जांच में भाग लेने वाले इंडोनेशिया के उत्पादक ने प्राधिकारी को पूर्ण रूप से सहयोग किया है और उसमें उन्होंने अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार कार्य किया है। अत: उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग पूर्ण रूप से अन्यायोचित है। असहयोगी दर्जा काफी संख्या में इंडोनेशिया के उत्पादकों को दिया गया है जिसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण प्रकटन विवरण में नहीं दिया गया है।

ख. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण का विश्लेषण करने के लिए तथा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है।

ग. प्राधिकारी प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के पूर्व इंडोनेशिया की सरकार और इंडोनेशिया के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और कानूनी तर्कों का निवारण नहीं किया है।

घ. इंडोनेशिया की सरकार इंडोनेशिया के सभी उत्पादकों पर एक एकल पाटन मार्जिन लागू करने के संबंधित है कि प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों और इंडोनेशिया के उत्पादकों को अन्य एक पाटन मार्जिन के रूप में समूह बनाया है जिन्होंने इस जांच में पूर्ण रूप से सहयोग किया है।

ड. प्रकटन में उल्लिखित पाटन माज़िन जो 10 से 30 प्रतिशत है, बहुत अधिक भ्रम उत्पन्न करने वाला, अपारदर्शी और एडीए द्वारा अस्वीकार्य है।

च. ग्रासिम के उत्पादन का भारत का कुल उत्पादन के आधार के रूप में उपयोग करते हुए, पद्धति को लागू करने से आंकड़ों का स्रोत केवल अनुमान था जो भ्रामक और पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है।

छ. इंडोनेशिया की सरकार आवेदकों के प्रतिनिधित्वता पर प्राधिकारी की मान्यता से दृढ़तापूर्वक असहमत है क्योंकि भारतीय घरेलू उद्योग इस तथ्य के कारण कि प्राधिकारी के अनेक कथन हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।

ज. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के अन्य 71 प्रतिशत का क्षति संबंधी आंकड़ों को जानबूझकर हटाने के कारण तथ्यों में पूर्ण रूप से अर्थात् आवेदक के कार्य-निष्पादन में पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़ किया गया है।

झ. दुनियाटेक्स ग्रुप यह अनुरोध करता है कि तीन कंपनियों के लिए प्रकटन विवरण में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकारी द्वारा परिकलित पाटन मार्जिन जो दुनियाटेक्स ग्रुप से संबंधित हैं, भ्रामक प्रतीत होते हैं और इस कारण से उन पर फिर से विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ञ. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने इस आधार पर उत्पाद के दायरे से डबल यार्न और मल्टी यार्न को बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव किया है कि घरेलू उद्योग ने बीजकों के रूप में बिक्री का साक्ष्य उपलब्ध कराया है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि बीजक जांच की अवधि से संबंधित नहीं हों और जांच की अवधि के बाद बिक्री को दर्शाते हों, तब भी डबल यार्न और मल्टी यार्न को उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यह इस कारण से है कि जब घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान डबल यार्न और मल्टी यार्न का उत्पादन भी नहीं किया तब यह इन दोनों ग्रेडों के आयातों के कारण क्षति नहीं उठा सकता है। इसके अलावा, डबल यार्न और मल्टी यार्न उत्पादन की प्रक्रिया में अंतर के कारण एकल यार्न वीएसवाई से अलग है।

ट. यह आश्चर्यजनक हैं कि ग्रासिम को संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा खपत की जानकारी है। इसके अलावा ग्रासिम को यह भी पता है कि किस सीमा तक भारत में संबद्ध वस्तुओं के ऐसे उत्पादक 100 प्रतिशत विशुद्ध विस्कोस स्पन यार्न और ब्लैंडेड यार्न जैसे कोई विस्कोस का निर्माण करने के लिए वीएसएफ की खपत कर रहे हैं जबकि ग्रासिम को इसके द्वारा वर्ष के दौरान बेचे गए वीएसएफ की जानकारी हो सकती है लेकिन इसे किस प्रकार से इस बात की जानकारी है कि उत्पादक ने 100 प्रतिशत विशुद्ध स्पन यार्न और ब्लैंडेड यार्न जैसे पोली विस्कोस का निर्माण करने के लिए वीएसएफ की खपत की है।

ठ. घरेलू उद्योग कथित पाटित आयातों से प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि अनेक क्षति संबंधी मानदंड अत्यधिक सुधार को दर्शाते हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि वास्तविक क्षति का मामला बनाया गया नहीं है और कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

ड. कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता ग्रासिम जिसने आवेदकों को बहुत उच्च कीमत पर कच्चे माल की बिक्री की है, की पाटन-प्रतिस्पर्धी कार्यपद्धतियों के कारण आवेदकों को क्षति भी हुई है।

ढ. आवेदकों के उत्पादन की लागत कच्चे माल वीएसएफ की अनुचित रूप से उच्च कीमतों के कारण कम रही है जिसकी आपूर्ति ग्रासित इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई थी।

ण. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य को प्रकट करें कि इस प्रकार से प्राथमिक कच्चे माल वीएसएफ की कीमतों पर विचार क्षति रहित कीमत तय करने के लिए किया गया था।

त. प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस नियमावली के नियम 4(घ) के अनुसार वर्तमान मामले में कमतर शुल्क नियमावली लागू करें।

थ. प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ कानूनों तथा डीजीटीआर की प्रचालन संबंधी प्रक्रिया मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बिना किसी वैध औचित्य के प्रतिवादियों से समग्र अनुरोधों को गलत तरीके से और गैर-कानूनी तरीके से अस्वीकार किया है। प्राधिकारी एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी है जिसका यह दायित्व है कि वह निर्धारित कानूनी और विनियमों के अनुसार कार्य करे।

द. एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय होने के कारण प्राधिकारी जो पूर्व में दिए गए फैसले अथवा स्थापित कार्यपद्धति के अनुसार कार्य करते हैं, से यह आशा की जाती है कि प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार को स्वयं प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर देंगे। शब्द "स्थापित कार्य-पद्धति" एक नियमित, सतत् पूर्व में समझे जाने योग्य और कुछ आचार, प्रक्रिया अथवा निर्णय लेने वाले प्राधिकार की क्रियाकलाप से संबंधित हैं।

ध. प्रतिवादियों के समग्र अनुरोधों को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय तथा पाटनरोधी संबंधी करार के अनुच्छेद 6.13 के विरुद्ध है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि जांच की समग्र प्रक्रिया के दौरान, प्रतिवादियों ने समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए गए सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराया। प्रतिवादियों ने दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना सं. 05/2018 के अनुसार डीजीटीआर के निर्धारित प्रपत्रों में प्रश्नावली के सभी उत्तर प्रस्तुत किए। वास्तव में, प्रतिवादी दिनांक 4 मार्च, 2020 के पत्र के अनुसार महानिदेशक द्वारा पहचान की गई पीसीएन के अनुसार पीसीएनवार सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान कुछ पूछताछ की और मेल तथा टेलीफोन कॉल के माध्यम से कुछ सूचना संबंधी दस्तावेज़ मांगे। अनिवार्य दायित्व के बावजूद कोई अलग-अलग कंपनी को कोई न्यूनता पत्र जारी नहीं किया गया था। उन सभी को विधिवत प्रस्तुत किया गया था और उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था। कोई अतिरिक्त पूछताछ इस आशय से नहीं की गई थी कि प्राधिकारी को आगे और कोई पूछताछ नहीं करनी थी अथवा पूर्णता के संबंध में कोई अतिरिक्त पूछताछ नहीं हुई थी तथा यह कि आगे कोई कमियां उनमें नहीं थी। जिन उत्तरों को प्रस्तुत किया गया था, उन पर निर्यात बिक्री, घरेलू बिक्री, लागत से आंकड़े संबंधी प्रकार-वार सूचना, उत्पादन पहुंच मूल्य और अन्य गणना के संदर्भ में भी विचार नहीं किया गया था।

न. प्राधिकारी ने मूल प्रश्नावली के उत्तर सहित सभी प्रतिवादियों के सभी अनुरोधों को अन्यायोचित तरीके से अस्वीकार किया है।

प. प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यापन प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रकटन विवरण कानूनी की दृष्ट से न केवल गलत है बल्कि प्रक्रियाओं की वैधता और वैश्विक रूप से स्थापित कार्यपद्धति के प्रति अनादर को भी दर्शाता है।

फ. प्राधिकारी ने निर्यातकों के सभी समूहों के लिए दिनांक 4 सितंबर, 2020 के लिए मेल के द्वारा कुछ दस्तावेज, सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए सामान्य तौर पर अवसर देने की प्रक्रिया भी पूरी की जिसके संबंध में अनेक ईमेल के द्वारा प्राधिकारी को व्यक्त किए गए अनुसार परामर्शदाता द्वारा सामाना की जा रही कोविड दिक्कतों के बावजूद विधिवत् रूप से उत्तर दिया गया था। अपेक्षित सूचना संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के बाद तथा अतिरिक्त प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण सहयोगी के रूप में और सूचना के मामले में प्राधिकारी की संतुष्टि को दर्शाते हुए किया गया था।

ब. प्राधिकारी को प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रतिवादी के क्षति मार्जिन की गणना करनी चाहिए।

भ. घरेलू उद्योग का प्राधिकारी द्वारा गलत तरीके से निर्धारण किया गया है।

म. प्राधिकारी के इस टिप्पणी के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास एयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैशन फैब्रिक का उत्पादन करने की उत्पादन सुविधा नहीं है, को प्रतिवादियों द्वारा इंकार नहीं किया गया है, हालांकि भारतीय घरेलू उद्योग के पास इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं। इस कारण से, प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे एयरजेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को बाहर रखें।

य. प्राधिकारी ने लघु उद्योग, बुनकरों, परिधानों आदि के हित पर विचार नहीं किया है जो संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बंद करने के लिए विवश होंगे।

कक. प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे विशेष रूप से प्रत्येक निर्यातक को इस संबंध में सूचित करें कि उत्तर में कौन से आंकड़े नहीं हैं जिसे डीजीटीआर उत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन अथवा क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए अनुमति नहीं देगा।

खख. आवेदक ने पाटनरोधी संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अधिदेशों के अंतर्गत घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति दर्शाने में सक्षम नहीं रहा है।

गग. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में काफी हद तक कमी आई है और यह लगातार क्षति की समग्र अवधि के दौरान कम होता जा रहा है। प्रतिवादी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता उद्योगों को हानि और क्षति का यह वास्तविक कारण है।

घघ. घरेलू उद्योग संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए सतत् रूप से पूंजी जुटाता रहा है और इस आधार पर किसी क्षति का सामना नहीं करता रहा है।

ड.ड. घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की मालसूची में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

चच. बिक्री की लागत में बिक्री की कीमतों में गिरावट के संबंध में कमी आई है।

छछ. भाड़े पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान सतत् रूप से वृद्धि होती रही है।

जज. प्रति दिन उत्पादकता में घरेलू उद्योग के लिए जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि दर्शाई है।

झझ. आवेदक कच्चे माल के कथित एकमात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता अर्थात ग्रासिम की दोहरी और प्रिडेटरी कीमत नीति के कारण मुख्य रूप से क्षति उठानी पड़ रही है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया है और उसका उपयुक्त रूप से समाधान भी किया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

क. जहां तक अनेक इंडोनेशियाई उत्पादकों के प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं करने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर को इन निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों में बहुत अधिक अंतराल को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सका। प्रश्नावली के उत्तर में ये अंतराल उन्हें दिए गए अनेक अवसरों के बावजूद रहा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर हर प्रकार से तथा निर्धारित रूप में और तरीके से पूर्ण हो।

ख. ऐसी स्थिति में जहां निर्यातकों ने प्रपत्रों में निर्धारित सभी संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और इन उत्तरों में खामियां थीं, ये विरोधाभासी और अविश्वसनीय थे, प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं था कि वे अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करें। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगने की संभावना का उपयोग विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली में निर्धारित मूल सूचना उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया जा सकता है। इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तरों में समग्र कमियों और विसंगतियों का संचित रूप में उल्लेख नीचे किया जाता है।

ग. मैसर्स एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग एलएलपी ने इंडोनेशिया के निम्नलिखित सात उत्पादकों/निर्यातकों की ओर से मार्च, 2020 में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. पीटी लोट्स इंडाह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज

ii. पीटी सिनार पंतजाडजाजा

iii. पीटी प्राइमायुधा मंदिरी जया

iv. पीटी आदिकेनकाना महकोताबुआना

v. पीटी श्री रेजेकिलसमन, टीबीके

vi. पीटी बिट्राटेक्स इंडस्ट्रीज

vii. एम्बीप्लम्बिन टेल्स्टी

घ. प्रश्नावली के उत्तर की जांच करने पर, यह देखा गया था कि परिशिष्ट 7,8,10 और 11 निर्धारित रूप में और तरीके से नहीं थे। जबकि यह अकेले प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त था, फिर भी दिनांक 29 जून, 2020 के ईमेल के द्वारा, इन कंपनियों को सलाह दी गई थी कि वे 3 जुलाई, 2020 तक अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करें।

ङ. मै. एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग ने, दिनांक 2 जुलाई, 2020 के ईमेल के द्वारा संशोधित परिशिष्ट प्रस्तुत किया। इसके अलावा, पीटी प्राइमायुधा के संबंध में कार्यरत फाइल 9 जुलाई, 2020 को ईमेल के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। मै. एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग ने दिनांक 22 जुलाई, 2020 के ईमेल के द्वारा पीटी प्राइमायुधा के मामले में तथा दिनांक 23 जुलाई, 2020 के ईमेले के माध्यम से पीटी बिट्राटेक्स इंडस्ट्रीज के मामले में गलतियों को आगे ठीक करने के बाद संशोधित प्रमाणन प्रस्तुत किया।

च. इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की गई थी। इन संशोधित परिशिष्टों की जांच के बाद, यह देखा गया था कि मैसर्स एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग द्वारा जिन सात कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया गया था, उन सभी के प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 8 में नई सूचना दी गई थी और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की पिछले वर्ष के लिए कारक-वार लागत के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह देखा गया था कि इन कंपनियों नामत: पीटी एमबी, पीटी श्री रेजेकिलसमन और पीटी सिनार पंथादाजाज के मामले में, परिशिष्टों अर्थात् 6,7,8 और 10 में दावा की गई कारक-वार लागत का सही तरीके से मिलान नहीं किया गया था और वे एक दूसरे से अलग थे। मैसर्स आदिकेनसेना ने अलग-अलग परिशिष्टों में कच्चे माल के कम अवशोषण/अधिक अवशोषण का दावा किया। तद्नुसार, एक अन्य पत्र दिनांक 24 जुलाई, 2020 के ईमेल के द्वारा मैसर्स एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग को विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए तथा सभी सात कंपनियों के लिए पूर्ण बैक-अप पेपर्स के साथ अपेक्षित ब्यौरे अधिकतम 27 जुलाई, 2020 तक उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था। यह स्पष्ट किया गया था कि प्राधिकारी उस स्थिति में उपलब्ध तथ्यों का सहारा ले सकते हैं, यदि कंपनियां निर्धारित समय सीमाओं के भीतर उत्तर नहीं देती है।

छ. मै. एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग ने दिनांक 27 जुलाई, 2020 के ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत की। प्रस्तुत की गई सूचना की पुन: जांच की गई थी और उसका मिलान मार्च, 2020 में दिए गए मूल प्रश्नावली के उत्तर और जुलाई, 2020 में प्रस्तुत संशोधित आंकड़ों और सहायक दस्तावेजों से की गई थी। यह देखा गया था कि आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर था और अभी भी आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर थे। इस प्रकार से, इन उत्तरों में लगातार कमियां रहीं। प्राधिकारी ने पुन: कमियों के पूर्ण ब्यौरे/बैक-अप पेपर्स/कारणों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 4 सितंबर, 2020 के ईमेल के माध्यम से निर्यातकों को अवसर उपलब्ध कराया। ईमेल में यथा-सूचीबद्ध आंकड़ों में कुछ अंतर और आंकड़ों के अंतराल नीचे दिए गए अनुसार हैं:

i. मै. आदिकेनसेना और मै. सिनारपंतजा के मामले में, कारक-वार लागत और लाभ के आंकड़े विचाराधीन उत्पाद तथा कंपनी के स्तर में अलग-अलग थे। इसके साथ ही, विचाराधीन उत्पाद के लिए लाभ और कारक-वार लागत संबंधी आंकड़े मैसर्स बिट्राटेक्स, मै. लोटस इंडाह, मै. प्राइमायुधा और मै. श्री रेजेकिसमन के मामले में बदल दिए गए हैं।

ii. सभी सात कंपनियों के मामले में परिशिष्ट 8 निर्धारित परिपत्र के अनुसार नहीं था, क्षमता, उत्पादन, बिक्री और प्रति इकाई लागत आंकड़ा आदि के लिए मात्रात्मक आंकड़े जांच की अवधि और पिछले लेखांकन वर्क के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

iii. संबंधित पक्षकार के लेनदेन अधिकांश कंपनियों विशेष रूप से कच्चे माल से संबंधित कंपनियों में शामिल नहीं किए गए थे। हालांकि, उसका ब्यौरा सभी कंपनियों के परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 11 में नहीं दर्शाया गया था। कच्चे माल की कीमत निर्धारण का अलग-अलग आधार का उपयोग इन कंपनियों के परिशिष्ट 11 अर्थात लेन-देन संबंधी निवल मार्जिन पद्धति, लागत योग पद्धति आदि में किया गया था। कंपनियों से यह कहा गया था कि वह इन पद्धतियों में प्रत्येक के लिए पूर्ण ब्यौरा और कार्यचालन प्रस्तुत करें।

iv. परिशिष्ट 6 में, मै. एमबी ने कच्चे माल की खपत में अपशिष्ट बिक्री और डब्ल्यूआईटी का समायोजन इसे पृथक रूप से संगत परिशिष्टों में दर्शाने के बजाय किया है।

v. उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2019 के लिए तथा जांच की अवधि के लिए लेखा परीक्षित लेखा तथा उसके साथ प्रणाली से स्क्रीन शॉट के साथ रखे गए मूल रिकॉर्डों के लिए पूर्ण बैक-अप पेपर्स उपलब्ध कराए।

ज. मै. एसबीए स्ट्रेटजी कन्सल्टिंग ने दिनांक 9 सितंबर, 2020 के ईमेल के द्वारा प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे जयपुर, भारत में अपने कार्यालय में कोविड-19 के व्यापक प्रादुर्भाव के कारण उन्हें दो सप्ताह का समय दें। हालांकि, उन्होंने दिनांक 5 नवंबर, 2020 के ईमेल के द्वारा जांच की बहुत विलंबित चरण में संशोधित आंकड़े और स्पष्टीकरण के साथ उत्तर दिया। तथापि, अब भी ये आंकड़े/सूचना दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना सं. 05/2018 के अनुसार नहीं थे और उनमें कमियां बनी रही। देखी गई कुछ कमियां निम्नानुसार हैं:

i. प्रस्तुत की गई उत्पादन की लागत गणना के साथ परिशिष्ट 8 के लिए संशोधित प्रपत्र व्यापार सूचना सं. 05/2018 के अनुसार पेशेवर लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

ii. प्रस्तुत किया गया संशोधित परिशिष्ट 11 व्यापार सूचना सं. 05/2018 के अनुसार पेशेवर लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

iii. इन कंपनियों के परिशिष्ट 11 में कच्चे माल की कीमत निर्धारण के आधार के रूप में उपयोग की गई पद्धतियों में से प्रत्येक के लिए पूर्ण ब्यौरा और कार्य-चालन अर्थात् लेन-देन संबंधी निवल मार्जिन पद्धति, लागत योग पद्धति आदि नहीं दिए गए थे।

iv. दी गई लेखा परिशिष्ट लेखा स्थानीय भाषा में है और उसका अंग्रेजी रूपांतर नहीं दिया गया है और इस प्रकार लेखा परिशिष्ट लेखाओं का परीक्षण करना संभव नहीं हो पाया है।

झ. मै. सनराइज बुमी टेक्सटाइल्स, मै. एलीगेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मै. पीटी इंडो लिबर्टी टेक्सटाइल्स ने भी प्रश्नावली का त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया। प्रश्नावली के प्रारंभिक उत्तर की जांच के बाद, दिनांक 30 जून, 2020 को अलग-अलग ईमेल इन उत्पादक/निर्यातकों को निर्धारित रूप में और तरीके से अपेक्षित ब्यौरा अर्थात परिशिष्ट 7,8,10 और 11 उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था। उसे दिनांक 28 फरवरी, 2018 की व्यापार सूचना सं. 05/2018 के अनुसार पेशेवर लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। इन सभी कंपनियों ने उत्तर दिया लेकिन उसके बावजूद, उनके द्वारा प्रस्तुत किए प्रश्नावली के उत्तर में आंकड़े संबंधी प्रमुख अंतर/कमियां थीं। इस कारण से एक और अवसर इन कंपनियों को आंकड़ों के अंतरों को स्पष्ट करने और उसे न्यायोचित ठहराने के लिए दिया गया था। लेकिन दिनांक 7 सितंबर, 2020 के ईमेल के उत्तर में उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

ञ. यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने इन सभी उत्पादकों/निर्यातकों को समुचित अवसर उपलब्ध कराए जिनकी प्रश्नावली का उपयोग अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण करने के लिए नहीं किया गया है। जबकि मै. सनराइज बुमी टेक्सटाइल्स, मै. एलीगेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मै. पीटी इंडो लिबर्टी टेक्सटाइल्स ने दिनांक 7 सितंबर, 2020 के प्राधिकारी के ईमेल का उत्तर नहीं दिया, अन्य सात कंपनियों नामत: पीटी लोट्स इंडाह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पीटी सिनार पंतजाडजाजा, पीटी प्राइमायुधा मंदिरी जया, पीटी आदिकेनकाना महकोतादुआना, पीटी श्री रेजेकिलसमन, टीबीके, पीटी बिट्राटेक्स इंडस्ट्रीज, और एम्बीप्लम्बिन टेल्स्टी ने निर्धारित समय सीमाओं के भीतर पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके

अलावा, आवश्यक मूल आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है जो इन सात उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करता है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं इन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/आंकड़े अलग-अलग मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ट. प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणी देने के लिए दिए गए समय के बारे में यह नोट किया जाता है कि छह दिनों का समय हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणिया देने के लिए दिया गया था। छह दिनों के समय को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त समय के लिए कोई अनुरोध किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण हुई दिक्कतों और जांच को पूरा करने के लिए नजदीक आ रही समय सीमा का भी मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

ठ. यह स्पष्ट किया जाता है कि इंडोनेशिया के उत्पादकों सहित इंडोनेशिया की सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं का समाधान समुचित रूप से और उसका निपटारा वर्तमान जांच परिणामों में निष्कर्ष पर पहुंचते समय किया गया हे।

ड. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल उन उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने हर प्रकार से पूर्ण प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, के संबंध में अलग-अलग क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उन कंपनियों के लिए जो एक समूह बनाते हैं, एक भारित औसत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

ढ. दिए गए पाटन मार्जिन क्षति मार्जिन के दायरे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक दायरे में दिया गया है। यह दर्जा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्यपद्धति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, वास्तविक पाटन मार्जिन संबंधित निर्यातकों को प्रकट किया गया है।

ण. जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है, हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावे के बारे में, प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावे पर विचार किया है और संतुष्ट होने पर उसकी अनुमति दी है।

त. भारतीय उत्पादन की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जैसा कि वर्तमान स्थिति है, जहां उद्योग बहुत अधिक खंडित हैं और इस उत्पाद का उत्पादन काफी संख्या में उत्पादकों द्वारा किया जाता है और जहां समग्र भारतीय उत्पादन के संबंध में कोई प्रकाशित सूचना नहीं है, उत्पादन का आकलन तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना अपेक्षित है जिसमें अप-स्ट्रीम उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया जाना शामिल हो सकता है। कच्चे माल की समग्र खपत पर विचार कर ऐसे मामलों में उत्पादन का आकलन तर्कसंगत रूप से उपयुक्त और निष्पक्ष पद्धति है। वर्तमान मामले में कच्चे मालों की आपूर्ति का स्रोत भारत में आयात और देश में एकमात्र उत्पादक द्वारा आपूर्ति है। विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए वीएसएफ के विभिन्न उपभोक्ताओं को कच्चे माल की बिक्री, विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) दर्शाते हुए एक स्वतंत्र पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित विवरण मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिया गया है। उन स्थितियों में जहां विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की खरीद के संबंध में सूचना स्वयं कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाती है, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसके फलस्वरूप उत्पादन के बारे में कम बताया गया होता। वास्तव में, घरेलू उद्योग का यह तर्क था कि आधार का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए समग्र पात्र भारतीय उत्पादन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता था क्योंकि तथ्य यह है कि घरेलू उत्पादकों ने इस उत्पाद का (या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपनी सहयोगी कंपनी के माध्यम से) आयात किया है और इस कारण से उसे नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र माना जाना चाहिए। जबकि आवेदक ने भारत में आयातों का अपना स्वयं का आकलन दिया है, प्राधिकारी ने इस प्रयोजन से डीजीसीआईऐंडएस द्वारा प्रकाशित सूचना को अपनाया है।

थ. प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करने के संबंध में इंडोनेशिया की सरकार के तर्क के बारे में, प्राधिकारी उसे दोहराते हैं कि इन उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर वास्तव में पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण हैं और उत्तरों में न तो अपेक्षित सभी सूचना है और न ही वे प्रश्नावली में निर्धारित रूप में और तरीके से हैं। जबकि प्रश्नावली के उत्तरों में कमियों का उल्लेख पूर्व में किया गया था, इन निर्यातकों द्वारा उत्तरों में दिए गए बाद के आंकड़े पूर्व में दी गई सूचना की तुलना में बहुत अधिक अलग थे। इसके अलावा, विदेशी उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तरों में इन कमियों को दूर करने के पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन आगे समय विस्तार दिए जाने के बावजूद, इन उत्पादकों ने इन अपेक्षाओं का निवारण नहीं किया है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि सभी संगत सूचना, दस्तावेज और बैक-अप सूचना समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस जांच में भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों पर है। यद्यपि, प्रश्नावली के आरंभिक उत्तर में भी पाई गई कमियां इन उत्तरों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी प्राधिकारी ने इन कमियों को दूर करने के लिए इन विदेशी उत्पादकों को बार-बार अवसर दिया। यह नोट किया जाता है कि स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर का उपयोग ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया जाता है जिसे पहली बार में ही उनके प्रश्नावली के उत्तर में विदेशी उतपादकों द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यदि विदेशी उत्पादकों को बाद में वह उत्तर जिसे आरंभ में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था, को देने की अनुमति दी जाती है तब यह प्रश्नावली के उत्तर के लिए समय सीमाओं को निरर्थक बना देगा।

द. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति होने पर प्रश्न खड़ा किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति संबंधी कुछ मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार का उल्लेख किया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कुछ मानदंडों के मामले में सुधार हुआ है। हालांकि, यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन क्षति संबंधी प्रत्येक मानदंड के मामले में गिरावट को नहीं दर्शाए और इस प्रकार से कुछ मानदंडों में सुधार क्षति के न होने को नहीं दर्शाता है। जहां तक घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कुछ मानदंडों के मामले में गिरावट दर्शाता है और इस प्रकार की गिरावट अन्य मानदंडों में सकारात्मक घटनाक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में ऐसी स्थिति में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में गिरावट होती है जहां इसके उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग में सुधार होता है, इस सुरक्षित तरीके से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तविक क्षति हुई है।

ध. उन कंपनियों जो घरेलू उद्योग होते हैं और अन्य घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ये दर्शाने के लिए कोई भी सूचना नहीं दी है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में अन्य घरेलू उत्पादकों जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं, द्वारा की गई प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट आई है। इसके अलावा, उन घरेलू उत्पादकों जिन्होंने याचिका नहीं दी है, के घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से जैसे मानदंड उनकी बिक्री और बाजार हिस्से में बहुत अधिक गिरावट स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वास्तव में अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 77 प्रतिशत से जांच की अवधि में 48 प्रतिशत तक गिरावट आई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण कम नहीं हो सकता था।

न. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन विदेशी उत्पादकों को पाटन मार्जिन की गोपनीय गणना दी है जहां अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रकटन विवरण में किया गया है। इन विदेशी उत्पादकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन की जानकारी है। इसके अलावा, प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन के बारे में प्रतिकूल तर्क देते समय इंडोनेशिया की सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि किस प्रकार से प्रकटन विवरण में निर्धारित पाटन मार्जिन उपयुक्त नहीं है।

प. डबल यार्न और मल्टी यार्न को शामिल किए जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों की गई बिक्री को दर्शाता है।

फ. ग्रासिम द्वारा दी गई सूचना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रासिम ने कंपनी द्वारा की गई बिक्री और न कि देश में वीएसवाई की खपत का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। कंपनी ने स्वतंत्र पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित विभिन्न पक्षकारों को की गई बिक्री का विवरण दिया है। चूंकि, ग्रासिम ने अपने आप विभिन्न ग्राहकों को की गई अपनी बिक्री के संबंध में सूचना दी है अत: इन आंकड़ों की विश्वसनीयता अथवा ग्रासिम द्वारा खपत सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में दिए गए सभी तर्कों का कोई आधार नहीं है।

ब. वीएसवाई उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई उच्चतर कीमतों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने किसी स्तर पर भारत में वीएसएफ की आयात कीमत से घरेलू उद्योग के घटकों द्वारा सूचित की गई खपत कीमत से तुलना की। यह देखा जाता है कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से अपनाई गई खपत कीमत वीएसएफ की आयात कीमत से पूर्ण रूप से तुलनीय है। इस प्रकार, रिकॉर्ड पर सूचना यह नहीं दर्शाती है कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गई वीएसएफ की खपत कीमत आंशिक रूप से अधिक हे।

भ. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा यथा-प्रस्तुत अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाण लगभग एक प्रतिशत है।

म. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उत्पाद पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है।

य. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का डाउन-स्ट्रीम उत्पादों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्कों को लगाए जाने से जनहित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है।

130. यह जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय के द्वारा कम नहीं होगी विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की कार्य पद्धतियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ढ. निष्कर्ष

131. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से हुई है।

ण. सिफारिशें

132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रर्याप्त अवसर दिया गया था ताकि वे

पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध करा सकें। पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और उसे पूरा किए जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस कारण से प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

133. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण., इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.स.	प्रशुल्क शीर्षक*	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.सहित कोई भी देश	यिबिन स्पार्क फाइन स्पिनिंग टेक कं., लि.	0.51	यूएसडा.	कि.ग्रा.
2	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	यिबिन ग्रेस टेक्सटाइल कं., लि.	0.41	यूएसडा.	कि.ग्रा.
3	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं.1 और 2 पर दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	0.80	यूएसडा.	कि.ग्रा.
4	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन.जन.गण, इंडोनेशिया, वियतनाम को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	0.80	यूएसडा.	कि.ग्रा.
5	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पीटी मनुग्गल आदिपुरा	0.25	यूएसडा.	कि.ग्रा.
6	55101110,	विस्कोस	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित	पीटी डेल्टा	0.35	यूएसडा.	

क्र.स.	प्रशुल्क शीर्षक*	वस्तु का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	स्पन यार्न*		कोई भी देश	मर्लिन सानडांग टेक्सटिल			कि.ग्रा.
7	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पीटी डेल्टा दुनिया सानडांग टेक्सटिल		यूएसडा.	कि.ग्रा.
8	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	पीटी डेल्टा दुनिया टेक्सटिल		यूएसडा.	कि.ग्रा.
9	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	क्र.स. 4 से 8 पर दिए गए उत्पादकों को छोड़कर कोई भी उत्पादक	0.44	यूएसडा.	कि.ग्रा.
10	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन.जन.गण, इंडोनेशिया, वियतनाम को छोड़कर कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	0.44	यूएसडा.	कि.ग्रा.
11	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	कोई भी	0.41	यूएसडा.	कि.ग्रा.
12	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	विस्कोस स्पन यार्न*	चीन.जन.गण, इंडोनेशिया, वियतनाम को छोड़कर कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	0.41	यूएसडा.	कि.ग्रा.

* पी यू सी विस्कोस रेयन स्पन यार्न है जिसमें खुदरा बिक्री के लिए प्रस्तुत न की गई सिलाई के धागे को छोड़कर कृत्रिम विस्कोस स्टेपन फाइबर के वजन से 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है ।

** नोट: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और पी यू सी के विवरण के अनुसार पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

त. आगे की प्रक्रिया

134. केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद इन जांच परिणामों के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 और 1995 में यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

(Final Findings)

New Delhi, the 30th December, 2020

CASE No. ADD-OI-32/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Viscose Spun Yarn" originating in or exported from China PR, Indonesia and Vietnam

F. No. 6/41/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter al so referred to as the AD Rules or the Rules).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (herein after referred to as the Authority), received a written application from the Indian Manmade Yarn Manufacturers Association (hereinafter referred to as the "Applicant") on the behalf of domestic producers, in accordance with the Act and the Rules for imposition of Anti-dumping duty on imports of "Viscose Spun Yarn" (hereinafter also referred to as the "Product Under Consideration" or "PUC" or "subject goods") from People's Republic of China, Indonesia and Vietnam (hereinafter also referred to as the "subject countries") alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the above subject countries.

2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide notification No. 6/41/2019 - DGTR dated 14th January, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Indonesia, and Vietnam, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

   b. The Authority issued a public notice vide its initiation notification dated 14th January, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.

   c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 14th January, 2020 to the Embassies of subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations, the Domestic Industry as well as other domestic producers, and other interested parties as mentioned in the application, and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority, upon several requests made by the interested parties, granted extensions of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 4th March, 2020, the time was extended upto 18th March, 2020. Vide communication dated 18th March, 2020, the time was again extended up to 1st April, 2020. Vide communications dated 1st April, 2020; 21st April, 2020 and 9th May, 2020 the time was further extended up to 22nd April, 2020; 10th May, 2020; and 20th May, 2020 respectively.

g. The following governments of the subject countries provided written submissions:

   i. Trade Defense, Directorate General of Foreign Trade, Republic of Indonesia

h. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

China PR	Indonesia	Vietnam
1. M/s Chtc Dayao Textile Co Ltd.	1. M/s Adetex	1. M/s Company Limited Hung Nghiep Formosa
2. M/s F-Tex (Asia) International Limited	2. M/s Adikencana Mahkotabuana	2. M/s Haosheng Vina Co. Ltd
3. M/s Fujian Changle Jinyuan Teaxtile Co	3. M/s Apac Inti Corpora	3. M/s Hung Nghia Formosa Company Ltd
4. M/s Fuzhou Hongyi Trade Co. Ltd.	4. M/s Bintang Makmur Sentosa Textile Industries	4. M/s Mei Sheng Textiles Vietnam Co., Ltd
5. M/s Hmei Thread Co. Ltd. of Yibin Sichua	5. M/s Bitratex Industries	
6. M/s Jiangsu Pengxiang New Material	6. M/s Delta Merlin Sandang Tekstil	
7. M/s Ningbo Haikai International Trade	7. M/s Delta Dunia Sandang Tekstil	
8. M/s Ningbo Sss Thread Co.Ltd	8. M/s Delta Dunia Tekstil	
9. M/s Shandong Zhink New Material Co. Ltd.	9. M/s Embee Plumbon Tekstil	
10. M/s Shaoxing Lianghe Textile Co Ltd.	10. M/s Elegant Textile Industry	
11. M/s Shaoxing Shuhao Textile Technology	11. M/s Excellence Qualities Yarn	
12. M/s Suzhou Pure-Fibre Textile Texhnology Co. Ltd	12. M/s Indo Liberty Textiles	
13. M/s Top Fiber Source Co. Limited	13. M/s Kewalram Indonesia	
14. M/s Wujiang Jingyi Special Fiber Co Ltd	14. M/s Lotus Indah Textile Industries	
15. M/s Xiamen Phoenix New Material	15. M/s Manunggal Adipura	
16. M/s Xiamen Mc Group Corp. Ltd	16. M/s Mulia Jaya Sejahtera Abadi Textile	
17. M/s Xiamen Ming Textile Co Ltd	17. M/s Natatex Prima	

18. M/s Xiamen Wei Textile Technology Co Ltd	18. M/s Pamor Spinning Mills	
19. M/s Xuzhou Guangpeng Textile Co Ltd	19. M/s Pisma Putra Textile	
20. M/s Yibin Grace Textile Co. Ltd	20. M/s Primayudha Mandirijaya	
21. M/s Yibin Spark Fine Spinnig Tech Co. Ltd	21. M/s Sekar Bengawan	
22. M/s Zhejiang Zhongda Group	22. M/s Sinar Pantja Djaja	
	23. M/s Sri Rejeki Isman	
	24. M/s Sunrise Bumi Textiles	

i. In response, the following exporters/producers have filed the exporter's questionnaire response:

1. M/s Yibin Spark Fine Spinning Tech Co. Ltd. China;
2. M/s Yibin Grace Textile Co Ltd, China
3. M/s PT Delta Merlin Sandang, Indonesia;
4. M/s PT Delta Dunia Tekstil, Indonesia;
5. M/s PT Delta Dunia Sandang Tekstil, Indonesia;
6. M/s PT Manunggal Adipura, Indonesia;
7. M/s PT Lotus Indah Textile Industries, Indonesia;
8. M/s PT Embee Plumbon Tekstil, Indonesia;
9. M/s PT Adikencana Mahkotabuana, Indonesia;
10. M/s PT Sri Rejeki Isman Tbk, Indonesia;
11. M/s PT Bitratex Industries, Indonesia;
12. M/s PT Sinar Pantja Djaja, Indonesia;
13. M/s Primayudha Mandirijaya, Indonesia;
14. M/s PT Natatex Prima, Indonesia;
15. M/s PT Sunrise Bhumi Textiles, Indonesia;
16. M/s PT Elegant Textile Industry, Indonesia;
17. M/s PT Indoliberty Textiles, Indonesia;
18. M/s United Raw Material PTE Ltd., Singapore.

j. The following interested parties made legal submissions:

1. M/s Indonesian Textile Association;
2. China Chamber of Commerce for Import & Export of Textile and Apparel;

k. The following interested party submitted a letter:

l. M/s Indo-Thai Synthetics Company Limited.

m. The following interested party has submitted a letter for registration:

1. M/s PT Adetex, Indonesia

n. No response was received from exporters/producers from Vietnam.

o. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

1. M/s A.C.Textile Mills
2. M/s A.P.A.Textiles India Pvt Ltd
3. M/s Aapt Distribution Private Limited
4. M/s Aaurvin Mills
5. M/s Accord Exports
6. M/s Acsen Tex (P) Ltd
7. M/s Agarwal Fabtex Pvt Ltd
8. M/s Amarjot Textile
9. M/s Ambika Cotton Mills Limited
10. M/s Anithaa Weaving Mill Private Limited
11. M/s Annapoorani Textiles Private Limited
12. M/s Anusha Agencies Private Limited
13. M/s Apex Textiles
14. M/s Apple Apparelss
15. M/s Arun Surya Textiles
16. M/s Arunaagold Tex Corporate Private Limited
17. M/s Arul Jothi Exports Private Limited,
18. M/s Arthanari Loom Centre (Textile) Private Limited
19. M/s Arvind Universal Textiles Pvt. Ltd.
20. M/s Avantika Fiber & Allied Private Ltd
21. M/s Avp Industries Private Limited
22. M/s B.M. Industries Pvt. Ltd.
23. M/s B.R.T. Spinners Private Limited
24. M/s B. S. Pulses Pvt. Ltd.
25. M/s B T Cotton Co.
26. M/s Beekaylon Synthetics Pvt. Ltd.
27. M/s Bhagavathi Tex
28. M/s Bhartia Yarns Pvt Ltd
29. M/s Bhatia Colour Co
30. M/s Bhawana Spinning Mills
31. M/s Bhumi Yarn Pvt. Ltd.
32. M/s Bid Textiles
33. M/s Bittu Synthetics Pvt.Ltd
34. M/s C S Export
35. M/s C S Weaverss
36. M/s C S Yaarns
37. M/s Chandra Internationals
38. M/s Damodar Industries Limited.
39. M/s Delhi Textile Traders
40. M/s Dharan Textile
41. M/s DHC Marketing Pvt. Ltd.
42. M/s Erode Amarnath Mills Private Limited
43. M/s Erode Viscose Rayon Fabrics
44. M/s Espee Kumaran Textiles
45. M/s Euro Vistaa (India) Limited
108. M/s Pavan Kumar Raj Kumar
109. M/s Pee Vee Textiles Limited
110. M/s Perfect Products
111. M/s Polychem Exports
112. M/s Poly Chem Imp. & Exp. Co.
113. M/s Poongodhai Textile Mills
114. M/s Prakash Cotex India Llp
115. M/s Prakash Textiles
116. M/s R Vijayanand & Co
117. M/s Rajeswari Weaving Mill
118. M/s Raj Rajeshwar Enterprises Pvt. Ltd.
119. M/s Ranga Weaves India P Ltd
120. M/s Ratanmoti Texfab (India) Pvt. Ltd.
121. M/s Rhythm Overseas
122. M/s Richloom Exim
123. M/s Roshini Impex
124. M/s Royalene
125. M/s S.K.T.Textile Mills
126. M/s S. K. Weaving Pvt. Ltd.
127. M/s Sakshi Yarns Pvt Ltd
128. M/s Sandhya Fabrics
129. M/s Santha Spinning Mills Private Ltd
130. M/s Santosh Industries
131. M/s Sgr Textile House LLP
132. M/s Shakthi Murugan Textiles
133. M/s Shekhawati Syntex Pvt. Ltd.
134. M/s Shree Balaji Fabrics
135. M/s Shree Hari Yarns Private Limited
136. M/s Shree Ramkrishna Agency
137. M/s Shree Shakatambika Mills
138. M/s Shri Selvakumar Textile & Sizing Mills
139. M/s Shri Vasudeva Weaving Mills Pvt Ltd
140. M/s Shyena Tech Yarns Pvt Ltd
141. M/s Shri Aaditya Traders
142. M/s Shri Arunachaleswarar Tex
143. M/s Shri Kalyan Trading Co.
144. M/s Shri Vallimurugan Spinners Private Limited
145. M/s Sindhu Suta Textiles
146. M/s Sjv Textile Mills
147. M/s Slachi Impex
148. M/s Snowtex Synthetics Private Limited
149. M/s Somanur Kalpana Cotton (India) Private Limited
150. M/s Spaceage Syntex Pvt Ltd
151. M/s Sree Arulmani Exports

46. M/s Everflow Petrofils Ltd.
47. M/s Everflow Techno Tex Pvt. Ltd.
48. M/s Fine Yarns
49. M/s Fortune Filaments
50. M/s Gimatex Industries Pvt. Ltd
51. M/s Gnana Murugan Textiles
52. M/s Hardik Fashion - Hitendrakumar Ishwarlal Patel-Huf
53. M/s Hardik Tex (Navinchandra Ishwarlal Patel-Huf)
54. M/s Hasasi India Private Limited
55. M/s Healthium Medtech Private Limited
56. M/s Hundred Rayon
57. M/s J M Commodities Limited
58. M/s Janki Overseas
59. M/s Jeen Bhavani International
60. M/s K Chandrasekar
61. M/s K. K. Spinners (P) Ltd.
62. M/s K R G Textile Mills
63. M/s Kadeshwara Fabrics
64. M/s Kalaimagal Textiles
65. M/s Karan Enterprise
66. M/s Karwa Yarn Private Limited
67. M/s Kasim Textile Mills Private Limited
68. M/s Kayavlon Impex Pvt Ltd
69. M/s Kay Aar Exports
70. M/s Kedia Textiles
71. M/s Kej Enterprises
72. M/s Khanna Textiles
73. M/s Kohinoor Weaving Mills
74. M/s Kpg Cottspinn India Private Ltd
75. M/s Kpm Enterprises
76. M/s Kreepa Overseas Pvt. Ltd.
77. M/s Krs Textiles
78. M/s Kunal Textiles
79. M/s Kumaran Textiles
80. M/s Laxmi Textile Industries
81. M/s Le Merite Exports Limited
82. M/s M.P. Textiles
83. M/s M. Sundardas & Sons
84. M/s Madurai Weaving Mills
85. M/s Malar Textiles
86. M/s Mangalam International
87. M/s Mayank Traders
88. M/s Malli Mal Sant Lal & Co
89. M/s Maru Enterprises Pvt. Ltd.
152. M/s Sree Arulmurugan Textile Mills
153. M/s Sree Sundara Mills
154. M/s Srinivasa Textiles
155. M/s Sri Aiswaryaa Internationals
156. M/s Sri Amman Sizing And Weaving Mills
157. M/s Sri Amman Textiles
158. M/s Sri Baalaji Sizing/Spinnings Mills
159. M/s Sri Balaji Yarns
160. M/s Sri Jayalakshmi Textiles
161. M/s Sri Jayaramm Textiles
162. M/s Sri Lakshmi- Durga Export
163. M/s Sri Mouli Textiles Pvt Ltd
164. M/s Sri Murugan Textiles
165. M/s Sri Palani Andavar Textiles
166. M/s Sri Ramakrishna Textiles
167. M/s Sri Sakthivel Impex,
168. M/s Sri Sakthivel Tex Mills
169. M/s Sri Shanmuga Textiles
170. M/s Sri Shanmugavel Mills Pvt Limited
171. M/s Sri Shuba Tex Private Limited
172. M/s Sri Spm Weaving Mills
173. M/s Sri Venkatachalapathi Textiles
174. M/s Strike Right Integrated Services Limited
175. M/s Sudhan Yarns, (Prop: C. Suganthi)
176. M/s Sun Laand Auto Weave
177. M/s Suryaamba Spinning Mills Ltd.
178. M/s Suyog Synthetics
179. M/s Svc Textile Company Pvt. Ltd.
180. M/s T. T. Limited
181. M/s Tesla Corp
182. M/s Texperts India Pvt. Ltd.
183. M/s Thakurji Enterprise
184. M/s Thangavel Fabrics Private Limited
185. M/s Tharun Texspin Mills Private Limited
186. M/s Titaanium Ten Enterprise Limited
187. M/s Top Light Lables, (Prop. N. Velusamy)
188. M/s Tribest Fineyarns Limited
189. M/s Tribeni Worldwide Pvt. Ltd.
190. M/s Tripod Textile Export Pvt Ltd
191. M/s Tulsi Udhyog
192. M/s United Dry Goods (P) Ltd
193. M/s Unitec Inc
194. M/s Vardhman Filaments
195. M/s Varunn Exports
196. M/s Ved-Darshan Yarn Traders LLP

90. M/s Mehala Mills	197. M/s Velatal Spinning Mills (P) Limited.
91. M/s Mehta Yarns	198. M/s Vms Fabrics Private Limited
92. M/s Modern India Limited	199. M/s Viramdev Textiles
93. M/s Monit Trading Private Limited	200. M/s Vishakha Enterprises
94. M/s Motherland Textile India Private Limited	201. M/s Withus Fab Tex (Opc) Private Limited
95. M/s Murugavilas Textiles	202. M/s Yarncoms India Pvt Ltd
96. M/s Nakoda Infraprojects Private Limited	203. M/s Yashraj Overseas
97. M/s Nataraja Textiles	204. M/s Yuvaraj Textiles
98. M/s Nimish Syntex	
99. M/s Nithyabharath Textile Private Ltd	
100. M/s Nithya Textiles	
101. M/s Om Fab	
102. M/s Orion Fabrics Pvt. Ltd.	
103. M/s P.K.P.N. Spinning Mills P. Ltd	
104. M/s P J Commercials	
105. M/s P Surya	
106. M/s Pan Impex	
107. M/s Pankaj Enka Private Limited	

p. In response, the following importers/users have responded by filing importer's questionnaire response:

1. M/s Kayavlon Impex Pvt Ltd.;
2. M/s Roshni Impex;
3. M/s Gnanamurgan Textiles;
4. M/s Erode Viscose Rayon Fabric.

q. The following importers/users have filed letters for registering themselves as interested parties and/or have filed legal submissions:

1. M/s DHC Marketing Pvt Ltd;
2. M/s Sri Balaji Spinning Mills;
3. M/s Health Medtech Private Limited;
4. M/s Shree Balaji Fabrics;
5. M/s Kumaran Textiles;
6. M/s Kalaimagal Textiles;
7. M/s Nithyabharath Textile (P) Ltd;
8. M/s Annapoorani Textiles private Ltd;
9. M/s Thirumala Exports;
10. M/s Ved Darshan Yarn traders LLP;
11. M/s P. Surya Rao;
12. M/s KRG Textile Mills;
13. M/s Neelam Thread Pvt. Ltd.;
14. M/s Sri Shuba Tex Private Limited;
15. M/s ACE Industries;
16. M/s Maher Filaments;
17. M/s Reaghan Fashions Pvt. Ltd.
18. M/s Health Medtech Pvt. Ltd

r. The Authority also sent initiation notification to the following Associations asking them to inform all their members regarding the initiation of investigation with the request to submit their response/comments, if any:

1. Erode Veerapan Chatram Powerloom Owners Association
2. Rajasthan Textile Mills Association
3. Erode Visaithari Urimayalargal Sangam

s. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in these final findings.

t. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st April, 2019 – 31st December, 2019 (9 months). The injury examination period has been considered as the period from 1st April, 2016 – 31st March, 2017; 1st April, 2017 – 31st March, 2018; 1st April, 2018- 31st March, 2019 and the POI.

u. The Authority obtained transaction-wise import data for subject goods for the past three years, and the POI from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems (DGS) and analysed the data after due examination of the transactions.

v. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as "NIP") has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

w. Verification of the information provided by the Applicant Domestic Industry by way of table study, to the extent deemed necessary, was carried out. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.

x. Desk Verification of the information provided by the producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of these final findings.

y. Submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.

z. The comments on the proposed PCN methodology from the interested parties including Domestic Industry was also invited vide Notification dated 19th February, 2020. Thereafter, PCN wise information was called from the interested parties by the Authority vide letter dated 4th March 2020 and time limit for submission of information was accordingly extended till 20th May, 2020.

aa. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the Authority in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020, conducted an Oral Hearing through video conferencing on 7th December 2020 to provide an opportunity to the interested parties to present their views orally before the Designated Authority. All the parties who attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and/or rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of these final findings.

bb. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing

information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

cc. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.

dd. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 18th December 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in the Final Findings. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post-disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

ee. '***' in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

ff. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US$1 = ₹ 71.24.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

> *"4. The product under consideration for the purpose of the present investigation is "Viscose rayon spun yarn containing 85% or more by weight of artificial viscose staple fibre, other than sewing thread, not put up for retail sale, falling under 55101110 and 55101210. The product under consideration can be either single or multiple folded or cabled yarn".*
>
> *5. VSY is mainly used for weaving or knitting for production of fabric for eventual use in garments.*
>
> *6. The PUC is classified under Chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975. While the prescribed classification of the product is 55101110 and 55101210, the PUC has also been imported under 55101190, 55101290, 55109010 and 55109090. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation."*

C.1. Submissions of the Domestic Industry

5. The submissions made by the Domestic Industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

a) The product under consideration in the present investigation is "viscose rayon spun yarn' also known as "viscose spun yarn" containing 85% or more by weight of artificial viscose staple fibre, other than sewing thread, not put up for retail sale. The subject goods are classified under heading Chapter 55 under customs subheading no. 5510 of the Customs Tariff Act, 1975.

b) While the prescribed classification of the product is 55101110 and 55101210, the product has also been imported under 55101190, 55101290, 55109010 and 55109090. Single yarn is the product that is being imported in multiple codes. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation

c) The product under consideration is viscose spun yarn, a man-made fibre having all kinds of variants of viscose spun yarns such as bright/ semi-dull (or variants thereof), coloured/dyed, undyed or dope dyed (or variants thereof), single/ double/ multiple/ folded/ cabled (or variants thereof), single ply or double ply (or variants thereof), waxed or non-waxed having counts of the yarn ranges from 10 counts to 60 counts. The product can be sold in the form of normal yarn or slub yarn.

d) Viscose spun yarn is used for weaving (warp/weft) or knitting (Hosiery) for production of fabric for eventual use in garments.

e) The product is manufactured through three different technologies-

i. Ring Spun Technology - Ring spinning technology;

ii. Open End Spun Technology – Rotor spinning technology;

iii. Air-jet Spinning technology - "airjet" technology is supplied by Murata, Japan. It is known as Vortex Technology (Murata Vortex System), and supplied by Rieter technology, Switzerland, known as Comforjet.

f) The goods produced by the Applicant are like article to the PUC imported from subject countries as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country. The Applicants have produced like article to the imported products.

g) The domestic industry produces and supplies the double yarn as well as multi yarn and there is no justification for its exclusion. Further, the production process and the spindles used for producing single yarn and the double or multi yarn are same. The petitioning companies have already submitted the PCN wise data to the Authority whereby details of all different types of product under consideration are provided and the Authority may verify the same.

h) The domestic producers use airjet technology. Airjet Technology incorporates both Vortex and Comfertjet technologies.

i) With regard to the exclusion of the Dyed VSY, it is submitted that though Dyed VSY is being imported into India from subject countries, the domestic industry produces and supplies the Dyed VSY. There is thus no justification for its exclusion.

C.2. Submissions of Other Interested Parties

6. The following submissions have been made by the exporters/ producers/ other interested parties regarding the PUC:

a) The scope of the PUC should be reviewed. Double yarn or multi-yarn are significantly different from single yarn in terms of the production process and prices. Since the domestic industry does not produce double yarn or multi-yarn the same should be excluded from the scope of product as their imports would not cause injury.

b) VSY produced through air-jet technology should be excluded as the domestic industry has insufficient production capacities and this type of product is only used for fashion fabric.

c) Dyed VSY should be excluded from the PUC as it has not been imported in India.

C.3. Examination by the Authority

7. The PUC in the present investigation is viscose rayon spun yarn containing 85% or more by weight of artificial viscose staple fibre, other than sewing thread, not put up for retail sale.

8. The product is classified under Customs Tariff headings 55101110 and 55101210. The PUC has also been imported under 55101190, 55101290, 55109010 and 55109090. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

9. Some interested parties have contended that the domestic industry does not produce and sell double or multi yarns. The domestic industry has, however, provided evidence in the form of sales invoices relating to sales of double yarn and multi yarn. The authority therefore holds not to exclude double yarn and multi yarn from the scope of PUC.

10. Some interested parties have contended that VSY produced through air-jet technology should be excluded as the domestic industry has insufficient production capacities and this type of product is only used for fashion fabric. The Authority notes that Airjet technology is being used in India. The domestic industry has provided production details of VSY produced through Airjet technology. The Authority, therefore, holds not to exclude VSY produced through air-jet technology from the scope of PUC.

11. Some interested parties have contended that Dyed VSY should be excluded from the scope of the product under consideration as it has not been imported in India. The Authority notes that the Dyed VSY is being imported in India and the Domestic Industry is also producing the same. The Authority, therefore, holds not to exclude Dyed VSY from the scope of PUC.

12. It has been noted from the information available on record that the product produced by the Domestic Industry is like article to PUC imported from subject countries. The product produced by the Domestic Industry, and subject goods imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are a like article to the product imported from subject countries in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

PCN system adopted for product cost-price comparison

13. The Authority proposed a PCN methodology vide letter dated 19th February, 2020 and invited comments on the same from the interested parties. Based on comments received, the Authority notified the following PCN methodology for the purpose of the present investigation to the interested parties on 4th March, 2020.

SN	Particulars	Type	Code
1.	Technology	Ring, Vortex & Open End	Ring = "R" Airjet = "A" Open End = "O"
2.	Count	Count Ranging from NE 12/1 to 60/1 Count Ranging from NE 12/2 to 60/2	11-15 = 1 16-20 = 2 21-30 = 3 31-40 = 4 41-50 = 5 51-60 = 6
3.	Ply of Yarn	Single & Double Ply (1 & 2)	Single ply = S Double Ply = D Multi-Ply yarn = M
4.	Wax/ Non- Wax	Waxed and Unwaxed (N & W)	Waxed = W Unwaxed = U
5.	Fiber Type	Type of Viscose	Viscose Bright = VB Viscose Semi -Dull = YS Fire Retardant = FR Modal= MO Tencel = TL Micro Modal = MM Bamboo Fiber = BA Micro Tencel= MT
6.	Dyeing Type	Undyed, Dyed or Dope Dyed	Undyed = U Dyed = D Dope Dyed = DD
7.	Special feature	Normal Yarn	Normal Yarn = NY
		Slub	Slub = SL

14. The interested parties have submitted the PCN wise data to the Authority.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions of the Domestic Industry

15. The following submissions have been made by domestic industry with regard to the standing of the domestic industry:

a. The application has been filed by The Indian Manmade Yarn Manufacturers Association on behalf of the Domestic Industry. The following companies have provided their financial and injury data:

a. M/s Arunachala Gounder Textile Mills Pvt Ltd
b. M/s Cheran Spinner Private Limited
c. M/s Chola Spinning Mills Private Limited
d. M/s Mothi Spinners Private Limited
e. M/s Pallava Textiles Private Limited
f. M/s Sri Cheran Synthetics India Private Limited
g. M/s Victory Spinning Mills Private Limited

b. These companies are not related to any importer or exporter of subject goods in the subject countries, nor have they imported subject goods from subject countries.

c. The application has been supported by the following companies-

i. M/s Aadhavan Spinners Pvt Ltd
ii. M/s Bhaarathi Spintex India Pvt Ltd
iii. M/s Chendhoor Murugan Yarn Tex India Pvt Ltd
iv. M/s Dhanalakshmi Synthetics Pvt Ltd
v. M/s Dharanii Cotton Mills Private Limited
vi. M/s Saravanagiri Spinning Mills Pvt Ltd
vii. M/s GMB Textiles Mills India Ltd
viii. M/s Hari Krishnaa Spinning Mills Pvt Ltd
ix. M/s Hariharan Spinners (I) Pvt Ltd
x. M/s K.P.N Textile Mills Pvt Ltd
xi. M/s KKP Spinning Mills Pvt Ltd
xii. M/s KKP Textiles Pvt Ltd
xiii. M/s Kumaragiri Spinnerss (P) Ltd
xiv. M/s Meenakshi Textile Mills
xv. M/s NKCM Spinners Pvt Ltd
xvi. M/s Pavathal Spinning Mills Pvt Ltd
xvii. M/s Prince Yarnn India Ltd
xviii. M/s Sri Jaya Maaruthi Yarn India Pvt Ltd
xix. M/s Sri SanthanaLakshmi Spinners Pvt Ltd
xx. M/s V. Thangavel & Sons (P) Ltd
xxi. M/s Vedagiri Hi-Tech Spinning Mills Pvt Ltd
xxii. M/s VST Spintex India Pvt Ltd

d. Post initiation of the investigation, the Application has been supported by the following companies-

   a. M/s Sri Hariprasath Textiles Private Limited
   b. M/s Shiv Ganes Spinning Mills (P) Ltd.
   c. M/s Saranya Spinning Mills (P) Ltd.
   d. M/s Mehala Hills
   e. M/s Aakavi Spinning Mills Private Limited
   f. M/s SSPE Cotton Mills Private Limited
   g. M/s Shrie Harivallabi Spinners Private Limited

e. In the absence of any publicly available information, the Applicants have estimated gross domestic production on the basis of information provided by the major supplier of raw material i.e. Viscose Staple Fibre and imports of the raw material into India.

f. The petitioning association has submitted all the requisite information as per the instructions issued by the Authority with the application.

g. The Association represents the majority of the VSY producers who are located in the geographical area of Erode and nearby. This region is the hub of the producers of product under consideration. The cluster of VSY producers in the area of Erode and nearby represent 80% of the Indian Industry.

h. The petitioning companies alone constitute more than 25% and are eligible to maintain the application in terms of Rule 5.

i. The WTO AD Agreement or the Indian Rules do not provide for any specific mechanism for determining the total Indian production and standing of the Domestic Industry. The Domestic Industry in the present case is fragmented and scattered, consisting of small and medium scale enterprises. Neither the government authorities nor any private institution publishes or provides any record of Indian production of the product under consideration. Therefore, this industry is quite different in structure and composition as compared to the typical domestic industry in various other cases.

j. The ruling of Hon'ble CESTAT in the case of Lubrizol (India) Pvt. Ltd. versus the Designated Authority clearly shows the meaning of the term "major proportion" and the application passes that test.

k. There are 7 petitioning companies and 29 domestic producers of product who have expressly supported the investigation and imposition of duty. The Applicant along with supporters accounted for 47% of the total Indian production at the stage of initiation. Further, there was no opposition to the application either at the stage of initiation or any time thereafter.

l. The Applicant association has provided information regarding the total number of its members that manufacture the subject goods, and the members who are importers of the subject goods.

m. The Application is specifically supported by a number of domestic producers of the product.

n. The Applicant association has written a communication to all known manufacturers/ producers of the product in the country who wish the anti-dumping duty to be imposed on the dumped subject goods. None of the producers of the product under consideration have opposed the application/investigation/imposition of duty on the subject goods.

o. The Association does consist of producers of mixed yarn of cotton fiber, polyester staple fiber, polyester staple yarn, etc. But this fact is totally immaterial. In fact, the petitioner companies also are capable of producing blends of cotton fiber, polyester staple fiber, polyester staple yarn, etc as per the demand in the market. The spindles used for production of VSY can be switched to other types of yarn and no separate production facility is required to produce mixed yarn of cotton fiber, polyester staple fiber, polyester staple yarn,

etc. However, the information submitted to the Authority has been prepared considering information pertaining product under consideration only.

p. If it is considered that the total Indian production is overestimated by the Applicants (by not considering the VSF being consumed in the NPUC), the standing of domestic industry is rather higher.

q. The Applicant has also submitted the list of companies who have faced injury and stopped manufacturing the product under consideration and switched or diverted their spindles to other products.

r. The submission on Grasim being held guilty of following discriminatory pricing by Competition Commission of India (CCI) is irrelevant and misplaced and the said decision has no relevance to the present antidumping investigation. There is no enquiry by the CCI either against the petitioning companies or with regard to the product under consideration. The Petitioner has relied on the data to the extent of sales made by the Grasim for VSF production to determine the total Indian production of PUC.

s. The present investigation was initiated on 14th January 2020, whereas the report of CCI has been published on 16th March 2020. Further, the findings of CCI has no bearing on the data provided by Grasim to the Authority as even the report of CCI is based on the data provided by Grasim only.

D.2. Submissions of Other Interested Parties

16. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the standing of the domestic industry:

a. The Association has not filed complete information as per the instructions circulated vide F.No.14/44/2016-DGAD. All the members of the Association are neither part of the petitioning companies nor have expressly supported the application. There is no evidence to support that the Association consists of 80% of producers and, in fact, it belongs to a handful of industries located in Erode and Tiruchengode district.

b. No resolution has been passed and minutes of the meeting provided wherein its members had decided to file the application.

c. The Association consists of producers of mixed yarn of cotton fibre, polyester staple fibre, polyester staple yarn, etc. and it is not clear how the Applicant has segregated the two.

d. Change in standing casts serious doubts as to how the Authority has satisfied itself about the accuracy and adequacy of the information before initiation.

e. The Application is not representative of the Domestic Industry and hence cannot be said to be made on behalf of Domestic Industry. Mere crossing the threshold of 25% does not ipso facto means satisfaction on other conditions and the test of 'a major proportion' under Rule 2(b).

f. Merely 7 small producers (with a doubtful 29% share) located in the Southern region of India leaving out other major producers and other regions of India.

g. The Applicant has relied on the sales data of VSF provided by M/s Grasim Industries Ltd. to compute the total production of VSY by the Indian domestic industry. The Applicant has applied a consumption norm for the PUC in the ratio 1:0.98 to determine the total production of the PUC by the Domestic Industry. The data on total sale of VSF by Grasim pertains only to the sale of VSF to such producers of VSY who produce 100% VSY. Implicitly therefore, the data set leaves out the total consumption of VSF by such producers of VSY who produce blended VSY which comprises VSF above 85% but less than 100%. Further, Grasim has not provided data on all manufacturers of VSY.

h. The production of the subject product is not actual and it is based on assumption which is not only inaccurate but also misleading as there is no such justification that all raw material purchased in a certain period will be consumed in the same period. This means that it is possible that some portion of the purchased material in the POI would not be used during the POI. In the absence of the actual production, the legal standing cannot be correctly established and as such this should have led to the rejection of the complaint or the termination of the present investigation.

i. Grasim follows a non-transparent practice of dual pricing while invoicing and refuses to disclose its discount policies to the customers. The CCI held that Grasim has been supplying VSF to domestic spinner's category and deemed exporter's category at different prices which are generally discriminatory and disadvantageous to the spinners in the domestic category. Also, Grasim was controlling the production of spinners and discriminating against those spinners who were found to be not converting VSF purchased from it into yarn as per its policy by forcing spinners to submit their monthly production data before passing on the required discounts and spinners were forced to submit the details of products produced and not just VSF consumed.

j. Grasim is related to three exporters in Indonesia which have submitted the Questionnaire response and the chances of them being treated as cooperative is high. Their data is unreliable. They must have planned the prices of export to India as they were well prepared by Grasim for the upcoming investigation.

k. The total Indian production has been estimated on the basis of unverified information of Grasim without any proof of production and the use of VSF in PUC and Non-PUC, whereas the same information and names of users of VSF had been disclosed in the Final Findings issued by the Authority in the Sunset Review of Anti-dumping Duty on VSF, excluding Bamboo Fibre, on 8th July, 2016.

l. CCI has imposed a penalty on Grasim for indulging in unfair price discriminatory practice and the data provided for total Indian production cannot be relied upon.

m. The determination of total Indian production is inaccurate and unreliable as the basis for determination has not been disclosed. Further, Indian production is not based on the information sourced from any authority established by law or Government Promotion Council of the subject goods or the Ministry of Textiles.

n. Support letters submitted do not adhere to the guidelines mandated in Trade Notice 13 of 2018 dated 27th September 2018. The support letters attached do not expressly support the petition. The share of supporting domestic producers is also below 25%.

o. The import data of VSF provided is different from the Comtrade Statistics data.

p. It seems to be a joint application by some small customers in Erode and Tiruchengode of Grasim to mislead the Authority and protect the price advantage taken by Grasim due to AD imposition of VSF.

q. The exclusion of importers from the Domestic Industry and total production is not automatic. What is the source of information about the importing producers and who are related to the exporters?

r. If names of other producers of Viscose Spun Yarn are not disclosed, it cannot be verified whether all producers of Viscose Spun Yarn have been included for determining total production in India.

s. The Domestic Industry is not static in its determination of standing and domestic market share and changing its stand time-to-time. The Authority should have taken into consideration the changes in the percentage of the production and analyze whether 29% would constitute a "major proportion pursuant to Article 4.1 of ADA and Rule 2(b) of the AD Rules. (Relied upon AB report in EC- Fasteners (China))

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

> "*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

18. The present Application was filed by the Indian Manmade Yarn Manufacturers Association on behalf of the Domestic Industry. The following companies have provided their financial and injury data:

a. M/s Arunachala Gounder Textile Mills Pvt Ltd

b. M/s Cheran Spinner Private Limited

c. M/s Chola Spinning Mills Private Limited

d. M/s Mothi Spinners Private Limited

e. M/s Pallava Textiles Private Limited

f. M/s Sri Cheran Synthetics India Private Limited

g. M/s Victory Spinning Mills Private Limited

19. The Applicant association submitted that the production of its members constitutes about 80% of Indian production. The Association has, however, not given any definite quantity of Indian production in the POI, pleading that production information is not collected/compiled by the association, nor called by the association for this purpose in view of sensitivity of the said information.

20. The Association, however, submitted that it had sent a communication dated 12th November, 2019 to 50 members of the Association intimating them that in view of significant injury being suffered by the domestic producers of Viscose Spun Yarn from low priced imports, the Association has decided to seek imposition of anti-dumping duty on imports of Viscose Spun Yarn" and has asked them to specify whether they supported or opposed the petition for imposition of duty and that whether or not they wished to provide relevant information about company's operations.

21. Forty (40) domestic producers have supported the Application and there was no opposition to the filling of application either at initiation stage or anytime thereafter during the course of the investigation.

22. Out of the 40 supporters, 22 domestic producers have separately filed support letters and provided information with regard to their capacity (in spindles & MT), production, domestic sales (in volume & value) and export sales (in volume & value) besides opening and closing stock at the time of initiation. No other information was furnished.

23. Post initiation of investigation 7 additional companies filed support letters and provided capacity (in spindles & MT), production, domestic sales (in volume & value) and export sales (in volume & value) besides opening and closing stock at the time of initiation.

24. Since no concrete information with regard to Indian production is compiled by or available with either the Associations, or any agency, which would be accessible as public information; considering facts and circumstances of the present case, the Authority considered it appropriate to rely on the available information for the purpose of determining the total production in India and the standing of the petitioning domestic producers as eligible Domestic Industry at the stage of initiation. The Authority recognises the difficulties in quantifying gross domestic production in case of fragmented industry like the one in the present case. It is seen that there are at least 150 producers of whom are consuming raw materials either from Grasim or are importing the same for manufacture of PUC in India. The average production per company comes to 1-2%, thus showing small size of each producer vis-à-vis Indian production. The interested parties have contended that that any domestic producer can produce not only VSY but also other kinds of yarns. Further, production of product under consideration requires viscose staple fibre as the key raw material (while by definition, viscose staple fibre should be at least 85% by weight, the product under consideration is de-facto 100% viscose). The Authority, therefore, holds that in the facts and circumstances of the present case, domestic production can be determined on the basis of consumption of raw material in the country. The Authority has assessed Indian production on the basis of consumption of raw material as had been done in the past also by the Authority in similar situations. Further, in view of the difficulties encountered in ascertaining producer-wise raw material consumption in such fragmented industry, consumption in such situations is determined/ derived by considering supplies of raw material(s) by various sources. Since M/s Grasim Industry

Ltd. is the only domestic supplier of raw material in the country, its information along with imports of viscose staple fibre can be considered as the supplies of viscose staple fibre to the producers of viscose spun yarn.

25. Interested parties have referred to the decision of CCI rendered in the context of Grasim Industries Ltd. The Authority, however, notes that the said investigation and decision has no bearing on the information supplied by the company with regard to the quantity of viscose staple fibre sold by the company. The company has provided the details of sales of Viscose Staple Fibre made to various parties in India for manufacture of PUC and non-PUC. Thus, information provided by Grasim Industries has been relied upon to estimate the Indian production of subject goods. Further, information on imports has been relied upon from the published DGCI&S information. On the basis of supplies of raw material by the sole Indian producer M/s Grasim Industries and imports thereof, the total domestic production of subject goods for the POI on the basis of consumption norm declared by petitioners is *** MT (***%) and that on the basis of standard input-output norm is *** MT (***%), and in both the situations petitioning domestic producers account for more than 30% of the total domestic production even without any supporter of the Application. It is noted that if the production of producers who have given support letters (some with some data and others without that) then these taken together account for approximately 65% of the Indian domestic production.

26. The Authority notes that as regards decision of Competition Commission, is irrelevant to the present investigation in so far as assessment of total Indian production and standing of Domestic Industry is concerned. The decision of CCI concerns pricing of the product by a raw material supplier and is beyond the domain of the current investigation in so far as assessment of total Indian production and standing of domestic industry is concerned. The present investigation concerns viscose spun yarn and not viscose staple fibre. Information with regard to Indian production has been adopted by the Authority based on the sales volumes of viscose staple fibre supplied by Grasim Industries. No other information pertaining to Grasim Industries has been adopted in the present investigation.

27. The Authority notes that it is desirable that a supporter of an Application provides the desired information in the format prescribed in Trade notice 13/ 2018. The information prescribed by the Authority in Trade notice 13/ 2018 for supporting domestic producers enables the Authority to ascertain whether supporting domestic producers have also suffered injury, even if such domestic producers are not included as a part of the Domestic Industry. However, in a situation where supporting domestic producer has not provided relevant information in prescribed format, but have nonetheless expressed support to the application, the Authority notes that such supporters cannot be treated as "opposition".

28. The Authority notes that the production of the applicant Domestic Industry who has provided all relevant information with regard to injury constituted a major proportion of Indian production at the stage of initiation and even thereafter.

29. The Association has provided relevant details as prescribed under the Trade Notice and a copy of the resolution passed for filling of application for imposition of duty.

30. As regards the contention that members of the Association are also engaged in products not covered under present investigation, it is noted that the mere fact that the Association members are engaged in other products as well does not imply that the Association cannot take up the case in respect of the PUC. The Authority has considered information pertaining only to the PUC and has not considered information pertaining to other products. Further, Applicant companies have provided information only for the PUC. The Indian production has been assessed based on raw material consumption.

31. After the initiation, Grasim Industries has provided complete details of sales of viscose staple fibre to different consumers in India which further supports the correctness of information filed at the time of initiation.

32. As regards import volumes of VSF, it is noted that the Authority has adopted information published by the DGCI&S.

33. As regards to the information of total Indian Production to be procured from government source, the Authority notes that there is neither any government agency nor any private body organisation in possession of any such data.

34. From the above, the Authority notes that the participating eligible domestic producers account for a major proportion of the total domestic production and, therefore, constitute Domestic Industry within the meaning of the Rules. The petitioning companies satisfy the eligibility criteria of domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and meets the criteria of standing under Rule 5 (3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the Domestic Industry

35. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

a. The Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of AD Rules and as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018 and provided sufficient information justifying initiation of the investigation. The applicant has provided all information as required under the application proforma.

b. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.

c. Interested parties have filed a grossly deficient response in the non-confidential version even after being given an extension of time to file sufficient and complete information. The same is purely with the intent to impede the investigation and not provide the data necessary for an expedited determination. By virtue of Rule 6(8) of the Rules, the response filed by interested parties must be rejected and they should be declared as non-cooperative.

d. Contrary to the arguments of the opposite interested parties, the Domestic Industry has submitted a justification table for its claims of confidentiality both with the non-confidential version of the petition and the updated data. Further, the Domestic Industry has submitted a table showing its compliance with the Trade Notice.

e. Formats A to K contain costing and price information, which cannot be disclosed. Further, non-injurious price is a confidential sensitive information and cannot be disclosed.

f. All the injury parameters of the Domestic Industry have been provided in the indexed form and in line with the requirements of the trade notice.

g. NIP is a highly business-sensitive information and cannot be disclosed on an actual basis or even in a range. In fact, the Designated Authority does not disclose NIP or normal value or export price even in a range.

h. The Applicant has already submitted the non-confidential version of DGCI&S Transaction wise import data vide letter dated 28th February 2020.

i. The disclosure of actual figures of normal value will cause serious prejudice since the information constitutes third party information. A sufficient non- confidential version of the same has been provided by the petitioner.

E.2. Submissions of Other Interested Parties

36. The following submissions have been made by the other interested parties:

a. Excessive confidentiality has been claimed in violation of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018, 13 of 2018, and 14 of 2018 as format H provided for petitioner companies does not contain any aggregate number or indexed numbers and all figures have been blacked out and no meaningful summary has been provided. In this connection reliance is placed on the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority 2003 (158) E.L.T. 673 (S.C.).

b. The Applicant has not provided non-injurious price range and price underselling/injury margin as per Trade Notice No. 18/2018.

c. The summary import data have been provided without providing the entire transaction-wise DGCI&S data.

d. The Application does not disclose names of producers who are importers of the subject product and who are related to the exporters of the subject product. This information cannot be considered as confidential.

e. Normal value determined for subject countries are kept confidential and no evidence has been provided.

f. No meaningful summary has been provided. The Applicant stated as to why summarisation is not possible for annual reports of the petitioner companies, performance parameter of each companies constituting, information pertaining to costing, consumption of raw material, allocation and apportionment of expenses, segregation of Domestic Industry production and sales of PUC and NPUC, stock, employment, investments, price trends, import material price trend.

E.3. Examination by Authority

37. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

38. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality, the Authority considers that any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

39. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

40. As regards the contention that the injury information provided by the applicant companies is inconsistent with the trade notice or the decision of the Hon'ble Supreme Court, the Authority notes that the information has been adequately and sufficiently disclosed in the non-confidential version. Further, whenever applicant has not provided actual information, the Applicant has provided reasons for the same. The interested parties have not shown how the reasons/justifications given by the applicant for claiming confidentiality are not appropriate.

41. It is clarified that the Authority treats non-injurious price as a confidential information.

42. As regards the contention that excel file of transaction-by-transaction imports were claimed confidential by the Domestic Industry, the procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March, 2018. It provides that (i) the sorted import

data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. The hard copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The interested parties who requested for procurement of import data from DGCI&S and provided undertaking as per Trade Notice 07/2018 were also granted authorization to obtain import data in excel file from DGCI&S. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent and uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions of the Domestic Industry

43. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

a. The Authority has already satisfied itself with regard to accuracy and adequacy of the information submitted by the Domestic Industry in the Application. In fact, the investigation was initiated only after the Authority satisfied itself with regard to dumping, injury and causal link.

b. The investigation in the present matter was initiated after satisfying the requirement of Rule 5 of Rules and Article 5 of the WTO Agreement. The Application filed by the Applicant was considered by the Authority as properly documented for initiation of the anti-dumping investigation. However, while initiating the investigation, the Authority has extended the POI as 1st April, 2019 – 31st December, 2019 (9 months) for detailed analysis.

c. The Authority can consider POI between six months to eighteen months and the POI can be extended or revised from the POI proposed by the applicant in the application. It seems that interested party is not aware of the practice of the Authority.

d. The imposition of the proposed anti-dumping duty will not result in any significant adverse impact on the eventual end product and the imposition will be in the larger public interest.

e. If the prices of the product under consideration are examined over the present injury period, it would be seen that the average import price during the period was Rs. 192 per Kg. If an ADD of Rs. 25 per Kg is considered, it would be seen that the prices of the product, in the event of Domestic Industry raising the prices to the extent of ADD (which shall not happen, given market forces and competition) will increase to pre-dumping period. Consumers were paying these prices and growing for last three years. Such being the case, it is without basis that the prices of the product would become unreasonably high in the event of the imposition of ADD.

f. The subject goods are primarily used in the manufacture of women's wear predominantly the ethnic wear. The Applicants have determined the impact of the proposed ADD on the eventual end product. In a situation where the Domestic Industry increases its price by $ 333 per MT, it will be seen that imposition of anti-dumping duty will increase the cost of the eventual end-product by 0.2%-0.5%. Thus, the impact of proposed ADD in the event the Domestic Industry raises the prices by the amount of ADD (which is less likely to happen) would be insignificant.

g. Imposition of ADD would help prevent the decay of the Domestic Industry and would re-establish fair competition in the market.

h. Most of the producers of viscose spun yarn are in MSMEs. The industry is unable to compete with low-priced imports and is finding it difficult to survive in the market. The situation in the present investigation is grave and the information submitted on record clearly shows that the domestic industry is suffering material injury. Imports of the product have increased almost 25 times over the injury period from below 2,000 MT to above 50,000 MT in POI and 6,300 MT in the month of March 2020 alone.

F.2. Submissions of Other Interested Parties

44. The following submissions have been made by other interested parties:

a. The Authority did not have prima facie evidence of dumping, injury and causal link for the full POI of 9 months from April 2019 to December 2019 at the time of initiation of investigation.

Therefore, the initiation of investigation by the Authority is not in accordance with Rule 5 of the Rules.

b. The initiation does not comply with the requirements of Article 5.2 and 5.3 of the Anti-Dumping Agreement (ADA) as the data for the POI was inadequate and inaccurate due to which the adjustment of POI was needed, showing that it lacked prima facie evidence of dumping, injury and causal link information and requirement for imposition of anti-dumping duty on imports from subject countries.

c. There are numerous inaccuracies and inconsistencies in the data in the application which prevent objective examination. The injury information of the Domestic Industry is different at different places in the Application (in pages 38-39 and pages 462-463). Further, imports relative to consumption in paragraph 73 and table 5 page 26 are different from the Annexure A, Proforma IV-A part 1 page 37.

d. Documents such as Registration Certificate, By-Laws & Memorandum of Association, list of the members, details of the executive body/managing structure of the Association, minutes of the meeting in which it was resolved by the Association to file an anti-dumping petition on behalf of some/all its members, and a list of the members who either supported, opposed or remained neutral with regard to the petition have not been provided by the Applicant. These documents are even more important in the present investigation since the Association consists of many members and all these members are not a part of the petitioner companies.

e. More than 1,000 power loom weavers are using VSY for manufacture of value-added fabric and other fabric applications who are small scale industries fragmented across the country and are not capable of sustaining increase in raw material prices. Increase in raw materials prices will render these companies uncompetitive.

f. The value chain of the raw materials in the viscose fabrics is inverted as there is only one producer and supplier of VSF in India. Weavers and spinners are dependent on internationally competitive fibre and yarn to compete with other South Asian Countries. The imposition of ADD on VSF is one of the major reasons for the downstream spinners and weavers being uncompetitive in the international market. If the textile value chain has to be given a boost, the ADDs on raw materials like fibres must be removed.

g. The Government of India is requested to evaluate the public interest in the textile industry and consider the livelihood of millions of people engaged in production of downstream products before imposition of duty on VSY. To survive in this fiercely competitive textile industry, consumers must have continuous availability of cheaper raw materials for growth and to service bank loans. Imposition of ADD will result in huge unemployment of labour and their families. It is essential that imported raw material should be available throughout the year.

h. VSY industry in India comprises small and medium size enterprises. In turn, there is a lack of detailed data at the macro level. As per NITI Aayog, the Indian textiles industry is the biggest employer after agriculture which provides direct employment to 4.5 crore people and another 6 crores in allied sectors. India is the second largest manufacturer of textiles and clothing and the second-largest exporter of textiles and apparel as per Annual Report 2019-20 of the Ministry of Textiles. The importance of competitive supply of raw material, including yarn such as VSY cannot be ignored because it is the major input and plays vital role in Indian economy. Imposition of ADD on such a crucial raw material will hurt the textile industry especially during COVID-19 crisis.

i. The eventual imposition of duty will have adverse and cascading impact on the end users and create a monopoly of the petitioner in the domestic market as import will decline and these users will be on the mercy on their will.

j. Importers want removal of duty on VSF and in that situation yarn imports would reduce by itself without the need for any additional protection measures on yarn imports.

k. The import of Viscose yarns needs to be seen in overall context of ensuring health of entire textile value chain, most notably spinning and weaving industries which are key MSMEs contributing to employment generation.

l. Demand for Viscose based products has grown at over 12% over last five years whereas the capacity and production of VSF has grown at only 2.6% resulting in shortage of fibre / yarn. Overall growth in India has lagged behind rest of the world whereas Viscose demand growth in India has outpaced rest of the world. Due to the duty on VSF, and to meet demand for local industry, yarn import increased during FY'19 and FY'20 as a direct consequence of growing demand and lack of availability. This situation would be further exacerbated as there is no new capacity addition of VSF.

F.3. Examination by the Authority

45. The Authority holds that the investigation was initiated after satisfying the requirement of Rule 5 of the Rules and Article 5 of the WTO Agreement.

a. The interested parties have made a statement about the adverse impact of ADD on downstream industry but have not provided any verifiable data/information to substantiate.

b. On this issue, the domestic industry has submitted as follows:

1. The product under consideration is used only in women's wear, predominantly ethnic wear. The product under consideration is not used in any other sector of textiles industry. Thus, the submissions with regard to textiles industry as a whole are irrelevant.

2. The average price of VSY over the injury period, excluding POI was Rs. *** per kg. The price of the VSY after adding proposed ADD will still remain below these prices.

3. The costs on account of VSY constitute 0.25-0.75% of cost of fabric made out of VSY.

4. When the price of price of VSY declined from average of Rs. *** per kg. to Rs. *** per kg. in POI, there is no evidence that the price of eventual fabric in the market and for public at large declined. There is no evidence that the consumption of VSY substantially increased.

5. When the price of price of VSY increased from average of *** in 2017-18 to *** in 2017-18, there is no evidence that the price of eventual fabric in the market and for public at large increased. Nor, is there any evidence that the consumption of VSY substantially declined. On the contrary, the consumption of VSY increased, which implies consumption of fabric made out of fabric increased.

46. The Authority notes that anti-dumping measures are aimed essentially to ensure fair trade and provide level-playing field to all stakeholders. These measures do not restrict import nor cause an unjustified increase in cost of eventual end products. The purpose of ADD is not to give any kind of undue advantage to the domestic producers, or cause any undue hardship to the consumers of the product. A consumer cannot seek, as a matter of right, access to a product at dumped prices, particularly when such dumping is found to have caused injury to an established industry in India. The purpose of ADD is to remove unfair dumping causing injury to the domestic industry. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. The imposition of anti-dumping duties would not affect the availability of the product to the consumers at fair prices.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

47. Under Section 9A(l)(c) of the Act, "*normal value, in relation to an article, means*:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

G.1. Submissions of the Domestic Industry

48. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

a. Article 15(b) of China's Accession Protocol implies that provisions of Clause 15(a)(ii) shall expire 15 years from date of China's Accession. In other words, provisions of this paragraph shall be available for 15 years, i.e., up to December, 2016. Should it be contended that provisions of Article 15(a)(ii) have already ceased and, therefore, the same cannot be applied to the present case, the provisions of Article 15(a)(i) are still applicable and must be considered for determination of normal value in China. The Authority may, therefore, kindly direct the Chinese producers to show that, consistent with the provisions of Article 15(a)(i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, so that the Designated Authority can use Chinese prices or costs for the industry under investigation. The responding exporters must establish that the elements of costs referred to in the context of determination of normal value are appropriately and completely reflected in the records kept by the exporter or producer under investigation.

b. Thailand can be taken as an appropriate surrogate country for Chinese producers. The applicant has been able to procure verifiable information in respect of the pricing of the product in Thailand.

c. The normal value for Indonesia has been taken on the basis of the price at which the producers in Indonesia, have sold the product for consumption in their domestic market.

d. The Authority has not granted Vietnam Market Economy Status. Therefore, Vietnam should be treated as a non-market economy for the present purposes.

e. The Applicant has relied upon transaction wise import data procured from DGCI&S. The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for, ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and VAT (only for China).

f. The Authority can only consider their data for normal value, export price dumping margin determination, that too if the same is complete in all respects. The Applicant requests the Authority to re-examine and determine the export price determined for each of the responding exporters from the subject countries.

g. The Applicant has made adjustments from export price on the basis of established practice of Authority. The Applicant has not considered any arbitrary selection of the adjustments made to export price. Moreover, actual price adjustments are proprietary information of the concerned exporter and the same is available in public domain.

h. There is no discrepancy in the dumping margins provided in the various submissions made by the petitioner. The dumping margins have changed in accordance with the change in export price as per DGCI&S data while updating the POI and considering first Indonesia and then Thailand as appropriate market economy third country for construction of normal value for China PR and Vietnam.

G.2. Submissions of Other Interested Parties

49. The following submissions have been made by other interested parties:

a. The Normal Value determined for subject countries has been kept confidential and no evidence has been provided.

b. With regard to the Normal Value for exporters from Indonesia, the Applicant has claimed that the Normal Value for Indonesia has been calculated on the basis of the price at which the producers in Indonesia have sold the PUC in their domestic market. This data is entirely inappropriate because the Applicant has not brought on record any reliable evidence to substantiate their claim and to justify the determination of the Normal Value.

c. The Domestic Industry has not disclosed the source of selling price information in Thailand based on which the Normal Value for China PR has been determined. Thailand cannot be surrogate country as the reasons provided by the domestic industry are irrelevant and no legal or factual support provided that the products are similar. There are only one or two less developed producers in Thailand and exports are also insignificant.

d. China PR should be treated as market economy as Article 15(a)(ii) of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China has expired.

e. The Authority is requested to consider Indonesia as a surrogate market economy country for China PR as the Authority will obtain verified information and further, VSY is a developed industry in Indonesia with approximately 20 producers exporting substantial volumes.

f. Dumping margin is required to be determined based on information provided by the producers/exporters from the subject countries. Three different dumping margins in three different submissions show that the data is not reliable.

g. No evidence has been given as to how the applicant has analysed the Normal Value, export price, and dumping margin for Indonesia.

h. The responding exporters have cooperated in the investigation. The Authority may calculate the Normal Value, Export Price, and dumping margins of the Respondents based on the data on the record pursuant to Article 6.10 and Article 2.2.1 of ADA. (Relied upon Appellate Body observation in EC – Fasteners (China) & Panel Body determination in Argentina – Ceramic Tiles)

i. The Applicant has self-assumed the deductions in the export price without even providing any meaningful evidence to support the same. Arbitrary selection of uniform percentages of adjustments for all the subject countries is unreliable. Reliance is placed on Appellate Body Report in the United States - Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada - and Panel decision in the United States - Final Dumping Determination on Softwood Lumber from Canada, WT/DS264/R.

j. The Applicant has provided a summary of the data on the quantum of imports and import prices without providing the entire data set purportedly secured from DGCI&S.

k. The Applicant has not provided any basis of the adjustments made to the Export Price on account of ocean freight; marine insurance; port expenses; bank charges; and handling charges.

l. Calculate dumping on a quarterly basis as international raw material prices have fluctuated by more than 50% during the POI and dropped from USD 1.75 per kg to USD 1.25 per KG during the three quarters of the POI.

G.3. Examination by the Authority

50. The Authority notes that the applicant has provided sufficient non-confidential version of its submissions consistent with the practice adopted by the Authority.

51. As regards source of information for Thailand or Indonesian data, the Applicant has adequately disclosed the same to the Authority on a confidential basis. The Authority notes that disclosure of such information on actual basis can cause serious prejudice since the information constitutes third party information.

52. As regards the appropriateness of Thailand as a surrogate country, it is noted that the only reason given by interested parties contending inappropriateness of Thailand is the existence of low number of producers and low volume of exports.

53. As regards the contention that three different submissions show three different dumping margins, the Authority notes that the dumping margins have changed in accordance with the change in export price as per DGCI&S data while updating the POI.

54. As regards price adjustments claimed in the application, the Authority notes that the dumping margin is beyond de-minimis even if price adjustments are ignored. Further, the questionnaire response filed by the producers/exporters show that the price adjustments claimed by the applicant are not excessive. The Applicant submitted that the relevant information is a proprietary information of the foreign producers and is not in the public domain. This claim of the Applicant has not been disputed by the interested parties.

55. As regards request for calculation of dumping margin on a quarterly basis, the Authority notes that barring Indonesian Textile Association (API), M/s PT. Embee Plumbon Tekstil, M/s PT Bitratex Industries, M/s PT Primayudha Mandirijaya, M/s PT Lotus Indah Textile Industries, M/s PT Sinar Pantja Dajaja, M/s PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, M/s PT Adi Kencana Mahkotabuana, M/s Roshni Impex, M/s Gnanamurugan Textiles and M/s Erode Viscose Rayon Fabrics, no other interested parties have demanded quarterly comparison, nor filed questionnaire response in a manner which permits quarterly determination of cost of production. Even the company demanding quarterly determination has not provided all relevant information on quarterly basis.

H. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

Determination of Normal Value

H.1 Normal value for China PR

Market Economy Status for Chinese Producers

56. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "

57. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11th December, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. It is noted that since none of the responding producers and the exporters from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the AD Rules.

58. At the stage of initiation, it was noted that the Applicant had claimed consideration of Thailand as an appropriate market economy third country for construction of normal value for China PR and had provided information regarding price in Thailand. The Authority advised all interested parties to offer their comments on this issue within 30 days from the date of issuance of initiation notification. Further, pending detailed examination of the claim of Thailand as a surrogate country for China PR, the Authority, for the purpose of initiation of the investigation, had taken the option of the price payable in India for constructing normal value for the China PR. Accordingly, Normal Value for China PR was constructed on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

59. The interested parties have disputed consideration of Thailand as an appropriate market economy third country. Some interested parties have suggested consideration of Indonesia as an appropriate country. The Authority considers that none of the interested parties have however justified how Thailand and Indonesia are an appropriate market economy country having regard to the rules.

60. Having regard to the facts of the case, submissions made by the interested parties, the Authority considers it appropriate to determine Normal Value on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering the cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

H.2 Normal Value for Indonesia

61. There are 15 producers and exporters from Indonesia and a related producer/exporter from Singapore, who have filed their responses. Amongst these 15 producers and exporters, the Authority notes that the responses of 10 producers/exporters, viz. M/s PT Natatex Prima; M/s PT Sunrise Bhumi Textiles; M/s PT Elegant Textile Industry; M/s PT Lotus Indah Textile Industries; M/s PT Adikencana Mahkotabuana; M/s PT Sri Rejeki Isman Tbk; M/s PT Bitratex Industries, M/s PT Sinar Pantja Djaja; M/s PT Primayudha Mandirijaya and M/s PT Embee Plumbon Tekstil have not provided the data/details as per Trade Notice No. 05/2018 dated 28th February, 2018. An opportunity had been provided to them, but no information was received within the stipulated time-frame. The data remains incomplete and there are data gaps. Therefore, they have not been considered as 'cooperating' producers/exporters and the normal value accordingly been determined on the basis of facts available.

62. Further, the Authority notes that M/s PT Indoliberty Textiles, Indonesia had not exported to India during the POI. Hence, the response of M/s PT Indoliberty Textiles, Indonesia has not been considered in the present final findings.

63. The Normal Value of the cooperative producers/exporters has been determined based on their eligible domestic sales transactions.

64. To determine the normal value for cooperative producers/exporters, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods for each PCN. If profit-making transactions for particular PCN is more than 80%, then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions for particular

PCN is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there were no domestic sales or no profitable domestic sales of particular PCN, normal value was constructed based on the cost of production along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.

H.3 Normal Value for Vietnam

65. The Applicant has claimed Vietnam as a non-market economy. Vietnam has, however, been given market economy status by India. Further, none of the producers from Vietnam have filed questionnaire response. Since none of the producers/ exporters have cooperated with the Authority, normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8).

DETERMINATION OF EXPORT PRICE

Export price for China PR

Yibin Spark Fine Spinning Tech Co. Ltd.

66. The Authority notes that Yibin Spark Fine Spinning Tech Co. Ltd. (Yibin Spark) produced and exported *** MT of the PUC to India during the POI directly and through an unrelated trader United Raw Material Pte. Ltd. The Authority has determined the ex-factory export price for Yibin Spark based on its export price after taking into consideration its claims of port and other related expenses, inland transportation, insurance, ocean freight and bank charges.

Yibin Grace Textile Co Ltd.

67. The Authority notes that Yibin Grace Textile Co Ltd. (Yibin Grace) exported *** MT of the PUC to India during POI directly and through an unrelated trader United Raw Material Pte. Ltd. The Authority has determined the ex-factory export price for Yibin Grace based on its export price after taking into consideration its claims of inland transportation, handling charges, insurance and ocean freight.

Non-cooperating Exporters from China PR

68. For the non-cooperating exporters from China PR, the Authority has computed the ex-factory export price based on facts available.

Export price for Indonesia

69. As stated above in paragraph above, there are four cooperating producers/ exporters from Indonesia. Therefore, the Authority holds to determine individual rate of duty for such producers/exporters from Indonesia, viz. PT Manunggal Adipura, PT Delta Dunia Tekstil, PT Delta Merlin Sandang Tekstil and PT Delta Dunia Sandang Tekstil.

70. The Authority has determined individual rates of duty and the export price of the 4 Indonesian producers/ exporters who have furnished requisite information/data and have exported to India during the POI.

PT Manunggal Adipura

71. It is noted that during the POI, PT Manunggal Adipura made sales of the PUC to India either directly or through United Raw Material PTE Ltd., Singapore and Texvista. The Authority notes that PT Manunggal Adipura exported *** MT of the PUC to India directly and through United Raw Material PTE Ltd., Singapore and through Texvista during the POI. The Authority has determined the ex-factory export price for PT Manunggal Adipura based on its export price after taking into consideration its claims of ocean freight, insurance and inland transportation.

PT Delta Dunia Tekstil

72. The Authority notes that PT Delta Dunia Tekstil exported *** MT of the PUC to India during POI directly or through an unrelated trader, Fenatex Co. Ltd. The Authority has determined the ex-factory export price for PT Delta Dunia Tekstil based on its export price after taking into consideration its claims of handing charges, inland freight, packing cost, credit cost and bank charges.

PT Delta Merlin Sandang Tekstil

73. The Authority notes that PT Delta Merlin Sandang Tekstil exported *** MT of the PUC to India during POI directly or through an unrelated trader, Fenatex Co. Ltd. The Authority has determined

the ex-factory export price for PT Delta Merlin Sandang Tekstil based on its export price after taking into consideration its claims of shipping cost, ocean insurance, handling charges, inland freight, packing cost, commission, credit cost, bank charges and other expenses.

PT Delta Dunia Sandang Tekstil

74. The Authority notes that PT Delta Dunia Sandang Tekstil exported *** MT of the PUC to India during POI. The Authority has determined the ex-factory export price for PT Delta Dunia Sandang Tekstil based on its export price after taking into consideration its claims of handling charges, inland freight, packing cost, credit cost and bank charges.

Non-cooperating producers/exporters from Indonesia

75. For those producers/exporters from Indonesia whose questionnaire responses are incomplete for determination of individual dumping margin and for the non-cooperating producers/exporters from Indonesia, the Authority has determined ex-factory export price based on facts available.

Export price for Vietnam

76. Since none of the producers/exporters from Vietnam have cooperated with the Authority, the Authority has determined ex-factory export price for producers/exporters from Vietnam based on facts available.

Dumping Margin

77. The dumping margin for the subject goods has been determined by considering normal value and net export price at ex-factory level. It is seen that the dumping margin for all the producers-exporters from China PR, Indonesia and Vietnam are above de minimis and significantly positive.

Subject Countries/ Producer	NV/CNV (USD/Kg)	NEP (USD/ Kg)	Dumping Margin (USD/Kg)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
China PR					
Yibin Spark	***	***	***	***	20-30
Yibin Grace	***	***	***	***	20-30
Any other producer	***	***	***	***	40-50
Indonesia					
PT. Manunggal Adipura	***	***	***	***	10-20
PT Delta Merlin Sandang	***	***	***	***	10-20
PT Delta Dunia Tekstil	***	***			
PT Delta Dunia Sandang Tekstil	***	***			
Any other producer	***	***	***	***	20-30
Vietnam					
All producers	***	***	***	***	10-20

The same is mentioned in the table below.

I. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

I.1 Views of the domestic industry

78. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the injury and causal link:

a. The demand has increased till 2018-19 and thereafter declined slightly in POI.

b. The volume of imports has shown a huge increase in absolute terms.

c. The dumped imports have increased significantly in relation to production & consumption in India.

d. The imports are undercutting the prices of the applicants in the Indian market.

e. The comparison of cost of sales and selling price shows that whereas the cost of sales declined throughout the injury period, selling price showed a fluctuating trend. The selling price declined from the base year to the year 2017-18 and further increased in the 2018-19 and declined in the POI.

f. The decline in the selling price was far more than the decline in the cost of production. The imports are causing significant price depression.

g. There has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India and the effect of such dumped imports is to depress prices to a significant degree.

h. While the overall production increased, the increase in production of domestic producers as a whole is lower than the increase in demand.

i. The performance of the Domestic Industry improved in 2018-19 and thereafter has steeply deteriorated in terms of profits, return on investments and cash flow.

j. While overall production increased, the increase in production is lower than the increase in demand.

k. The petitioner companies could have enhanced production by about 24,000 MT, considering the capacity utilization achieved by some of the producers forming part of the Domestic Industry;

l. Despite an increase in the demand, the sales of the Domestic Industry have not increased to the extent of increase in demand.

m. In view of increasing demand, the industry has added capacity to meet the domestic needs. Resultantly, the capacities added by the domestic producers increased over the period. However, the Domestic Industry has not been able to benefit from these capacity additions to the extent these could have been in the absence of dumping.

n. The market share of domestic producers has declined.

o. The dumping margin is not only more than de-minimus but also substantial. The impact of dumping on the Domestic Industry is adverse.

p. Inventories with the Domestic Industry have shown a significant increase in the proposed POI.

q. The productivity of the Domestic Industry has increased in the POI, but the productivity is not linked to the injury to the Domestic Industry.

r. The sole factor adversely affecting the domestic price is import price.

s. Employment and wages have shown improvement in the proposed injury period.

t. The growth of the Domestic Industry has now become adverse in terms of all price parameters. The growth of the Domestic Industry in terms of the majority of parameters such as, production, sales, market share, profits, return on investment, cash profits, etc. is negative in POI.

u. Injury to the Domestic Industry is not due to other known listed factors, viz. the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry, changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, and export performance.

v. Under WTO ADA and the Rules 3% of dumped imports to total imports is considered as significant and the affected domestic industry can seek relief under antidumping law. The volume of import from Indonesia is more than de-minimis. As per the cumulative assessment of injury, the Domestic Industry's performance has deteriorated on account of dumped imports

from the subject countries including Indonesia. Imports of the product have increased almost 25 times over the injury period from below 2,000 MT to above 50,000 MT in POI

w. Manmade fibre-based industries are subject to invert duty structure. Fibre is at 18% and yarn is at 12%. Vide Notification No. 20/2018-Central Tax (Rate), dated 26th July, 2018, Government has allowed the refund claim from 1st August, 2018 on accumulated ITC due to inverted duty structure and the same is applicable for the textile industry.

x. The interested parties have not considered value addition done by the Industry from Fiber to Yarn, where this excess GST is utilized.

y. Grasim's VSF prices have remained competitive vis-à-vis international prices. While the International VSF prices declined by 14% during the period Apr – Dec 2019, Grasim VSF prices declined by 22% during the same period. Thus, there is no merit in the point that Grasim has manipulated market prices. Further, the average price of VSF of Grasim has been consistently lower as compared to the average price of VSF in international market since June 2019.

z. The capital employed, interest and depreciation per MT of subject goods have declined in POI as compared to the base year and the injury suffered by domestic industry is on account of dumped imports leading to realization of sub optimal price for the PUC sold in the domestic market during POI.

aa. The applicant has already provided the methodology adopted to convert the spindles in MT. It is calculated on the basis of average production per spindle for the whole industry from 220 grams to 260 grams per Spindle/Shift.

I.2 Views of Other Interested Parties

79. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:

a. Erroneous data has been provided by the Applicant. There are completely different sets of figures on imports in relation to demand at different places in the application.

b. The Applicant has not disclosed the selling price of like domestic products.

c. There is no evidence of material injury.

d. There is no decline in production, capacity utilisation and sales of the Domestic Industry. There has been a steady increase in the market share of the Domestic Industry. There is no actual or potential decline in productivity, employment and wages.

e. There is no causal link between the volume of imports from subject countries and losses if any, suffered by the Domestic Industry. The Domestic Industry's share during the POI-A* compared to the year 2018-19 has increased by 7%. The share of Other Indian Industry during the POI-A* compared to the year 2018-19 has decreased by 17%. The share of imports during the POI-A* compared to the year 2018-19 has increased by 10%.

f. The Applicant has no prima facie evidence of injury as required by Article 5.2 of the Agreement, read together with Article 3.4 of the Agreement. As such, the Authority should have rejected the application in the first place.

g. All the economic indicators in the period of injury 2016-2017 to 2018-2019 were in perfect condition. Any injury allegedly suffered by the domestic industry has been caused by factors other than imports from China PR.

h. The price undercutting analysis was not made based on a fair comparison between type per type product as what is presented in the petition consists of only a general comparison. This does not qualify as positive evidence as required in Article 3.1 of the Agreement and that objective examination cannot be made based upon the same Article.

i. Does the import price reflect additional clearance cost, import duty, applicable taxes and any distributor margin to arrive at the correct landed cost price? If those factors are considered, there would be no price undercutting which could affect the Applicants' price.

j. In 2018-2019, import subject product from alleged countries only constituted 5%. With this small quantum of import of the import product, it would not be possible that import could have caused any injury or posed any threat of injury to the Aplicants.

k. The capacity and quality of the domestic yarn industry cannot meet the needs of Indian market. In the last few years, the demand and consumption of viscose filament fabrics has risen multi-folds with multiple end-users.

l. The share of imports from Indonesia has remained constant and has not captured the incremental market at all.

m. The raw material is subject to higher SGST & CGST (9%) rates than the finished product (6%). Producers of finished product will have unutilized credit of GST paid on input/raw material and the Authority needs to examine the relation between unutilized credit and the injury caused to the domestic industry.

n. The domestic selling price of VSF, which apparently is manipulated by Grasim Industries, is at variance with Global VSF selling price. The global price of VSF fell during the injury period but not in India by same proportion.

o. The injury showed is caused due to loss in export market share, predatory pricing practice by the supplier of raw material and comparatively low quality of the product produced.

p. The textile industry reports all capacity in the number of spindles and not MT. The Applicant has provided the data in MT without explaining the calculation methodology adopted. Thus, the evaluation of figure presented in the Application is misleading and must not be relied upon. The Authority must use spindles installed to compute the capacity and capacity utilization. If this analysis is used, the capacity utilization of the Domestic Industry will show a high utilization of above 85% in all years of the injury period.

q. The calculation of NIP must not be unnecessarily inflated due to predatory pricing of the raw material and should be determined by considering the best utilization of raw materials over the past three years period and the POI. Therefore, NIP must exclude the impact of such predatory pricing practice i.e. 5% as per the determination by the CCI.

r. The Directorate in the past have terminated the investigations wherein the injury to the domestic industry was not due to dumping but other factors, such as in the matter of Non-Woven Fabric, Coated Paper and Playing Cards. The Authority should take a similar approach and terminate this case ab-initio.

I.3 Examination by the Authority

80. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other interested parties and analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

81. It is noted that Rule 11 dealing with injury specifies that the Authority shall record a finding whether dumped imports of such article into India cause or threaten material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. Further, it specifies that the Authority shall determine the injury to Domestic Industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of Domestic Industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out under the rules.

I.3.1 Cumulative Assessment

82. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a. Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and

b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

83. The Authority notes that:

a. The subject goods supplied from various subject countries and by the Domestic Industry are like articles.

b. The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.

d. Prices at which the goods are being exported from the subject countries indicate a clear inter se competition between the imports from these sources in the Indian market.

e. The competition between the dumped imported articles and the like articles offered by the domestic industry in the Indian market exists.

f. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the Domestic Industry in the Indian market.

84. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, " *.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports. Their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles ...*" In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

85. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.

I.3.2 Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a) Assessment of Demand/Apparent Consumption

86. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed has increased over the injury investigation period. Even though the demand shows slight decline in the POI, overall demand has shown an increase over the injury period.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Total imports from subject countries	MT	1,855	11,406	18,679	40,185	53,580
Trend	Indexed	100	615	1,007		2,889
Imports from other countries	MT	121	429	2,370	4,006	5,342
Trend	Indexed	100	356	1,964		4,427

Domestic Industry Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	188		201
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	132		84
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	152		134

b) Import Volumes from subject countries

87. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**POI**	
					Actual	**Annualised**
Subject Country	MT	1,855	11,406	18,679	40,185	53,580
China PR	MT	984	4,725	8,279	16,602	22,136
Indonesia	MT	870	5,154	9,167	19,561	26,081
Vietnam	MT	-	1,527	1,233	4,022	5,363
Other Countries	MT	121	429	2,370	4,006	5,342
Total Import	MT	1,975	11,836	21,049	44,191	58,922

88. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms. Imports of the subject goods which were 1,855 MT in 2016-17, increased to about 53,580 MT in POI(A), showing a significant increase by 22 times over the injury period.

c) Subject Countries Imports in relative terms

89. It is seen that the subject dumped imports in relation to production and demand increased throughout the injury period. Imports of the product from subject countries increased in relation to the Indian production from 2.31% in 2016-17 to 44.42% in POI(A) and have increased in relation to consumption in India from 0.77% in 2016-17 to 16.60% in POI(A).

Particulars	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**POI Annualised**
Share of subject imports in relation to					
Total Imports	%	93.89%	96.37%	88.74%	90.93%
Demand	%	0.77%	4.01%	5.10%	16.60%
Indian Production	%	2.31%	11.76%	16.72%	44.42%

I.3.3 Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

90. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the NIP of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a)Price Undercutting

91. For the purpose of price undercutting analysis, the NSR of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex-works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. The Authority has determined PCN wise price undercutting

and thereafter weighted average for the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars / **Subject countries**	**Unit**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**POI (A)**
Net Sales Realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	100	91
Landed Price	Rs/Kg	194.68	187.64	205.79	173.36
Trend	Indexed	100	96	106	89
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	64	108
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	10-20	0-10	10-20
China PR					
Net selling realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs/Kg	213.44	188.89	206.70	172.92
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	0-10	10-20	0-10	10-20
Indonesia					
Net selling realization	Rs/Kg	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs/Kg	173.46	185.78	204.49	173.82
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	10-20	0-10	10-20
Vietnam					
Net selling realization	Rs/Kg	-	***	***	***
Landed price of imports	Rs/Kg	-	190.04	209.33	172.95
Price undercutting	Rs/Kg	-	***	***	***
Price undercutting	%	-	***	***	***
Price undercutting	Range	-	10-20	0-10	10-20

92. From the aforesaid table, it can be seen that the imports from subject countries are at prices substantially below the selling price of the Domestic Industry. Price undercutting during the POI is positive and significant for each of the subject countries.

b) Price Suppression and Depression

93. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, changes in costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	100		91
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	98		94
Landed Price	Rs/Kg	194.68	187.64	205.79	173.36	173.36
Trend	Indexed	100	96	106		89

94. The following is observed:

a) Imports from subject countries were at prices lower than the cost of sales of the domestic industry throughout the injury investigation period including POI.

b) A comparison of the cost of production and selling price shows that the selling price declined steeply in the POI, far more than the decline in cost of production.

95. It is thus seen that the imports are depressing and suppressing the prices of the Domestic Industry in the market.

c) Price Underselling

96. The Authority has also examined the price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports from the subject counties. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports.

Particulars	Unit	China	Indonesia	Vietnam
NIP	Rs./Kg	***	***	***
Landed Price	Rs./Kg	172.92	173.82	172.95
Price underselling	Rs./Kg	***	***	***
Price underselling	%	***	***	***
Price underselling	Range	20-30	20-30	20-30

97. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production of the domestic industry for the POI on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. It is seen that the imports are being made at a price much lower than the NIP. The price underselling from the subject countries during the POI is positive and quite significant.

I.3.4 Economic Parameters of the Domestic Industry

98. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of the performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

99. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

100. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Total Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	122		122
Total Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	138		153
Production - PUC	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	139		150
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	113		126
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	159	188		201
Export Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	50	98		122
Total Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	178		192

101. The following is observed from the above table:

a. The domestic industry increased its capacity for the PUC throughout the injury period in view of increasing demand in India.

b. While production, sales and capacity utilization of the domestic industry increased throughout the injury period, the increase in sales were lower than the increase in production.

b) Market Share

102. While the share of the Domestic Industry increased over the injury period, including the POI, the share of other domestic producers, being much smaller in operations than the applicant companies, declined steeply from 76.90% in 2016-17 to 48.31% in the POI. The market share of imports from subject countries increased from 0.77% in 2016-17 to 16.60% in POI.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Subject countries	%	0.77	4.01	5.10	16.60	16.60
Imports from other countries	%	0.05	0.15	0.65	1.65	1.65
Domestic Industry Sales	%	22.28	30.01	27.62	33.44	33.44
Sales of Other Producers	%	76.90	65.83	66.64	48.31	48.31
Total Demand	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

c) Profitability, return on investment and cash profits

103. Details of profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry's Domestic Sales over the injury period are given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	100		91
Cost	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	98		94
Profit/ loss	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	18	184		6
Profit/ loss	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	29	347		11
Profit/ loss before Interest and Tax	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	265		77
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	211		105
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	162		46

104. The following is observed from the above table:

a. Profits of the domestic industry declined in 2017-18, but increased thereafter in 2018-19. Profits, however, declined significantly in the POI.

b. Profits in the POI were at a level far below the profit levels in the previous years.

c. Cash profit, PBIT and ROCE also followed the same trend as that of profits. Cash profit, PBIT and ROCE declined in 2017-18, increased thereafter in 2018-19 and then declined significantly in the POI. Cash profit, PBIT and ROCE in the POI were at a level much below the levels registered in base year or other preceding years.

d) Employment, productivity and wages

105. Details of employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Employee	Nos.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	145		154
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	139		150
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	96		98
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	156	190		194

106. It is seen that the number of employees, wages and productivity per day have increased throughout the injury period in line with increase in capacity, production and cost of living.

e) Inventories

107. The inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Inventories	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	157	231		287

108. It is seen that inventories with the Domestic Industry have increased throughout the injury period.

f) Growth

109. It is seen that growth of the Domestic Industry with regard to production, domestic sales, capacity utilization was positive over the injury period, whereas growth in respect of profits and return on investment is negative in the POI as can be seen from the table below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI Annualised
Production (MT)	%	20.73%	15.20%	7.98%
Domestic Sales Volume (MT)	%	58.98%	18.49%	6.64%
Capacity Utilization	%	6.40%	6.45%	11.17%
Cost of Sales (Rs/Kg)	%	-3.05%	1.21%	-4.40%
Selling Price (Rs/Kg)	%	-5.19%	5.94%	-9.00%
Profit/ Loss (Rs/Kg)	%	-81.83%	912.94%	-96.94%
ROI	%	-5.32%	149.09%	-71.22%

g) Ability to Raise Capital Investments

110. The profits of Domestic Industry have declined steeply in the POI, thus impacting the ability of the domestic industry to raise capital investment.

h) Factors affecting domestic prices

111. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported subject goods from the subject countries is significantly below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices is the import prices of the subject goods from subject countries. There is no viable substitute to this product. Demand for the product has shown significant increase during the injury period with slight decline in POI. However, this slight decline could not have been a factor responsible for price depression/suppression faced by the Domestic Industry. It is thus evident that the only factor responsible for the depressed and suppressed domestic industry prices are the import prices of the product. Though the cost of production of Domestic Industry declined in the POI as compared to the previous year, the decline in import prices and Domestic Industry prices were more than the decline in the cost of production. The principal factor affecting the domestic prices thus is the dumped imports of subject goods from subject countries.

I.3.5 Factors establishing Injury to domestic industry

112. The examination of the imports of the subject product and performance of Domestic Industry shows that the volume of imports increased manifold during the injury period in absolute terms and also in relation to production and consumption in India. With regard to price effect, it is noted that the imports are undercutting the prices of the Domestic Industry and the price underselling is also positive, and significant. It is also noted that the imports of subject goods from subject countries have also depressed/suppressed the prices of the Domestic Industry. The dumping margin from subject countries is positive and significant.

113. The capacity of the Domestic Industry increased throughout the injury period. Production, sales, capacity utilization and inventories of the Domestic Industry increased throughout the injury period. Profits declined significantly in the POI. Profits, Cash profit, PBIT and ROCE in the POI were at a level far below the profit levels during the previous years.

I.3.6 NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

114. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.

Other known factors and causal link

115. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

c) Volume and price of imports from third countries

116. The imports from countries other than the subject countries are negligible in volume terms. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b) Export Performance

117. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis.

c) Development of Technology

118. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

d) Performance of other products of the company

119. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the Domestic Industry as the Authority has considered the data of PUC only for injury analysis.

e) Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

120. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

f) Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

121. It is noted that the demand of the subject goods has increased from the base year with a slight decline in the POI. However, in the POI, whereas the demand slightly declined, imports increased very significantly. The Authority notes that the slight decline in demand during POI cannot be a cause of significant reduction in profitability of the Domestic Industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

122. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, a reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit.

123. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.

124. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margins for producers/exporters have been determined and the same is provided in the table below:

Subject Countries/ Producer	NIP USD/Kg	LV USD/Kg	Injury Margin		
			USD/Kg	%	Range %
China PR					
Yibin Spark Fine Spinning Tech Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
Yibin Grace Textile Co Ltd.	***	***	***	***	10-20
All Other Producers/Exporters	***	***	***	***	30-40
Indonesia					
PT Manunggal Adipura	***	***	***	***	10-20
PT Delta Merlin Sandang Tekstil	***	***	***	***	10-20
PT Delta Dunia Tekstil	***	***			
PT Delta Dunia Sandang Tekstil	***	***			
All Other Producers/Exporters	***	***	***	***	20-30
Vietnam					
All Producers/Exporters	***	***	***	***	10-20

K. CONCLUSION ON INJURY& CAUSAL LINK

125. On the basis of examination of information and analysis of the same, the performance of the Domestic Industry is summarized below:

a. Imports of the product under consideration have increased significantly from the subject counties in absolute terms, in relation to production and consumption in India.

b. While demand for the product declined, imports of the product have increased.

c. Dumped imports are undercutting the prices of the Domestic Industry.

d. Imports are depressing and suppressing the prices of the Domestic Industry in the market.

e. Performance of the Domestic Industry improved in respect of parameters such as production, sales, market share, employees, wages and productivity, performance of the domestic industry deteriorated in respect of parameters such as inventories, profits, cash profits and return on investment.

f. Market share of domestic producers as a whole has significantly declined.

g. Significant deterioration in parameters such as profits, cash profits and return on investment when performance in respect of parameters such as production and sales implies that the Domestic Industry has suffered material injury.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Views of the Domestic Industry

126. The following post-disclosure submissions have been made by the Domestic Industry:

a. Average VSY prices prevailed at a higher level at around Rs 191 per kg during Apr'19 - Aug'19 and then also the market continued to grow as demand reached a level of 39,000 tons during Aug'19. Prices went down to Rs 146 per kg level during Jun'20 but demand remained subdued even after prices falling and demand was around 15,000 tons in Jun'20. So even if ADD of around Rs 15-20 per kg is imposed then also prices will be lower than that of the higher prevailing level.

b. Likely ADD applicable on VSY imports will be Rs 15-20/kg. This translates to only 5-7 US cents per garment (one garment is of 250 grams - so from 1 kg of yarn, 4 garments can be made). As most of the garments are in blends, considering VSF content at 35%, the impact of likely ADD per garment would be around 2 US cents per garment, which is insignificant compared to the cost of garment (which is around 5 US Dollar per piece).

c. The notion that ADD will lead to stagnation or competitiveness in garment exports is misplaced. Prices were in the range of Rs 184 – 197 per kg during Mar’19 and Apr’19, VSF based garment

exports were around 9,100 – 10,500 tons per month. But then prices went down to Rs 150 per kg level during Aug'20/Sep'20; but VSF based garment exports also went down to 3500 – 4000 tons per month level.

d. VSY prices will not go up as a result of imposition of proposed ADD. VSY prices had declined with dumping in the market, and will roll back, at the max. to the past levels. In fact, prices will not even roll back to the past levels, and fabric manufacturers will get VSY at a price lower than the past.

e. The VSY and downstream industry grew in the past, when VSY prices were higher. Further, industry did not show any additional significant increase when prices declined in the current period. Therefore, industry and consumption would not decline with imposition of ADD.

f. The impact on eventual fabric is insignificant and inconsequential on either domestic or export competitiveness.

g. Post-oral hearing additional domestic producers have communicated to the authority and requested for imposition of duty.

h. There is no available data for the total Indian production of VSY in India, either through government sources or through private agencies.

i. The CCI order has no relevance in the present matter. Grasim has filed an appeal against the Order of the CCI before the National Company Appellate Tribunal (NCLAT). Vide its order dated 04.11. 2020, NCLAT has stayed the recovery of penalty amount, till the pendency of the appeal.

j. Raw material prices are in tandem with international prices.

k. The Indian industry not only has the capacity much more than the existing demand in the country, but also will be able to cater to any foreseeable increase in demand, as well as earn valuable foreign exchange for the country by undertaking exports from the surplus production, thereby truly fulfilling the vision of Aatmanirbhar Bharat in so far as the product is concerned.

l. There are around 50,000 looms producing VSY and the average employment directly dependent on VSY is of half person per power loom. The direct employment engaged in this sector using VSY is about 30,000 persons, which forms around 0.05% of employment in the entire textile sector.

m. MSMEs are adversely impacted by dumping. There are many minor producers accounting for below 10% of the total Indian capacity. If the duties are imposed, the domestic producers will not unduly increase their prices due to market forces and high competition. Duties will lead to continued availability of product through multiple domestic sources at reasonable prices and free, fair and reasonable competition will prevail protecting the interests of the users.

n. There is no demand-supply gap.

o. There has been a huge lag in capacity utilization in post-Covid period, but at the same the VSY imports have touched record high.

p. Post-GST there is a sharp increase in the past few months in the imports of overseas fabric and garments due to lower import duties.

q. Turkey has recently concluded an anti-dumping investigation on the subject goods against Indonesia and China. The yarn industry of Indonesia and China may shift to India as India will be the potential market. This shift is mainly due to the shrinking of other markets that have lost competitiveness in the presences of dumped imports.

r. Imports of cheaper yarn from countries such as China and Indonesia are hurting India's second largest employer, the textile industry, and a large number of small and medium yarn producing units are on the brink of closure.

s. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of price correction.

t. The imposition of anti-dumping duty will not have any significant adverse impact on public at large. The duty will protect the domestic industry against dumping of subject goods.

u. Chinese producers are not entitled to market economy treatment and the normal value for China PR could be determined on the basis of price in a market economy third country such as Thailand. Also, none of the Chinese producers have filed MET questionnaire to rebut the claim that that the companies operate in the non-market economy situation.

v. The duty may kindly be imposed on ad-valorem percentage. The subject goods have various PCNs. The different product types have significant differences in the associated prices.

w. The Domestic Industry has submitted that the PUC is largely consumed in ladies top, skirts, and dresses and the impact of Rs. 20 per kg. proposed ADD on the eventual end product shall be in the region of 0.87% to 1%:

S. No.	End-Use	Ladies Top	Skirt	Dress
1	Average VSY Consumption per article (in kg)	0.350	0.750	1.000
2	Cost of product (Rs)/piece	800	1,500	2,000
3	Spun Yarn price -Rs/kg	170	170	170
4	Landed value (Spun Yarn import Price with basic Customs duty)	179	179	179
5	Increase in price due to ADD (assuming Rs. 20/kg)	20	20	20
6	Cost of Spun Yarn used per unit of end product	70	150	199
7	Spun Yarn Cost as a % of cost of end product	9%	10%	10%
8	Increase in spun yarn price (S.No. 5 * S.No.1)	7	15	20
9	Impact of ADD on the end product (S.No. 8/S.No. 2)	0.87%	1.00%	1.00%

L.2 Views of Other Interested Parties

127. The following post-disclosure submissions have been made by other interested parties:

a. The Government of Indonesia is fully aware that Indonesian producers participating in this investigation have fully cooperated with the Authority, and in that, they have acted to the best of their ability. As such, the application of the best information available is completely unjustified. Non-cooperating treatment has been given to a large number of Indonesian producers, for which no proper explanation is given in the Disclosure Statement.

b. The Authority provided insufficient time to analyze the Disclosure Statement and submit a response.

c. The Authority has failed to address the facts and legal arguments submitted by the Government of Indonesia and Indonesian producers prior to issuance of the Disclosure Statement.

d. The Government of Indonesia is concerned with the application of a single dumping margin to all Indonesian producers that the Authority grouped as cooperating producers and another single dumping margin to the rest of Indonesian producers who have also fully cooperated in this investigation.

e. The dumping margin stated in the Disclosure ranging from 10% to 30% is very much confusing, not transparent, and unacceptable by ADA.

f. The source of data by exercising methodology using Grasim's production as the basis of India's total production was just a mere assumption which is misleading and totally unacceptable.

g. The Government of Indonesia strongly disagrees with the Authority's assumption on the representativeness of the Applicants as Indian domestic industry due to the fact there are a series of Authority's statements which are inconsistent from one and another.

h. The deliberate omission of injury data of the other 71% of the Indian industry of the product under investigation has caused gross distortion of facts namely the performance of the Applicant.

i. The Duniatex Group submits that the Dumping margin computed by the Authority as reflected in the Disclosure Statement for the three companies belonging to the Duniatex Group appears to be misplaced and therefore ought to be reconsidered.

j. In the Disclosure Statement, the Authority has proposed not to exclude double yarn and multi-yarn from the product scope on the pretext that the Domestic Industry has provided evidence of sales in the form of invoices. It is submitted that if the invoices do not pertain to the POI but show sales post the POI, even then double yarn and multi-yarn should be excluded from the product scope. This is for the reason that when the Domestic Industry did not even produce double yarn and multi-yarn during the POI, then it cannot suffer injury due to imports of both these grades. Further, double yarn and multi-yarn are different from single yarn VSY because of difference in the production process.

k. It is surprising that Grasim is aware of the consumption by the producers of the subject goods. Further, Grasim is also aware to what extent such producers of the subject goods in India are consuming VSF to manufacture 100% pure viscose spun yarn and blended yarn such as poly-viscose. While Grasim may be aware of VSF sold by it during a year, but how is it aware that to what extent a producer has consumed VSF to manufacture 100% pure viscose spun yarn and blended yarn such as poly viscose?

l. The Domestic Industry is not affected by the alleged dumped imports because several injury parameters show significant improvement. In view of the above, it is submitted that the case of material injury is not made out and there is no causal link.

m. Anti-competitive practices of the raw material supplier Grasim which had sold the raw material to the Applicants at a very high price has also caused injury to the Applicants.

n. The cost of production of the Applicants has been skewed due to unfairly high prices of the raw material VSF which was supplied by Grasim Industries Limited.

o. The Authority is requested to disclose how the prices of the primary raw material VSF were considered to arrive at the non-injurious price.

p. The Respondents request the Authority to apply lesser duty rule in the present case in line with Rule 4(d) of the Rules.

q. The Authority has incorrectly and illegally rejected the entire submissions of the Respondents without giving any valid justifications as per the procedures set in WTO laws and the manual of Operating procedure of DGTR. The Authority is a Quasi-Judicial Authority that is under obligation to act as per set laws and regulations.

r. It is expected from the Authority, being a quasi-judicial body, which ordinarily flows from a precedent or established practice, that the Authority will give a fair opportunity to the interested party to represent himself. The term 'established practice' refers to a regular, consistent predictable, and certain conduct, process, or activity of the decision-making authority.

s. The rejection of entire submissions of the Respondents is against Natural Justice and Article 6.13 of the Agreement on Anti-dumping. The Respondent submits that during the entire course of the investigation, the Respondents provided all the documents requested by the Authority from time to time. The Respondents submitted all the questionnaire responses in the prescribed formats of DGTR i.e., as per Trade Notice No. 05/2018 dated 28th February, 2018. The Respondent in-fact provided all the data PCN wise as per the PCN identified by the Director-General as per the letter dated 4th March, 2020. The Authority during the course of the investigation made certain inquiries and sought certain information documents via mails and telephone calls. No deficiency letter was issued to any individual company despite mandatory obligation. All those were duly submitted and clarified. No further inquiries were made implying that the Authority did not have any further questions or had no further clarifications to seek on completeness and that no further deficiencies remained. Responses submitted were not even considered w.r.t export sales, domestic sales, cost data type-wise information, productions, landed value and other calculations.

t. The Authority has unjustifiably rejected all the submissions of all the Respondents including the original questionnaire response.

u. The Disclosure Statement, without following the due process of law and verification process of information submitted is not only bad in law but also indicates disrespect of the sanity of the procedures and practice established globally.

v. The Authority only carried out the process of giving opportunity in general for all groups of exporters to submit certain documents, information and clarification via mail dated 4th September,

2020 which was duly responded despite COVID difficulties faced by the consultant as expressed to the authority via several e-mails. Post submissions of the desired information documents and clarifications for explanations further queries were made implying the satisfaction of the authority of a co-operative and information, etc.

w. The Authority should calculate the Injury Margin of the respondent based on the data submitted by the Respondents and available with the Authority.

x. The Domestic Industry has been incorrectly determined by the Authority.

y. With respect to the Authority's noting that Domestic Industry has production facility to produce fashion fabric through Airjet technology is not denied by the Respondents, however, the Indian Domestic Industry does not have enough capacities to meet the Domestic Demand in India for subject produced by such technology. Therefore, it is requested to Authority to exclude the subject goods produced through Airjet technology.

z. The Authority has not considered the interest of Small Scale Industry, weavers, garments, etc. which will be forced to shut down due to imposition of AD measures on subject goods.

aa. The Authority is required to specifically convey to each exporter as to which data in the response is missing which will not allow DGTR to compute the individual dumping or injury margin for the Responding exporters.

bb. The Applicant has not been able to depict any material injury to the domestic industry under the mandates of Article 3.1 of the Agreement on Anti-dumping.

cc. The export sales of the Domestic Industry have gone down considerably and it is continuously going down during the entire injury period. The Respondents submit that this is the real cause of losses and injury to the Petitioner industries.

dd. The Domestic Industry has been consistently raising capital for investment in plant and machinery and not facing any injury on this count.

ee. There is no increase in the inventory of PUC of the Domestic Industry.

ff. The cost of sales has declined in correlation to the decline in sales prices.

gg. The number of employees hired has been increasing steadily over the Injury Period, including the POI.

hh. The productivity per day has shown a steady increase during the injury period, including the POI for the Domestic Industry.

ii. The Applicant is suffering an injury mainly due to the dual and predatory pricing policy of the alleged sole domestic supplier of the raw material i.e. Grasim.

L.3 Examination by the Authority

128. The Authority notes that most of the issues raised in the post-disclosure comments have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under–

a. As regards the non-acceptance of questionnaire response of a number of Indonesian producers, the Authority notes that the questionnaire response filed by these producers could not be accepted in view of significant gaps in the questionnaire responses filed by these exporters. The gaps in the questionnaire response remained despite multiple opportunities provided to them. The Authority notes that it is obligatory on the part of the foreign producers/ exporters to ensure that the questionnaire response filed by them are complete in all respects and in the form and manner prescribed.

b. In a situation where the exporters have not provided all relevant information prescribed in the formats, and the responses remained deficient, contradictory and unreliable, it was not feasible for the Authority to determine individual dumping margin and injury margin. Further, the possibility of seeking clarification by the Authority cannot be utilized by foreign producers/ exporters to provide basic information prescribed in the questionnaire. Gross deficiencies and inconsistencies in the questionnaire responses filed by these producers/exporters are briefly explained below.

c. M/s. SBA Strategy Consulting LLP have filed the Exporter Questionnaire Response in March, 2020 on behalf of the following seven Indonesian producers/exporters:

i. PT Lotus Indah Textile Industries

ii. PT Sinar Pantja Djaja

iii. PT Primayudha Mandiri Jaya

iv. PT Adikencana Mahkotabuana

v. PT Sri Rejeki Isman, Tbk

vi. PT Bitratex Industries

vii. Embee Plumbin Telsti

d. On examinations of the questionnaire response, it was observed that Appendix 7, 8, 10 and 11 were not in the form and manner prescribed. While this alone was sufficient to reject the questionnaire response, yet, vide email dated 29th June, 2020, these companies were advised to submit the requisite data by 3rd July, 2020.

e. M/s. SBA Strategy Consulting, vide email dated 2nd July, 2020 filed the revised appendices. Further, working files in respect of PT Primayudha were filed vide email on 9th July, 2020. M/s. SBA Strategy Consulting filed the revised certifications after further corrections of errors in case of PT Primayudha vide email dated 22nd July, 2020, and in case of PT Bitratex Industries vide email dated 23rd July, 2020.

f. The information filed by these companies were examined. After examination of these revised appendices it was observed that Appendix 8 of the questionnaire response of all the seven companies represented by M/s. SBA Strategy Consulting contained new information and there was no information for the previous year element-wise cost of production for the product under consideration. Further, it was seen that in case of three companies, namely PT Embee, PT Sri Rejeki Isman and PT Sinar Pantha Dajaj, element-wise cost claimed in Appendices i.e. 6, 7, 8 and 10 were not duly reconciled and differed with each other. M/s. Adikencena claimed under/over absorption of raw-material in different Appendices. Accordingly, another communication was sent vide email dated 24th July, 2020 to M/s. SBA Strategy Consulting to clarify the discrepancy and provide requisite details with complete back-up papers for all the seven companies, latest by 27th July, 2020. It was made clear that the Authority may resort to facts available in case the companies failed to respond within the time limits.

g. M/s. SBA Strategy Consulting vide email dated 27th July, 2020 filed further information. The information filed was once again examined and compared with the original questionnaire response filed in March, 2020 and revised data and supporting documents submitted in July, 2020. It was observed that there was a wide variation in data and still there were still significant gaps in data. The responses thus continued to remain deficient. The Authority once again provided an opportunity to the exporters vide email dated 4th September, 2020 to submit complete details/back-up papers/reasons for discrepancies. Some of the variation in data and data gaps as listed in the emails are as under: -

i. In case of M/s. Adikencena and M/s. Sinar Pantja, the element-wise cost and profit figures varied at PUC as well as at Company level. Also, the profit and element-wise cost figures for the PUC has been changed in case of M/s. Bitratex, M/s. Lotus Indah, M/s. Primayudha and M/s. Sri Rejeki Isman.

ii. In all the seven companies Appendix 8 was not as per the prescribed format, the quantitative data for capacity, production, sales and per unit cost data, etc. has not been provided for the POI and previous accounting year.

iii. Related party transactions were involved in most of the companies particularly related to raw-materials. However, the details of the same was not reflected in Appendix 6 and Appendix 11 of all the companies. Different basis of pricing of raw-materials were used in Appendix 11 of the companies e.g. transactional net margin method, cost plus method etc. Company was asked to submit complete details and working for each of these methods.

iv. In Appendix 6, M/s. Embee has adjusted waste sale and WIP in Raw-Material consumption instead of showing it separately in relevant Appendices.

v. They were also requested to provide the Audited Accounts for the year 2019 and for the POI along with the complete back-up papers for basic records maintained along with screen shots from system.

h. M/s. SBA Strategy Consulting vide email dated 9th September, 2020 requested the Authority to provide them 2 weeks' time due to wide outbreak of Covid-19 in their office in Jaipur, India. However, they responded with the revised data and clarifications at a very belated stage of investigation vide email on 5th November, 2020. However, still the data/information was not as per the Trade Notice No. 05/2018 dated 28th February, 2018, and continued to remain deficient. Some of the deficiencies notices are as under:

i. The revised format for Appendix 8 with the calculation of unit cost of production submitted were not certified by a Practising Accountant as per Trade Notice No. 05/2018.

ii. Revised Appendix 11 submitted were not certified by a Practising Accountant as per Trade Notice No. 05/2018.

iii. Complete details and working for each of the methods used as the basis of pricing of raw-materials in Appendix 11 of the companies e.g. transactional net margin method, cost plus method etc. were not provided.

iv. The Audited Accounts provided is in a local language without English version of the same, thus making it impossible to examine the audited accounts.

i. M/s. Sunrise Bumi Textiles, M/s. Elegant Textile Industry and M/s. PT Indo Liberty Textiles also filed deficient questionnaire response. After examination of the initial questionnaire response, separate emails dated 30th June, 2020 were sent to these producer/exporters to provide the requisite details e.g. Appendix 7, 8, 10 and 11 in the form and manner prescribed. The same were not certified by a Practising Accountant as per Trade Notice No. 05/2018 dated 28th February, 2018. All these companies responded but still there were major data gaps/deficiencies in the questionnaire response submitted by them. Therefore, one more opportunity was given to these companies to clarify and justify the data gaps. But no response was received from them in response to email dated 7th September, 2020.

j. It is evident that the Authority provided adequate opportunity to all those producers/ exporters whose questionnaire response have not been used to determine individual margin. While M/s. Sunrise Bumi Textiles, M/s. Elegant Textile Industry and M/s. PT Indo Liberty Textiles did not reply to Authority email dated 7th September, 2020, other seven companies namely PT Lotus Indah Textile Industries, PT Sinar Pantja Djaja, PT Primayudha Mandiri Jaya, PT Adikencana Mahkotabuana, PT Sri Rejeki Isman, PT Bitratex Industries and Embee Plumbin Telsti have not provided complete data within the prescribed time limits. Further, there have been changes in the essential basic data, which questions the very reliability of the data provided by these seven producer/exporters. Therefore, the Authority considers the information/ data provided by these producer/exporters is insufficient for determination of individual margin.

k. As regards time given for offering comments to the disclosure statement, it is noted that six days' time was given to the interested parties to offer their comments. Time of six days cannot be considered insufficient. Besides, no request for additional time was made by any interested party. The Authority further notes that the approaching deadline for completion of investigation and difficulties faced due to COVID-19 pandemic also needs to be appreciated.

l. It is clarified that all concerns raised by the Government of Indonesia and other interested parties, including Indonesian producers, have been adequately addressed and dealt with while arriving at the conclusion in the present findings.

m. It is clarified that Authority has determined individual dumping margin in respect of only those producers/exporters who have filed questionnaire response complete in all respect. Further, the Authority has determined one weighted average dumping margin and injury margin for companies forming part of one group.

n. As regards the range of dumping margin and injury margin given, the Authority notes that the dumping margin and injury margin have been given in a range in order to protect confidentiality of information provided by the responding exporters. The treatment is consistent with practice adopted by authority. Further, actual dumping margin has been disclosed to the exporters concerned.

o. As regards confidentiality claims of interested parties, as stated above, the Authority has considered the confidentiality claims of various interested parties including the foreign producers, and on being satisfied, allowed the same.

p. As regards quantification of Indian production, the Authority notes that in a situation such as the present one where the industry is highly fragmented and the product is produced by a large number of producers and where there is no published information with regard to gross Indian production, production is required to be assessed in a reasonable and scientific manner, which may involve taking into account the data of upstream industry. The assessment of production in such cases by considering gross consumption of raw material is a reasonably appropriate and fair methodology. The source of supplies of raw materials in the present case is imports into India and supplies by the only producer in the country. A statement, duly certified by an independent practicing Chartered Accountant, indicating sales of raw material, Viscose Staple Fibre (VSF) to various consumers of VSF for manufacture of the product under consideration has been provided by M/s. Grasim Industries Ltd. In situations where information with regard to raw material procurement by various domestic producers is given by the raw material supplier itself, there is no reason to believe that the same would have led to understatement of production. In fact, the Domestic Industry contended that the gross eligible Indian production adopted for determining standing could be overstated because of the fact that some of the domestic producer have imported the product (either directly or through an affiliate) and therefore, should be treated ineligible as Domestic Industry under Rule 2(b). While the applicant provided its own assessment of imports into India, the Authority has adopted the information published by the DGCI&S for the purpose.

q. As regards the contention of the Government of Indonesia regarding rejection of questionnaire response, the Authority reiterates that the questionnaire responses filed by these Indonesian producers are indeed grossly deficient and the responses neither contain all information required nor are in the form and manner prescribed in the questionnaire. While deficiencies in the questionnaire responses were pointed out earlier, the subsequent data provided in the responses by these exporters were at material variance as compared to the information earlier provided. Further, the foreign producers were given sufficient time to address those discrepancies in the questionnaire responses but despite further extension having been given, these producers have not addressed the requirements. The Authority notes in this regard that onus to provide all relevant information, document and back up information in a timely manner lies on the foreign producers participating in the investigation. Even though the deficiencies found in the initial questionnaire response itself were sufficient to reject these responses, yet the Authority nevertheless provided repeated opportunities to these foreign producers to address the deficiencies. It is noted that the opportunity to provide clarification cannot be used to provide such information which is required to be provided by the foreign producers in their questionnaire response at the first instance itself. If foreign producers are allowed to provide subsequently what was required to be provided at the first instance, then it would render the time limits for questionnaire response meaningless.

r. A number of interested parties have disputed existence of injury to domestic industry. The interested parties have pointed out at improvement in performance of the Domestic Industry in respect of few injury parameters. It is noted that the performance of the Domestic Industry has improved in respect of some parameters. However, it is well established that it is not necessary that performance of domestic industry should show deterioration in respect of each injury parameter and thus improvement in some parameters does not imply absence of injury. So long as the performance of Domestic Industry shows deterioration in respect of some parameters and such deterioration outweighs positive developments in other parameters, it can be concluded that the Domestic Industry has suffered injury. The Authority notes in this regard that if the performance of the Domestic Industry deteriorates in respect of profits, cash profits and return on investment in

a situation where its production, sales and capacity utilization improves, it can be safely concluded that material injury has been caused.

s. As regards competition between companies constituting Domestic Industry and other domestic producers, the Authority notes that no interested party has provided any evidence to show that the performance of the Domestic Industry has deteriorated because of competition caused by other domestic producers not forming part of the Domestic Industry. Further, parameters such as domestic sales and market share of non-petitioning domestic producers clearly show a significant decline in their sales and market share. The market share of other domestic producers has in fact declined from 77% in base year to 48% in the POI. Thus, performance of the Domestic Industry could not have deteriorated due to competition by other domestic producers.

t. It is clarified that the Authority has given confidential calculations of dumping margin to those foreign producers for whom individual dumping margin have been determined in the disclosure statement. These foreign producers are aware of the actual dumping margin determined by the Authority. Further, while disputing the dumping margin determined in the Disclosure Statement, Government of Indonesia has not established how the dumping margin determined in the Disclosure Statement is inappropriate.

u. As regards inclusion of double yarn and multi yarn, it is clarified that evidence on record indicates the sale of these products being made by the Domestic Industry during POI.

v. As regards the information provided by the Grasim, it is clarified that Grasim has provided details of sales made by the company and not consumption of VSY in the country. The company has provided a statement of sales made to various parties duly certified by the independent practicing Chartered Accountant. Since Grasim itself has provided information with regard to its sales made to various customers, all contentions made with regard to reliability of the data or filing of consumption information by Grasim are without any basis.

w. As regards contention of higher prices paid by the VSY producers, the Authority compared the consumption price reported by the constituents of Domestic Industry with the import price of VSF in India at the same level. It is seen that the consumption price adopted for the purpose of determination of NIP is quite comparable to the import price of VSF. Thus, information on record does not show that the consumption price of VSF adopted for determination of NIP is unduly high.

x. The Authority has noted the quantification of impact of ADD on the eventual end product as furnished by the Domestic Industry is around 1%.

y. The Authority notes that none of the interested parties barring the Domestic Industry have quantified impact of proposed ADD on the eventual end product.

z. The Authority notes that none of the interested parties have brought any evidence in support of their argument that imposition of proposed ADD will have significant adverse impact on downstream products.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

129. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.

130. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. CONCLUSION

131. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value.

b. The Domestic Industry has suffered material injury.

c. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries.

O. RECOMMENDATIONS

132. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that imposition of Anti-Dumping is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

133. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommend to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR, Indonesia and Vietnam.

DUTY TABLE

SN	Tariff Heading*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	China PR	Any Country including China PR	Yibin Spark Fine Spinning Tech Co., Ltd.	0.51	USD	KG
2	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	China PR	Any Country including China PR	Yibin Grace Textile Co., Ltd.	0.41	USD	KG
3	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	China PR	Any Country including China PR	Any producer other than at serial numbers 1 and 2	0.80	USD	KG
4	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Any Country other than China PR, Indonesia, Vietnam	China PR	Any	0.80	USD	KG

SN	Tariff Heading*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT. Manunggal Adipura	0.25	USD	KG
6	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	0.35	USD	KG
7	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT. Delta Dunia Tekstil		USD	KG
8	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT. Delta Dunia Tekstil		USD	KG
9	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Indonesia	Any Country including Indonesia	Any producer other than at serial numbers 4 to 8	0.44	USD	KG
10	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Any Country other than China PR, Indonesia, Vietnam	Indonesia	Any	0.44	USD	KG
11	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Vietnam	Any Country including Vietnam	Any	0.41	USD	KG
12	55101110, 55101210, 55101190, 55101290, 55109010, 55109090	Viscose Spun Yarn*	Any Country other than China PR, Indonesia, Vietnam	Vietnam	Any	0.41	USD	KG

*The product under consideration is Viscose rayon spun yarn containing 85% or more by weight of artificial viscose staple fibre, other than sewing thread, not put up for retail sale.

**Note: Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

P. FURTHER PROCEDURE

134. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Exercise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.30 23:30:07 +05'30'